"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 मई 2008—वैशाख 26, शक 1930

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.—श्री निर्मल कुमार खाखा, भा. प्र. से. (2000) उपायुक्त, क्षेत्रीय विकास आयुक्त कार्यालय, बस्तर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उपायुक्त (विकास), आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही इन्हें उपायुक्त (राजस्व) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

2. श्रीमती रितु सेन, भा. प्र. से. (2003) उपायुक्त, क्षेत्रीय विकास आयुक्त कार्यालय, सरगुजा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उपायुक्त (विकास), आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही इन्हें उपायुक्त (राजस्व) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008

3. श्री निर्मल कुमार खाखा एवं श्रीमती रितु सैन द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम-9 के तहत उपायुक्त (विकास), आयुक्त, बस्तर संभाग/सरगुजा संभाग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपर कलेक्टर वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2008

क्रमांक ई-1-9/2008/1/2.— श्री के. श्रीनिवासुलु, भा. प्र. से. (एसके: 1994), छत्तीसगढ़ राज्य में अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर संचालक, भू-अभिलेख एवं संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री के पद पर कार्यरत है. सिक्किम सरकार, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग, गैंगटोक के आदेश क्रमांक 2488/G/DOP, दिनांक 23-2-2008 के द्वारा श्री के. श्रीनिवासुलु, को अधिसमय वेतनमान रु. 18400-500-22400/- में (छत्तीसगढ़ राज्य में अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर होने के फलस्वरूप) प्रोफार्मा पदोन्नति दिनांक 10-01-2008 से प्रदाय किया गया है.

2. अत: एतद्द्वारा श्री के. श्रीनिवासुलु, भा. प्र. से. को अधिसमय वेतनमान रु. 18400-500-22400/- का लाभ पदोन्नति दिनांक 10-01-2008 से प्रदान किया जाता है तथा उन्हें आयुक्त, भू-अभिलेख एवं आयुक्त, मुद्रण एवं लेखन सामग्री के पद पर स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक ई-01-01/2008/एक/2.— श्री जूसुफ मिंज, भा. प्र. से. (1997) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, आवास, पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2008

क्रमांक ई-7/33/2004/1/2.—श्री एम. आर. ठाकुर, भा. प्र. से., संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के दिनांक 07-04-2008 से 03-05-2008 तक (27 दिवस) के अर्जित अवकाश अवधि में संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर का कार्य श्री अवध बिहारी, आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर को संपादित करने हेतु आदेशित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 अप्रैल 2008

क्रमांक ई-7/8/2003/1/2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 27-3-2008 के द्वारा श्रीमती रेणु जी. पिल्ले, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 26-03-2008 से 04-04-2008 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्रीमती पिल्ले को दिनांक 05-04-2008 से 17-04-2008 तक (13 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18, 19 एवं 20 अप्रैल, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक ई-7/53/2004/1/2.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 05-04-2008 द्वारा डॉ. कमल प्रीत सिंह, भा. प्र. से., कलेक्टर, कोरिया, बैकुण्ठपुर को दिनांक 07-04-2008 से 26-04-2008 तक (20 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. डॉ. सिंह द्वारा दिनांक 21-04-2008 को कार्यभार ग्रहण कर लिए जाने के फलस्वरूप दिनांक 21-04-2008 से 26-04-2008 तक (06 दिवस) का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक ई-7/46/2004/1/2.—श्री जी. एस. मिश्रा, भा. प्र. से., आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर को दिनांक 28-04-2008 से 16-04-2008 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 27-4-2008 तथा दिनांक 17, 18 एवं 19 मई, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिश्रा आगामी आदेश तक आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिश्रा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मिश्रा के उक्त अवकाश अवधि में श्री एम. एस. परस्ते, कलेक्टर, जिला-बस्तर अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2008

क्रमांक 286/265/2008/1-8/स्था.—श्री पी. एस. तिवारी, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 21-04-2008 से 26-04-2008 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. तिवारी, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2008

क्रमांक 447/293/2008/1-8/स्था.—श्री सी. जे. खत्री, वित्तीय सलाहकार, छत्तीसगढ़ शासन, आ. जा., अनु. जन. जा. विकास विभाग मंत्रालय को दिनांक 09-04-2008 से 17-04-2008 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सी. जे. खत्री, वित्तीय सलाहकार, छत्तीसगढ़ शासन, आ. जा., अनु. जन. जा. विकास विभाग के पद पर पुन:

पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. जे. खत्री अवकाश पर नहीं जाते तो वित्तीय सलाहकार, छत्तीसगढ़ शासन, आ. जा., अनु. जन. जा. विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 मई 2008

क्रमांक 451/349/2008/1-8/स्था.—श्री बी. एल. अहिरवार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 21-4-2008 से 26-04-2008 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. अहिरवार को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. अहिरवार अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 मई 2008

क्रमांक 453/350/2008/1-8/स्था.—श्री एन. डी. भोयर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 21-4-2008 से 29-4-2008 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. डी. भोयर को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. डी. भोयर अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 मई 2008

क्रमांक 455/360/2008/1-8/स्था.—श्री विकास मिश्रा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 22-4-2008 से 6-5-2008 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विकास मिश्रा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विकास मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 मई 2008

क्रमांक 457/323/2008/1-8/स्था.—श्री पारसनाथ राम, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 21-4-2008 से 9-5-2008 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पारसनाथ राम को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पारसनाथ राम अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 मई 2008

क्रमांक 459/355/2008/1-8/स्था.—श्री संजय कनकने, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 20-5-2008 से 31-5-2008 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री संजय कनकने को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि संजय कनकने अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक 485/322/2008/1-8/स्था.—श्री आर. सी. सूर्यवंशी, सहायक सुरक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 17-4-2008 से 3-5-2008 तक 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. सूर्यवंशी को सहायक सुरक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. सूर्यवंशी अवकाश पर नहीं जाते तो सहायक सुरक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक 487/353/2008/1-8/स्था.—श्री एस. के. चक्रवर्ती, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 12-5-2008 से 31-5-2008 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. चक्रवर्ती को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. चक्रवर्ती अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 मई 2008

क्रमांक 489/339/2008/1-8/स्था.—श्री सी. एस. डेहरे, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 29-4-2008 से 13-5-2008 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सी. एस. डेहरे को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सी. एस. डेहरे अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

परिवहन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2008

क्रमांक 536/तक. विधान/टीसी/08.—छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आरक्षित प्रक्रम वाहन कर (स्पेयर टैक्स) को छोड़कर, वैध परमिट (अस्थायी तथा स्थायी) के अन्तर्गत आने वाले तथा संचालित समस्त प्रक्रम वाहन हेतु, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय कर के भुगतान से आंशिक रूप में नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट मार्गों पर छूट प्रदान करती है :—

सारणी

स. क्र. (1)	मार्ग का नाम (2)
1.	दोरनापाल से जगरगुण्डा, व्हाया पोलमपल्ली, चिंतागुफा, चितनार
2.	किरन्दुल से जगरगुण्डा, व्हाया पालनार, अरनपुर
3.	बीजापुर से मिरतूर, व्हाया गंगालूर, भैरमगढ़
4.	बीजापुर से जगरगुण्डा, व्हाया आवापल्ली, वासागुड़ा
5.	नैमड़ से बेदरे, व्हाया कुटरू
6.	बीजापुर से पुजारी कांकेर, व्हाया आवापल्ली, उसूर
7.	इंजरम से भेजी, व्हाया कोंटा, गोरखा

उपरोक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहेगी :—

1. उक्त अधिनियम के प्रथम अनुसूची के मद 4 के उपमद (ङ) के सरल क्रमांक (1) के अधीन उद्ग्रहणीय आरक्षित प्रक्रम वाहन कर (स्पेयर टैक्स) नियमित रूप से भुगतान किया जायेगा.

2. उक्त अधिनियम के प्रथम अनुसूची के मद 4 के उपमद (घ) के अधीन कर की पूर्ण छूट प्राप्त होगी.

3. प्रक्रम वाहनों का संचालन उक्त मार्गों पर वैध परमिटों के अन्तर्गत ही किया जायेगा.

No. 536/Tak. Vidhan/TC/08.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government hereby exempts, in part from payment of tax leviable under section 3 of the said Act, to all stage Carriages covered by and operating under valid permits (Temporary or substantive), except the Reserve Stage Carriage Tax (Spare Tax) on the routes as specified in the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Routes (2)
1.	Dornapal to Jagargunda Via Polampalli, Chintagufa, Chintnar
2.	Kirandul to Jagargunda Via Palnar, Arnpur
3.	Bijapur to Mirtur Via Gangalur, Bhairamgarh
4.	Bijapur to Jagargunda Via Avapalli, Vasaguda
5.	Naemed to Bedra Via Kutroo
6.	Bijapur to Pujari Kanker Via Avapalli, Usur
7.	Injram to Bheji Via Konta, Gorkha.

The above exemption shall be subject to following conditions :—

1. The reserve Stage Carriage Tax (Spare Tax) leviable under serial No. (1) of sub-item (c) of item IV of the First Schedule of the said Act, shall be paid regularly.

2. The total exemption of tax shall be under sub-item (d) of item IV of the First Schedule of the said Act.

3. Stage Carriages shall be plied on the above routes only on valid permits.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक जुनेजा, विशेष सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक एफ 1-7/2004/11/(6).—विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. आर. राजभानू, निरीक्षक, फर्म्स एवं संस्थाएं, बिलासपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं के पद पर वेतनमान 8000-275-13500 में पदोन्नत करता है.

2. पदोन्नति पश्चात् श्री आर. आर. राजभानू, निरीक्षक, को श्री डी. डी. महंत, सहायक पंजीयक, रायपुर की पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुए सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है. श्री राजभानू को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की सहायक पंजीयक की शक्तियां प्राप्त होंगी.

3. प्रमाणित किया जाता है कि इस पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के अधीन निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक एफ 1-7/2004/11/(6).—विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. डी. महंत, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, रायपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उप पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं के पद पर वेतनमान 10000 325-15200 में पदोन्नत करता है.

2. पदोन्नति पश्चात् श्री डी. डी. महंत को उप पंजीयक के पद पर कार्यालय, पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर में पदस्थ किया जाता है.

3. प्रमाणित किया जाता है कि इस पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के अधीन निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्रमांक एफ 1-17/2007/मबावि/50.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2008 है.

(2) ये राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषायें :—** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, सरकार;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 6 के अधीन संचालित परीक्षा;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, समय-समय पर संशोधित छत्तीसगढ़ सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26-12-84 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास (राजपत्रित) सेवा;

(ट) "राज्य" से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ राज्य ।

3. **विस्तार तथा लागू होना:-** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गये उपबंधो की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे ।

4. **सेवा का गठन:-** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :-

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल हैसियत से धारण कर रहे हों ।

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों ।

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों ।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि:-** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, तथा उनसे संलग्न वेतनमान, अनुसूची एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे ।

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका:-** (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात :-

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन से सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) पहले से ही सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,

(ग) सेवा में विनिर्दिष्ट पदों पर व्यक्तियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा,

(2) उप नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा की किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिसको या जिनको भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाये जाने वाला तरीका, ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी ।

(4) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि सरकार की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे तरीकों को अपना सकेगी जिन्हें कि वह इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें ।

(5) सेवा में भर्ती करते समय छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2004 के प्रावधानों तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देश लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति:-** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, सरकार द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके से चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें:-** परीक्षा/चयन में भाग लेने के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए अर्थात:-

1. आयु:

(क) परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को उसने अनुसूची तीन के कालम (3) में विहित आयु पूरी कर ली हो और उसने उक्त अनुसूची के कालम (5) में यथाविर्निदिष्ट आयु पूरी न की हो ।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक की शिथिलनीय होगी । महिला अभ्यर्थियों हेतु उच्चतर आयु सीमा के साथ समस्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए आयु 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, यत: विधवा, परित्यक्ता, एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिये सामान्य आयु सीमा पर अतिरिक्त 5 वर्ष शिथिलनीय होगी ।

(ग) उन अभ्यर्थी के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हो अथवा कर्मचारी रह चुके हों, उच्चतर आयु सीमा में भी नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए शिथिल होंगी:-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय सेवक है, अथवा जो अन्य पदों के लिए आवेदन करते है, को 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन

पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों, तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी है, अपनी आयु में से, उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण:- शब्द 'छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक की कालावधि तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने को अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु, निकले वह अधिकतम आयु सीमा से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण:- शब्द भूतपूर्व सैनिक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपनी रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो या जो अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया हो:-

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें मस्टरिंग आउट कन्सेशन के अधीन मुक्त कर दिया गया हो ।

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो दूसरी बार नामांकन किये गये हो, और जिन्हें :

(क) अल्पकालीन वचनबंद पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया हो,

(तीन) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक,

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशंड अधिकारी भी आते है जिन्हें उनकी संविदा पूर्ण होने पर

सेवोन्मुक्त किया गया है ।

(पांच) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य कर लेने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो,

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया है कि वे दक्ष सैनिक बनने के योग्य नहीं है,

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो ।

(ड.) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगमों/बोर्डों के कर्मचारी हो, उच्चतर आयु सीमा में 38 वर्ष तक की छूट दी जावेगी ।

(च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 'ग्रीन कार्ड धारक' हो, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 7 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(छ) अश्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के लिए "छत्तीसगढ़ अन्तर्राजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना" के अधीन किसी पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल की जायेगी ।

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंज देव सम्मान प्राप्त खिलाडियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) होमगार्ड के स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में नगर सेना में उनके द्वारा पूरे किये गये सेवा वर्ष के बराबर उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी । उपर्युक्त छूट की सीमा 8 वर्ष अर्थात होम गार्ड तथा नान कमीशंड अधिकारी के संबंध में आयु में ऐसी छूट देने के पश्चात् किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(ञ) उपरोक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों की आयु सीमा के संबंध में पारित निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में समय-समय पर जारी समस्त निर्देश लागू होंगे ।

टिप्पणी:- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 (ग) (1) और (2) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत चयन के लिये पात्र पाया गया है, उस स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात या तो परीक्षा लिए जाने के पूर्व या उसके पश्चात सेवा से त्यागपत्र देते है तथापि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी की जाये तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे । किसी भी अन्य मामले में इन आयु सीमाओं में

छूट नहीं दी जायेगी । विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी ।

2. **शैक्षणिक अर्हता:-**

अभ्यर्थियों के पास अनुसूची तीन में दर्शाये अनुसार सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए ।

(क) अपवादिक मामलों में, आयोग, सरकार की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में निर्धारित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न रखता हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जो आयोग की राय में ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन के लिए प्रवेश करना न्यायोचित हो, और

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों को जो अन्यथा अर्ह हों, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, उपाधियां प्राप्त की है, को भी आयोग के विवेकानुसार परीक्षा/चयन हेतु विचार किया जा सकेगा ।

3. **फीस:-**

अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा ।

9. **निरर्हता:-** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को आयोग द्वारा उसके चयन के लिए निरर्हता माना जा सकेगा ।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा:-** परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा तथा किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

11. **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती:-** (1) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा/चयन ऐसे अन्तरालों से ली जायेगी जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे ।

(2) ऐसे आदेशों के अनुसरण में आयोग परीक्षा का संचालन करेगा जैसा कि आयोग के परामर्श से सरकार समय-समय पर जारी करें ।

(3) सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध रिक्तियों में से 15 प्रतिशत, 18 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत स्थान पर उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए

आरक्षण) अधिनियम 1994 के अधीन क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य हैं ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों को, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य हो नियुक्ति पर

विचार उसी क्रम में किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों चाहे अन्य अभ्यर्थी की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया हो, यथास्थिति अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपनियम (3) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(6) महिलाओं के लिए सीधी भर्ती में 30 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे ।

(7) नि:शक्त अभ्यर्थियों के लिए सीधी नियुक्ति में 6 प्रतिशत पद क्षैतिज आधार पर आरक्षित रहेंगे ।

(8) जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और लोक सेवा आयोग अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए चाहा गया अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची:-**

(1) आयोग, ऐसे अभ्यर्थियों की, जो ऐसे स्तर से जैसा कि आयोग अवधारित करे अर्ह हो, तथा नि:शक्त श्रेणी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों की, जो यद्यपि, उस स्तर से अर्हित न हो, किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुये, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया हो, गुणागण (मैरिट) के क्रम से बनाई गई एक सूची सरकार को अग्रेषित करेगा । यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिसमें उनके नाम सूची में आये हों ।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नही हो जाता, जब तक की शासन का ऐसी जांच करने के पश्चात जैसे कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाय कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

(4) उपयुक्त (3) के अनुसार

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति:-** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए चयन करने हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें अनुसूची चार में वर्णित सदस्य होंगे ।

(2) समिति सामान्यत: एक वर्ष से अनधिक के अंतरालों में अपनी बैठक करेगी ।

(3) प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के पदो पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (पदोन्नति) नियम, 2003 के अधीन मॉडल रोस्टर अनुसार लागू होगा ।

(4) रिक्तियों के लिए पदोन्नति की प्रकिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए निर्देशों के अनुसार होगी ।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्ते:-**

(1) समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उतने वर्षो की सेवा स्थापन्न रूप में या मूल रूप में जैसा अनुसूची 4 के कॉलम (3) में वर्णित है, उस पद पर जिससे पदोन्नति की जानी है पूर्ण कर ली हो तथा जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण के क्षेत्र के भीतर आते हों ।

स्पष्टीकरण:- पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति :- संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है, और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के प्रावधान पदोन्नति के संबंध में लागू होंगे ।

(3) **(क)** ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियॉरिटी कम फिटनेस) अथवा जिनमें पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त अधिकारियों को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो वहां सभी संवर्गो के लिए कोई भी विचारण क्षेत्र नहीं होगा । केवल उतनी ही संख्या में लोक सेवकों के मामलों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जाएगा, जो प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी ।

(ख) उप नियम (3)(क) का प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों के की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जाएगा ।

(4) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जाएगी ।

15. **उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार किया जाना :–** (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की, एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तो को पूरा करते हों, तथा जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए उपयुक्त ठहरायें गये हों । यह सूची चयन सूची के तैयार करने की तारीख से 1 वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी । चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या का 25 प्रतिशत को मिलाकर एक आरक्षित सूची पूर्वोक्त कालावधि के दौरान आकल्पित रिक्तियों को भरने के लिए भी तैयार करेगा ।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के प्रावधानो के अनुसार तैयार की जायेगी ।

(3) इस प्रकार तैयार की गयी सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा ।

(4) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में निम्नतर सेवा के किसी सदस्य को अतिष्ठित करना प्रस्तावित हो तो, समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को अभिलिखित करेगी ।

16. **चयन सूची:–**

(1) आयोग सरकार से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि उसमें वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो उसे अनुमोदित करेगा ।

(2) यादि आयोग सरकार से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझें तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में सरकार को सूचित करेगा तथा सरकार उस पर यदि कोई मत प्रकट करे तो उस पर ध्यान देते हुए ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा ।

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, सेवा के सदस्यों की अनुसूची चार

के कॉलम (2) में दर्शित पदो से, अनूसूची चार के कॉलम (3) में दर्शित पद में पदोन्नति करने के लिए चयन सूची होगी ।

(4) चयन सूची सामान्यत: तब तक लागू रहेगी जब तक कि नियम 15 के उपनियम (3) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जा जाए, किन्तु इस सूची की वैधता इसकी बनाने की तारीख से 18 महीने की कुल कालावधि के बाद नहीं बढ़ाई जा सकेगी ।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, सरकार के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा तथा यदि आयोग उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

17. **आयोग से परामर्श :-** (1) नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची सरकार द्वारा निम्नलिखित के साथ आयोग को भेजी जायेगी :-

(1) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख,

(2) सेवा के ऐसे सभी सदस्यों के अभिलेख (अनुसूची चार के कालम 2 में दर्शित) जिनका सूची में की गई सिफ़ारिशों के अनुसार अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो,

(3) सेवा के किसी सदस्य के प्रस्तावित अवक्रमण के संबंध में समिति द्वारा लेखबद्ध किये गये कारण, (अनुसूची चार के कालम 2 में दर्शित) ।

(4) यदि पदोन्नति समिति की बैठक में आयोग के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष/आयोग द्वारा नामांकित आयोग के सदस्य अध्यक्ष के रूप में रहे हों तथा बैठक के कार्यवाही विवरण पर समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों के अनुमोदन के हस्ताक्षर हों तो ऊपर उपनियम (1) की कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी ।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति:-**

(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की नियुक्तियां सेवा संवर्ग (काडर) के अन्तर्गत आने वाले पदों पर उसी क्रम में की जाएगी जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आए हो ।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना सामान्यत: तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आई हो, जो सरकार की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो ।

19. **परिवीक्षा:-** सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

20. **निर्वचन:-** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

21. **शिथिलीकरण:-**इन नियमों में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हों, राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को, जो उसे न्याय संगत और साम्यपूर्ण प्रतीत होती हो, सीमित या कम करती है,

परन्तु किसी मामले को ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो ।

22. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी ।

23. **निरसन और व्यावृत्ति:-** वे समस्त नियम जो इन नियमों के तत्स्थानी हैं और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किये जाते है ।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. देवांगन, उप-सचिव.

अनुसूची - एक
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम		पदों की संख्या,	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	आयुक्त/संचालक		1	प्रथम श्रेणी	15100-18000/-	भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.)
2	संयुक्त संचालक		2	प्रथम श्रेणी	12000-16500/-	-
3	संचालक (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र - संयुक्त संचालक संवर्ग)		1	प्रथम श्रेणी	12000-16500/-	-
कनिष्ठ प्रथम श्रेणी						
4	उपसंचालक	03				
5	उपसंचालक(राज्य संसाधन केन्द्र)	01				
6	उपसंचालक (क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र)	02	22	कनिष्ठ प्रथम श्रेणी	10000-15200/-	
7	महाप्रबंधक (छ.ग.महिला कोष)	01				विभागीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा
8	जिला कार्यक्रम अधिकारी	15				
वरिष्ठ द्वितीय श्रेणी						
9	सहायक संचालक (संचालनालय)	05				
10	जि.म.बा.वि अधिकारी	18				
11	अधीक्षिका(नारी निकेतन)	03				
12	कार्यक्रम समन्वयक	07				
13	सहायक कार्यक्रम अधिकारी	05				
14	फैकल्टी मेम्बर/सहायक संचालक (राज्य स्त.संसाधन केन्द्र)	06				
15	फैकल्टी मेम्बर/सहायक संचालक (क्षे.महिला प्रशि.केन्द्र)	06	57	द्वितीय श्रेणी	8000-13500/-	
16	प्रबंधक (छ.ग. महिला कोष)	03				1 पद बैंकिंग क्षेत्र में अथवा विभागीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर, 02 पद राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
17	लेखाधिकारी (संचालनालय)	02				राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
18	लेखाधिकारी (छ.ग. महिला कोष)	01				
19	प्रशासनिक अधिकारी (राज्य स्त. संसाधन केन्द्र)	01				कार्यालय अधीक्षक की पदोन्नति द्वारा
कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी						

अनुसूची – दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	विभाग का नाम	पदों का नाम	कुल पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या			टिप्पणी
				सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के स्थायी सदस्यों की पदोन्नति	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	महिला एवं बाल विकास विभाग	1. आयुक्त/संचालक	01	–	–	–	भा.प्र.से. से प्रतिनियुक्ति
		2. संयुक्त संचालक/संचालक (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)	03	–	100%	–	–
		3. कनिष्ठ प्रथम श्रेणी-22		–			
		उपसंचालक (संचालनालय)	03				
		उपसंचालक (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)	01				
		उपसंचालक (क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र)	02		100%		
		महाप्रबंधक (छ.ग. महिला कोष)	01				विभागीय अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर
		जिला कार्यक्रम अधिकारी	15				
		4. वरिष्ठ द्वितीय श्रेणी-57		50%	50%		
		सहा.संचालक (संचालनालय)	05				
		जि.म.बा.वि अधिकारी	18				
		अधीक्षिका(नारी निकेतन)	03				
		कार्यक्रम समन्वयक	07				
		सहा.कार्यक्रम अधिकारी	05				
		फैकल्टी मेम्बर/सहायक संचालक (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)	06				
		फैकल्टी मेम्बर/सहायक संचालक (क्षेत्रीय महिला प्रशि.केन्द्र)	06				
		प्रबंधक (छ.ग.महिला कोष)	03				1 पद बैंकिंग क्षेत्र से अथवा विभागीय अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर
		लेखाधिक[illegible] [illegible]ालनालय)	02				राज्य [illegible] सेवा से प्र[illegible]युक्ति पर

लेखाधिकारी (छ.ग. महिला कोष)	01				राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
प्रशासनिक अधिकारी (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)	01				कार्यालय अधीक्षक की पदोन्नति से
5. कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी					
परियोजना अधिकारी	163	50%	50%	-	(1) पदों के 50% पदों में से 02 पद पोषण आहार निरीक्षक हेतु आरक्षित होंगे । (2) शेष पदों का 50%-50% सहा.सां.अधि.तथा सहा.परि.अधि. से भरा जायेगा । (3) पो.आ.नि. सहा. सां.अधि. तथा सहा.परि. अधि. के समस्त कार्यरत अधिकारियों की पदोन्नति उपरांत अथवा पात्र अधिकारी के उपलब्ध न होने पर कुल अनुमोदित पदों के 50% पर सीधी भर्ती तथा 50% पदों पर पर्यवेक्षकों की पदोन्नति की जावेगी ।

अनुसूची - तीन

(नियम 8 देखिये)

क्र.	विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पद	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक योग्यता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	महिला एवं बाल विकास विभाग	1.जि.म.बा.वि अधिकारी	21	30	स्नातक	-
		2.सहायक संचालक	21	30	स्नातक	-
		3.अधीक्षिका (नारी निकेतन)	21	30	स्नातक	-
		4.कार्यक्रम समन्वयक	21	30	स्नातक	-
		5.सहा.कार्यक्रम अधिकारी	21	30	स्नातक	-
		6.फैकल्टी मेम्बर (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)	21	30	स्नातक	-
		7.फैकल्टी मेम्बर (क्षेत्रीय महिला प्रशि.केन्द्र)	21	30	स्नातक	-
		8.प्रबंधक (छ.ग. महिला कोष)	21	30	स्नातक	-
		9.परियोजना अधिकारी	21	30	स्नातक	-

अनुसूची - 4
(नियम 13 देखिये)

विभाग का नाम	उन पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है ।	उन पदों का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है ।	कॉलम (2) में वर्णित पद पर सेवा की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महिला एवं बाल विकास विभाग	**कनिष्ठ प्रथम श्रेणी** उपसंचालक (संचालनालय) /उपसंचालक (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)/उपसंचालक (क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र)/जिला कार्यक्रम अधिकारी संवर्ग	संयुक्त संचालक/ संचालक (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)	5 वर्ष	1. अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य अध्यक्ष 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/या सचिव सदस्य 3. आयुक्त/संचालक महिला एवं बाल विकास सदस्य	
	वरिष्ठ द्वितीय श्रेणी सहायक संचालक/जि.म.बा.वि.अधिकारी/ अधीक्षिका (नारी निकेतन)/कार्यक्रम समन्वयक/सहा. कार्यक्रम अधि./ फैकल्टी मेम्बर (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)/फैकल्टी मेम्बर (क्षे.महिला प्रशि.केन्द्र)	उपसंचालक/ उपसंचालक(राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)/उपसंचालक (क्षे.म.प्रशिक्षण केन्द्र)/जिला कार्यक्रम अधिकारी संवर्ग	3 वर्ष	1. अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य- अध्यक्ष 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/या सचिव- सदस्य 3. आयुक्त/संचालक- महिला एवं बाल विकास- सदस्य	
	कनिष्ठ द्वितीय श्रेणी परियोजना अधिकारी	सहायक संचालक/ जि.म.बा.वि.अधि./ अधीक्षिका (नारी निकेतन) कार्यक्रम समन्वयक/ सहा.कार्य.अधि./ फैकल्टी मेम्बर (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र) /फैकल्टी मेम्बर (क्षे.महिला प्रशि.केन्द्र)	5 वर्ष	1. अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य अध्यक्ष 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/या सचिव- सदस्य 3. आयुक्त/संचालक- महिला एवं बाल विकास- सदस्य	
	कार्यालय अधीक्षक	प्रशासनिक अधिकारी (राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र)	5 वर्ष	-तदैव-	
	सहायक परियोजना अधिकारी (डाईंग केडर)	परियोजना अधिकारी	5 वर्ष	-तदैव-	

सहा.सांख्यिकी अधिकारी (डाईंग कंडर)	परियोजना अधिकारी	5 वर्ष	-तदैव-	
पोषण आहार निरीक्षक (डाईंग कंडर)	परियोजना अधिकारी	5 वर्ष	-तदैव-	परियोजना अधिकारी के [illegible] 02 पदों को पोषण आहार निरीक्षक के पदों पर वर्तमान पदस्थ अधिकारियों की पदोन्नति तक आरक्षित रखा जायेगा।
पर्यवेक्षक	परियोजना अधिकारी	5 वर्ष	-तदैव-	

रायपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्रमांक एफ 1-17/2007/मबावि/50.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-17/2007/मबावि/50, दिनांक 23-04-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. डेहलांगन, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd April 2008

No. F 1-17/2007/WCD/50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India. the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment of the Chhattisgarh Women and Child Development Department (Gazetted) Service. namely:-

RULE

1. **Short title and commencement:-** (1) This rule may be called the Chhattisgarh Women and Child Development Department (Gazetted) Service Recruitment Rule -- 2008.

(2) It shall come into force with effect from the date of its notification in the "Official Gazette."

2. **Definition :-** In these rules. unless the context otherwise requires -

(a) "Appointing authority" in respect of service means the Government;

(b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission:

(c) "Examination" means the examination conducted under rules 6.

(d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh:

(f) "Schedule" means a schedules appended to these rules;

(g) "Other Backward Classes" means the other backward classes specified by the amendments from time to time in the Notification No.F-8-5-twentyfive-4-84 dated 26-12-84 of the General Administration Department (Reservation Cell). Chhattisgarh State.

(h) "Scheduled Caste" means the scheduled castes as specified in relation to this State under article 341 of the Constitution of India.

(i) "Scheduled Tribe" means the scheduled Tribes as specified in relation to this State. Under article 342 of the Constitution of India

(j) "Service" means the Women and Child Development Department (Gazetted) Service.

(k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application:** - Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh (General Condition and Services) Rules – 1961, it shall apply to every member of the service.

4. **Conditions of the services:-** The service shall consist of the following persons, namely :-

(1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively or in the posts specified in schedule-I.

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules and;

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc:-** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, shall be in accordance with the provision conditioned in schedule-I.

Provided that Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment:-** (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely: -

(a) By direct recruitment through Competitive Examination /Selection;

(b) By promotion of members already in the service.

(c) By transfer/deputation of persons appointed on the specified post in the service.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in schedule-II of the number of posts specified in schedule -I

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period or recruitment, and the number of person to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the services so required, the Government may, with prior concurrence of the General Administration Department (GAD) adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub rule, as it may by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment provisions of Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act 1994 and directions issued from time to time by General Administration Department shall apply.

7. **Appointment to the service:-** All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule-6.

8. **Condition regarding eligibility of candidate for direct recruitment** - In order to eligible for examination/selection, a candidate must satisfy the following conditions namely:-

(1) **Age** : - (a) He must have attained the age prescribed in column (3) of Schedule III and not attained the age as specified in column (5) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination / selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5(five) years if a candidate belongs to schedule caste, schedule tribe or other backward classes. The upper age limit of Women Candidates shall be relaxable by 10 years. Over maximum age limit on all posts of direct recruitment whereas, widow, deserted, divorce women candidate shall be 5(five) years additional relaxation over general age limit.

(c) The upper age limit will also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government. to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate who is a permanent/temporary Government servant and applying for another post should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. The concession shall also be admissible to contingency paid employees work -charged employees, and employees working in the project implementation committees.

(iii) A candidate who is retrenched Government servant will be allowed to deduced from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation – The term "retrenched government servant" denotes a person who was in temporary government services of the State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(d) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduce [illegible]m his age, the period of all defence service previously rendered by him pro[illegible]d

that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation – The term "ex-serviceman" denotes a person who belongs any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus, as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:-

(i) Ex-serviceman released under mustering out concessions.

(ii) Ex-serviceman enrolled again and discharged on (a) completion of short term engage (b) fulfilling the conditions of enrolment

(iii) Ex personnel of Madras Civil Unit.

(iv) Officers (Military and Civil) including short service Regular Commissioned Officers discharged on completion of their contract.

(v) Officers discharge after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(vi) Ex-servicemen separated from service on being disable service

(vii) Ex serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(viii) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun shot wounds etc.

(e) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are employee of the Chhattisgarh State Corporation / Board.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 2 years in respect of those candidates who are holding green card under the family welfare programme.

(g) The general upper age limit shall be relaxed upto 5 years in respect of Sawarna Partner of awarded couple under the Inter Caste Marriage intensive scheme "Chhattisgarh Inter caste Marriage promotional scheme for untouchability eradication Rule 1984" (Chhattisgarh Asprashyata Niwaran Antarjatiya Vivah Protsahan Yojna Niyam 1984).

(h) The general upper age limit shall be relaxed upto 5 years in respect of Shahid Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award. Maharaja Pravir Chandra Bhanjdeo Award and National Youth Award holder candidate.

(i) Home guards and non Commissioned officers shall be given relaxation in general upper age limit equal to the complete years of service completed by them in Nagar Sena. The limit of aforesaid relaxation shall be 8 years. means after giving such relaxation the age of related home guard/non Commissioned officer should not be more than 38 years.

(j) In addition to the above, the directions in relation to the age limit of the candidates passed, all these directions issued from time to time regarding relaxation in age limit by the General Administration Department, shall be applicable.

(k) **Note:** - Candidates who are admitted to the selection under the age relaxation mentioned in Rule-8 (C)(i) and (ii) above will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In any other matter will those age limit will not be relaxed. The departmental candidates must obtain prior permission of the appointing authority to appearing in the examinations.

(2) **Educational Qualification –**

Educational qualification. he must posses such prescribed educational qualification for the service as shown in schedule-III.

Provided that-(a) In exceptional cases the commission may. on the recommendations of the Government, treat as qualified a candidate. who do not possesses any of the qualification prescribed in the clause. has passed a examination conducted by other institution by standard which in opinion of the commission. justifies the admission of the candidate to the examination / selection. (b) Candidate who is other qualified but had taken degree from foreign Universities being Universities specifically recognized by the Govt. may also be considered for the examination / selection at the discretion of the commission.

(3) **Fees** – He must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualification** – Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission for his selection.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidates, final** – The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination / selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination.

11. **Direct Recruitment by Examination/selection** – (1) The competitive examination/selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may in consultation with the Commission from time to time determine.

(2) The Commission in accordance with such orders shall conduct the examination. as the government may from time to time issue in consultation with the Commission.

(3) 15 percent. 18 percent and 14 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes. Scheduled Tribes and the Other Backward Classes. respectively under Chhattisgarh Public Services (Reservation for Scheduled Caste. Scheduled Tribe and other backward classes) Act. 1994.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of Schedule Caste, Schedule Tribe and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule-12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes. the Scheduled Tribe or the Other Backward Classes recommended by the Commission to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes. Scheduled Tribes or Other Backward Classes as the case may be under sub rule (3).

(6) In direct appointments, 30% post shall be reserved for woman candidates.

(7) In direct appointments, 6% posts shall be reserved for disabled candidates on horizontal basis.

(8) Where, for the posts to be filled by direct recruitment, the experience of any time period is prescribed as mandatory condition and in the opinion of public service commission or any competent authority it is found that there is no possibility of availability of candidates of scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes, having desirable experience for recruitment on the reserved posts, in sufficient numbers, there publie service commission are competent authority could relax the condition of experience in respect of candidates of scheduled castes, scheduled tribes/other backward classes.

12. **List of candidates recommended by the Commission** – (1) The Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Commission may determine and of the candidates belonging to the category of disabled, Scheduled Caste, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who, though not qualified by that standard, are declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Appointment by Promotion** – (1) A Committee shall be constituted consisting of the member mentioned in schedule-IV for making a selection for promotion of eligible candidate

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year

(3). The promotion on the posts of class I and II to be filled by promotion under the Chhattisgarh Public Service Commission (promotion) Rules-2003 shall be according to Model Roster.

(4) Procedure for making promotion on the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by Government in the General Administration Department from time to time.

14. **Conditions regarding Eligibility for Promotion** – (1) The Committee shall consider the cases of all persons who, on the 1st day of January of the year had completed such number of year of service Whether officiating or substantive on the post from which promotion is to be made as specified in column (3) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2)

Explaination – Method to complete eligibility for promotion:- The related year, in which the Department Promotion Committee is convened on its first January the period of qualifying service shall be calculated from the calendar year in which the public servant has come in the pay scale for the feeder cadre/part of service/post and not from the date of coming in the pay scale of feeder cadre service/part of service/post.

(2) In respect of promotion, the provision of Chhattisgarh Public Services (promotion) Rules, 2003 shall apply.

(3) (a) In such cases where promotion is to be made on seniority cum fitness basis or on the basis of seniority dropping the ineligible person there, for all the categories, there shall not be any area for consideration. Only in such numbers the matter of public servants be considered as per seniority which shall be present under each cadre and shall be sufficient to fill the vacancies expected on account of retirement in one year.

(3) (b) Besides the expected vacancies of sub rule(3)(a) to fill the unexpected vacancies of the aforementioned period, with the object to include the name of two public servants or 25% of the numbers of the public servants included in selection list, which ever is more, the name of public servants shall be considered in numbers desired for each cadre.

(4) Promotion shall be made as per the reservation roster prescribed by Government for promotion.

15. **Preparation of list of suitable Officers** – (1) The committee shall prepare the select list of such persons who satisfy the conditions prescribed in above rule-14 and who are held by the Committee to be suitable for promotion/transfer to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserved list consisting of twenty five percent of the number of the person included in the select list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies during the course of the aforesaid period.

(2) The list of suitable officers shall be prepared as per the provisions of Chhattisgarh Public Service Promotion Rule, 2003.

(3) The list thus prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the lower service the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. **Select List** - (1) Commission shall consider the select list prepared by the Committee and received along with other documents from Government and approve it if no change is required therein.

(2) If commission finds any change required in the list received from the Government, then it shall inform the Government about proposed changes and if Government shows any opinion thereon, then paying attention to the same, with such amendments, if any which are just and suitable in its opinion shall finally approve the list.

(3) The list as finally approved by the Commission shall from the select list for the promotion of the member of service from the post shown in column(2) of Schedule IV to the post shown in column(3) of Schedule IV.

(4) The select list shall ordinarily be enforced until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) or rule 15, but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation : Provided

that, in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the selection list, a special review of the Government and the Commission may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. Consultancy with Commission- (1) The list prepared as per Rule 15 shall be sent by Government to Commission along with the for following:-

(1) Records of all the persons included in list.

(2) Records of all those members of service (shown in column 2 of Schedule IV) who are proposed to be superseded as per the recommendations made in the list.

(3) Reasons recorded by the Committee in respect of proposed supersession of any members of service (shown in column 2 of Schedule IV)

(4) If in the meeting of Promotion Committee Chairman of Commission or member of commission in the form of chairman, being nominated by Chairman/Commission is present and the proceeding of meeting bears the signature of approval of Chairman of the Committee along with all its members, then the aforementioned proceeding under sub-rule (1) is not compulsory.

18. Appointment to the Service from the select list - (1) Appointments of the officers included in the select list to posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such officers appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Department promotion Committee before appointment of a person whose name is included in the select list of the service unless during the period, intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. **Probation**: - Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Interpretation-** If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation:** - Nothing in these rules shall be constructed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to it to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt in any manner less favorable to him that provided in those rules.

22. **Saving**: - Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes in accordance with the order issued by the State Government in this respect from time to time.

23. **Repeal and Saving** – All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
R. P. DEWANGAN, Deputy Secretary.

Schedule-I
(See Rule-5)

S.No.	Name of posts included in service		No. of posts	Classification	Scale of Pay	Remarks
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commissioner / Director		1	Class-I	15,100-18,000/-	I.A.S.
2.	Joint Director		2	Class-I	12,000-16,500/-	-
3.	Director (State Level Resource Centre – Joint Director Cadre)		1	Class-I	12,000-16,500/-	-
Junior Class-I						
4.	Deputy Director (Directorate)	03	22	Junior Class-I	10,000-15,200/-	* By deputation of departmental officers
5.	Deputy Director (State Resource Centre)	01				
6.	Deputy Director (Regional Training Centre)	02				
7.	General Manager (C.G. Mahila Kosh)*	01				
8.	District Programme Officer	15				
Senior Class-II						
9.	Asstt. Director(Directorate)	05	57	Class-II	8,000-13500/-	
10.	District Women & Child Development Officer	18				
11.	Superintendent (Nari Niketan)	03				
12.	Programme Coordinator	07				
13.	Asstt. Programmer Officer	05				
14.	Faculty Member / Asstt. Direct(State Resource Centre)	06				
15.	Faculty Member / Asst. Dire (Regional Training Centre)	06				
16.	Manager (C.G. Mahila Kosh)	03				1 post by deputation from Banking sector or departmental officer
17.	Accounts Officer (Directorate)	02				Deputation from State Finance Services
18.	Accounts Officer (C.G. Mahila Kosh)	01				--do--
19.	Administrative Officer (State Resource Centre)	01				By promotion of Office Superintendent
Junior Class-II						
20.	Project Officer	163		Class-II	5500-9000/-	

Schedule-II
(See Rule-6)

S. No	Name of Department	Name of Post	Number of posts	Number of duty posts to be filled — By direct recruitment	By promotion of substantive members of services	By transfer of persons of other services	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Women and Child Development Department	1. Commissioner / Director	01	-	-	-	Deputation from IAS
		2. Joint Director Director (State I resources center)	03	-	100%	-	-
		3. Junior Class-I – 22	-	-	100%	-	-
		Dy. Director (Directorate)	03				*By deputation of departmental officer
		Dy. Director (State Resources Center)	01				
		Dy. Director (Regional Training Centre)	02				
		Gen. Manager (C.G. Mahila Kosh)*	01				
		District Program me Officer	15				
		4. Senior Class-II –57					
		Assistant Director (Directorate)	05	50%	50%		
		District Women & Child Development Officer	18				
		Superintendent (Nari Niketan)	03				
		Program me Co-coordinator	07				
		Asstt. Programme Officer	05				
		Faculty member Asstt. Director (State resources centre)	06				
		Faculty member Asstt. Director (Regional Training Centre)	06				

	Manager (C.G. Mahila Kosh)	03	-			One post by deputation from banking Sector or Departmental Officer
	Account Officer (Directorate)	02				By deputation from state finance services
	Account Officer (C.G. Mahila Kosh)	01				--do--
	Administrative Officers (SRC)	01				Promotion from office superintendent
	5. Junior Class-II					
	Project officer	163	50%	50%		(1) 2 posts among the 50% of posts shall be reserved for Nutrition Inspector. (2) 50-50% of the rest of the posts shall be fulfilled by Asstt. Statistical Officers and Assistant Project Officer (3) After the promotion of Nutrition Inspector. Assistant Statistic Officer and Assistant Project Officer or in case of non availability of appropriate Officer 50% of total approved posts shall be fulfilled by direct recruitment and supervisor shall be promoted on rest of the 50% of posts.

Schedule-III
(See Rule-8)

S.No.	Name of Department	Post included in service	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Women & Child Development Department	1. District Women & Child Development Officer	21	35	Graduate	-
		2. Assistant Director	21	35	Graduate	-
		3. Superintendent (Nari Niketan)	21	35	Graduate	-
		4. Programme Co-ordinator	21	35	Graduate	-
		5. Assistant Programme Officer	21	35	Graduate	-
		6. Faculty Member / Asstt. Director (State resources Centre)	21	35	Graduate	-
		7. Faculty member / Asstt. Director (Regional Training Centre)	21	35	Graduate	-
		8. Manager (C.G. Mahila Kosh)	21	35	Graduate	-
		9. Project Officer	21	35	Graduate	-

Schedule-IV
(See Rule-13)

Name of Department	Name of post from which Promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Minimum duration of service post mentioned in column (2)	Name of the member of the departmental promotion committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Women & Child Development Department	**Junior Class-I**				
	Dy. Director (Directorate) / Dy. Director (State Resource Centre)/Dy. Director (Regional Training Centre) / District Programme Officer Cadre	Joint Director / Director (State Resource Centre)	5 years	1. Chairman P.S.C. or member directed by him – Chairman 2. Additional Chief Secretary or Secretary – Member 3. Commissioner / Director – Women & Child Development – Member	-
	Senior Class-II				
	Asstt. Director / District Women & Child Development Officer / Superintendent (Nari Niketan) / Programme Coordinator / Asstt. Programme Officer / Faculty Member (State Resources Centre) Faculty member (Regional Training Centre)	Dy. Director / Dy. Director (State Resource Centre) / Dy. Director (Regional Training Centre) / District Programme Officer Cadre	3 years	1. Chairman P.S.C. or member directed by him – Chairman 2. Additional Chief Secretary or Secretary – Member 3. Commissioner / Director – Women & Child Development – Member	-

	Junior Class-II				
	Project Officer	Asstt. Director / District Women & Child Development Officer / Superintendent (Nari Niketan) / Programme Coordinator / Asstt. Programme Officer / Faculty Member (State Resources Centre) Faculty member (Regional Training Centre)	5 years	1. Chairman P.S.C. or member directed by him – Chairman 2. Additional Chief Secretary or Secretary – Member 3. Commissioner / Director – Women & Child Development - Member	-
	Office Superintendent	Administrative Officer (State Resources Centre)	5 years	–do-	-
	Asstt. Project Officer (Dying Cadre)	Project Officer	5 years	–do-	-
	Asstt. Statistical Officer (Dying Cadre)	Project Officer	5 years	–do-	Only 2 posts of project officer shall be held reserved till the promotion of at present posted Nutrition Inspector
	Nutrition Inspector (Dying Cadre)	Project Officer	5 years	–do-	
	Supervisor	Project Officer	5 years	–do-	-

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2008

क्रमांक एफ 1-12/2008/म.बा.वि./50.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यपालिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती नियम के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः**- 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यपालिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित)सेवा भर्ती नियम, 2008 है ।
2. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषायें :**- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, **संचालक/आयुक्त** महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ ।

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है, अनुसूची तीन एवं अनुसूची चार में यथा विनिर्दिष्ट पदोन्नति के लिए गठित विभागीय चयन/ पदोन्नति समिति ।

(ग) ''सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ।

(घ) ''राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ।

(ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ।

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ।

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ।

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ।

(झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26.12.84 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ।

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा ।

(ट) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, संदर्भ से अपेक्षित अनुसार, संचालनालय महिला एवं बाल विकास का संचालक या आयुक्त ।

3. **विस्तार तथा लागू होना:-** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन:-** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होगें, अर्थात:-

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विर्निदिष्ट पदों को मूल हैसियत से धारण कर रहे हों ।

(2) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों ।

(3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि:-** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित किए गए पदों की संख्या, तथा उनसे संलग्न वेतनमान अनुसूची एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगें।

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6. **भर्ती का तरीका:-**(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :-

(क) प्रतियोगिता परीक्षा अथवा चयन से सीधी भर्ती द्वारा ।

(ख) अनुसूची चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,

(ग) अन्य व्यक्तियों के स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पदों पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये अनुसार मूल हैसियत में धारण करते हों।

(घ) पर्यवेक्षक पद हेतु केवल महिलाएं ही पात्र होंगी ।

(2) उप नियम(1) के खण्ड (ख) अथवा (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, उस प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी जो अनुसूची दो में दर्शाई गयी है ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को या जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला, भर्ती का तरीका या तरीके और ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जायेगी ।

(4) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यंत आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट किए गए सेवा में भर्ती के उन तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इसे निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें ।

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए सरकार द्वारा मापदंड निर्धारित किये जायेंगे, विभागाध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन

हेतु एक चयन समिति गठित किया जाना आवश्यक होगा जो उन मापदंडों के अलावा अन्य युक्तिसंगत मापदंड सरकार की सहमति से अपना सकेगी ।

(6) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अजा, अजजा एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान भी लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्तिः-** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम-6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन किए जाने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तेः-** चयन के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी चाहिए अर्थात् :-

(एक) **<u>आयु</u> :-(क)** उसने परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी माह के प्रथम दिन को अनुसूची तीन के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो किन्तु उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथाविर्निदिष्ट आयु पूरी न की हो ।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों, अथवा कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में भी छूट होगी :-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए ।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से कोई पद धारण किए हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना क्रियान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारिगों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो,अपनी आयु में से उसके व्दारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिऐ अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

<u>स्पष्टीकरण</u> :- शब्द ''छटनी किया गया सरकारी सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या संघटक इकाइयों में से किसी भी इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु

अन्यथा आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो ।

(ड.) ऐसे अभ्यर्थी, जो "भूतपूर्व सैनिक" हो, अपनी आयु में से उसके व्दारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और किसी रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने की अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण जिसकी छटनी की गई हो या जिसे अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित किया गया हो :-

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवान्मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो जिन्हें :-
(क) अल्पकालीन वचनबद्ध पूर्ण हो जाने पर,
(ख) नामांकन संबंधी, शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवान्मुक्त कर दिया हो,

(तीन) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी,

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित है, जो उनकी संविदा के पूर्ण होने पर सेवामुक्त किये गये हों,

(पांच) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो,

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं,

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने से घाव हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया है ।

(च) विधवा तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष शिथिलनीय होगी ।

(छ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यार्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ज) आदिम, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पार्टनर(पति/पत्नि) के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(झ) **शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जावेगी ।**

(ट) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य निगमों/मंडल (बोर्ड) के कर्मचारी हैं, को उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ठ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नान कमीशंड अधिकारियों को उच्चतर आयु सीमा में उनके व्दारा सेवा के समतुल्य कालावधि तक के लिए आयु में दी गई छूट की सीमा 8 वर्ष होगी, किन्तु वह 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होनी चाहिए।

<u>टिप्पणी:- (1)</u> ऐसे अभ्यर्थी जो उपर्युक्त नियम 8 के खंड (घ) के उपखंड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाये गये हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे यदि आवदेन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उनको सेवा या पद से छटनी की गई हो, तो वे पात्र बने रहेंगे । विभागीय अभ्यर्थी को परीक्षा के लिये उपसंजात होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(1) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे ।

(दो) <u>शैक्षणिक अर्हता</u>:- अभ्यर्थियों के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो अनुसूची तीन में दर्शाई गई हैं ।

परंतु -

(क) आपवादित मामलों में, समिति किसी अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगी, जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित में से कोई अर्हता नहीं है, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यर्थी को चयन परीक्षा के लिए न्यायोचित ठहराती हो ।

(ख) अभ्यर्थियों जो अन्यथा अर्ह है किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से नहीं है, उपाधियां प्राप्त की हैं, समिति के विवेकाधिकार पर चयन के लिए विचार कर सकेगा ।

3. **<u>फीस</u> :-** अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा ।

9. **निरर्हता:-** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के कोई भी प्रयास करने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा में उपसंजात होने के लिए निरर्हित ठहराया जा सकेगा ।

10. **अभ्यर्थियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा:-** चयन में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, **चयन समिति से प्रत्यक्ष भेंट** किया जायेगा।

11. **सीधी भर्ती :-(1)** प्रतियोगी परीक्षा- पात्र अभ्यर्थियों के प्रारंभिक चयन करने/प्रतियोगी परीक्षा लेने के लिए अनुसूची तीन में उल्लेखित किये गये सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित किया जायेगा।

(2) **चयन द्वारा :-** (एक) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर अवधारित करे ।

(दो) समिति द्वारा सेवा में अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार द्वारा किया जायेगा, और यदि आवश्यक हो तो अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा/ड्राईंग परीक्षा/क्षेत्र सर्वेक्षण परीक्षा लिया जाएगा ।

(3) **प्रतियोगी परीक्षा द्वारा** – **(एक)** सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति के परामर्श से समय समय पर अवधारित करें ।

(दो) परीक्षा सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार समिति द्वारा संचालित की जाएगी ।

(4) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति उसी कम में की जाएगी जिस कम में उनके नाम सूची में आए हों।

(5) सीधी भर्ती के प्रकम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (कमांक 21 सन 1994) के उपबंधों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा ।

(6) इस प्रकार रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं नियुक्ति पर विचार उसी कम में किया जायेगा जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(7) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(8) ऐसे पद जो केवल महिलाओं के लिए विनिर्दिष्ट किये गये है उन्हें छोड़कर छत्तीसगढ़ लोक सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के 30 प्रतिशत पद, महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे ।

(9) ऐसे मामलों में जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और सक्षम अधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वहां सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(10) विकलांगों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण रहेगा।

12. **परिसीमित सीधी भर्ती की प्रकिया :-**

अपेक्षित योग्यताधारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक पद पर चयन के अवसर प्रदान करने हेतु परिसीमित सीधी भर्ती हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी किन्तु कुल पद का प्रतिशत 25 से अधिक नहीं होगी ।

अर्हता:- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पर्यवेक्षक पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए निम्नानुसार अर्हता होगी:-

(1) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता हायर सेकण्डरी उत्तीर्ण (पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार 11वीं या वर्तमान में 10+2 पद्धति के अनुसार 12वीं उत्तीर्ण) होगी।

(2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर लगातार 10 वर्ष या इससे अधिक की सेवावधि होनी चाहिए ।

(3) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अधिकतम आयु परीक्षा/चयन प्रारंभ होने के वर्ष की 1 जनवरी को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । किसी भी अन्य आधार पर छूट अनुज्ञेय नहीं होगी ।

(4) भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा।

(5) इन पदों पर परिसीमित सीधी भर्ती से चयन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समिति द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षा अथवा चयन व्दारा किया जावेगा ।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति:-** (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिये अनुसूची 4 में दर्शाये अनुसार एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जायेगी परंतु इस उपनियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिये छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति का सम्मिलन ऐसे अंतरालों से किया जाएगा जो साधारणत: एक वर्ष से अधिक का नही होगा ।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति की जायेगी ।

(4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया अनुसूची 4 में उल्लेखित नियम एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार रहेगी ।

14. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता संबंधी शर्ते:-**

(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर या उनके समतुल्य घोषित अन्य पदों पर जिनसे पदोन्नति की जानी है उतने वर्षो की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जितनी कि अनुसूची 4 के कालम (3) में विनिर्दिष्ट

है, पूर्ण कर ली हो और उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हो ।

स्पष्टीकरणः- पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति :- संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जावेगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति के लिए चयन क्षेत्र में आरक्षण किया जायेगा ।

15 **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना :-**

(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 14 में विहित शर्तो को पूरा करते हो तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो । यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदोन्नति के कारण होनें वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी ।

(2) **पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मापदंड ज्येष्ठता सह उपयुक्तता (सिनीयारिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी ।**

(3) चयन सूची की तैयारी के समय सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची 4 के कालम (2) एवं (3) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता क्रम से रखे जावेंगे ।

स्पष्टीकरणः- ऐसे किसी व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्यों से ही उन व्यक्तियों के उपर जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा ।

16. **चयन सूचीः-**

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची 4 के कालम (2) एवं (3) में दर्शाये गये पदों से सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी ।

(2) जिस कलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार की जावेगी । उसकी विधि मान्यता उस कलेण्डर वर्ष के 31 दिसंबर तक विधि मान्य रहेगी, परंतु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निवाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में सरकार के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

17 **चयन सूची से सेवा में नियुक्तिः-** (1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तितों की नियुक्तियाँ, लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जावेगी ।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा के चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा

जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाए जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त बनाती हो ।

18. **परिवीक्षा:-** सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

19. **निर्वचन:-** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

20. **शिथिलीकरण:-** इन नियमों में की गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसे ये नियम लागू होते हों, ऐसी रीति से जो न्यायोचित और साम्यपूर्ण प्रतीत हों, कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो ।

21. **व्यावृत्ति :-** इन नियमों में की गई कोई भी बात अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंध किये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण तथा शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी ।

22. **निरसन और व्यावृत्ति:-**

(1) वे सभी नियम जो इन नियमों के तत्स्थानी और इसके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश. या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. देवांगन, उप-सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
अनुसूची एक
(नियम 5 देखिये)

तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (अराजपत्रित)

स. क.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	22	तृतीय श्रेणी	5500-9000	डाईंग केडर
2	सहायक परियोजना अधिकारी	103	तृतीय श्रेणी	5000-8000	डाईंग केडर
3	सहायक लेखाधिकारी (क्षे.म.प्र.सं. केन्द्र)	02	तृतीय श्रेणी	5000-8000	संचालक कोष एवं लेखा से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने हेतु पद
4	पोषण आहार निरीक्षक	02	तृतीय श्रेणी	4500-7000	डाईंग कैडर
5	लेडी हैल्थ विजीटर	02	तृतीय श्रेणी	4500-7000	डाईंग कैडर
6	अधीक्षिका, (बाल संरक्षण गृह)	05	तृतीय श्रेणी	4500-7000	-
7	पर्यवेक्षक	1617	तृतीय श्रेणी	4000-6000	-
8	सहायक महिला एवं बाल विकास विस्तार अधिकारी		तृतीय श्रेणी	3500-5200 4000-6000	-
9	क्राफ्ट शिक्षिका (नारी निकेतन)	03	तृतीय श्रेणी	4000-6000	-
10	महिला शिक्षिका (नारी निकेतन)	03	तृतीय श्रेणी	4000-6000	-
11	मांटेसरी शिक्षिका, (बाल संरक्षण गृह)	05	तृतीय श्रेणी	3050-4590	-
12	बालवाड़ी शिक्षिका (बालवाड़ी सहसंस्कार केन्द्र)	04	तृतीय श्रेणी	3050-4590	-
13	नर्स	02	तृतीय श्रेणी	3050-4590	डाईंग कैडर
14	नर्स (झूलाघर)	02	तृतीय श्रेणी	3050-4590	-
15	महिला परिचारिका	02	तृतीय श्रेणी	क्ले.दर पर	-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. देवांगन, उप-सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

अनुसूची दो

(नियम 6 देखिये)

तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (अराजपत्रित)

स. क.	विभाग का नाम	पदो के नाम	कुल पदो की संख्या	भरे जाने वाले पदो की संख्या			टिप्पणी
				सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के स्थाई सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओ से स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	महिला एवं वाल विकास विभाग	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	22		_	_	डाईग केडर
2		सहायक परियोजना अधिकारी	103	_	-	_	डाईग केडर
3		पोषण आहार निरीक्षक (पोषण आहार कार्यक्रम)	2	-	_	_	डाईग केडर
4		लेडी हैल्थ विजीटर (पोषण आहार कार्यक्रम)	2	_		_	डाईग केडर
5		अधीक्षका, बाल संरक्षण गृह	5	_	100%	_	_
6		पर्यवेक्षक	1617	75% सीधी भर्ती 25% परिसीमित सीधी भर्ती		_	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से परिसीमित सीधी भर्ती से 25 प्रतिशत पदों की पूर्ति की जावेगी
7		काफ्ट शिक्षिका	3	_	100%	_	_
8		महिला शिक्षिका	3	_	100%	_	_
9		मांटेसरी शिक्षिका	5	100%	-	-	_
10		बालवाड़ी शिक्षिका	4	100%	-	_	_
11		नर्स (पोषण आहार कार्यक्रम)	2		_	_	डाईग केडर
12		नर्स (झूलाघर)	2	100%	_	_	प्रतिनियुक्ति से भी भरा जा सकता है
13		महिला परिचारिका (बालवाड़ी सहसंस्कार केन्द्र)	2	100%	_	_	_

महिला एवं बाल विकास विभाग

अनुसूची तीन

(नियम 8 देखिये)

तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (अराजपत्रित)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद	न्युनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षेणिक योग्यता	सीधी भर्ती हेतु चयन समिति	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	–	–	–	डाईग केडर	
2	पोषण आहार निरीक्षक	–	–	–	डाईग केडर	
3	पर्यवेक्षक	18	35	सीधी खुली भर्ती हेतु (केवल महिलाओं के लिए) स्नातक परिसीमित सीधी भर्ती हेतु हायर सेकण्डरी अथवा (10+2) पद्धति से 12वीं उत्तीर्ण	1. आयुक्त/ संचालक या उनके द्वारा नामित अधिकारी - अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक/उपसंचालक स्थापना - सदस्य 3. अ.जा./अजजा. संवर्ग के नामित अधिकारी (यदि समिति में स्वमेव न हो तो) 4. संचालक /आयुक्त द्वारा नामित एक जिला कार्यक्रम अधिकारी - सदस्य 5. सहायक संचालक स्थापना - सदस्य सचिव	
4	मांटेसरी शिक्षिका	18	35	हायर सेकण्डरी अथवा (10+2) पद्धति से 12वीं उत्तीर्ण **(शाला पूर्व शिक्षा में तीन वर्ष का अनुभव)**	1. आयुक्त/ संचालक या उनके द्वारा नामित अधिकारी - अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक/उपसंचालक स्थापना - सदस्य 3. अ.जा./अजजा. संवर्ग के नामित अधिकारी (यदि समिति में स्वमेव न हो तो) - सदस्य 4. संचालक /आयुक्त द्वारा नामित एक जिला कार्यक्रम अधिकारी - सदस्य 5. संचालक/आयुक्त द्वारा नामित अनौपचारिक शिक्षा विशेषज्ञ - सदस्य 6. सहायक संचालक स्थापना - सदस्य सचिव	

5	बालवाड़ी शिक्षिका	18		हायर सेकण्डरी अथवा (10+2) पद्धति से 12वीं उत्तीर्ण **(शाला पूर्व शिक्षा में तीन वर्ष का अनुभव)**	- तदैव -	
6	नर्स झूलाघर	18	35	हायर सेकण्डरी अथवा (10+2) पद्धति से 12वीं उत्तीर्ण एवं नर्सिंग में डिप्लोमा	1. आयुक्त/ संचालक या उनके द्वारा नामित अधिकारी - अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक/उपसंचालक स्थापना - सदस्य 3. अ.जा./अजजा. संवर्ग के नामित अधिकारी (यदि समिति में स्वमेव न हो तो) - सदस्य 4. संचालक /आयुक्त द्वारा नामित एक जिला कार्यक्रम अधिकारी - सदस्य 5. संचालक/आयुक्त द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ - सदस्य 6. सहायक संचालक स्थापना - सदस्य सचिव	प्रतिनियुक्ति से भी पद भरा जा सकता है ।
7	महिला परिचारिका	18	35	आठवीं उत्तीर्ण	- तदैव -	

महिला एवं बाल विकास विभाग

अनुसूची चार

(नियम 13 देखिये)

तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (अराजपत्रित)

स. क्र.	उन पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है ।	सेवा के पदों का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना हैं ।	कॉलम (2) में वर्णित पद पर सेवा की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सहायक महिला एवं बाल विकास विस्तार अधिकारी	पर्यवेक्षक	5 वर्ष	1. संचालक /आयुक्त या उनके द्वारा नामित अधिकारी अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक/उपसंचालक (स्थापना)-सदस्य 3. अजा/अजजा संवर्ग के नामित अधिकारी (यदि समिति में स्वमेव न हो तो) - सदस्य 4. संचालक/आयुक्त द्वारा नामित एक जिला कार्यक्रम अधिकारी-सदस्य 5. सहायक संचालक स्थापना - सदस्य सचिव
2	काफ्ट शिक्षिका महिला शिक्षिका	अधीक्षिका बाल संरक्षण गृह	5 वर्ष	-तदैव-
3	मांटेसरी शिक्षिका बालवाड़ी शिक्षिका	काफ्ट शिक्षिका/ महिला शिक्षिका	5 वर्ष	-तदैव-
4	नर्स (झूलाघर)	महिला शिक्षिका	5 वर्ष	-तदैव-

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2008

क्रमांक एफ 1-12/2008/म.बा.वि./50.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-12/2008/म.बा.वि./50, दिनांक 24-04-2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. देवांगन, उप-सचिव.

Raipur, the 24th April 2008

No. F 1-12/2008/WCD/50.—In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment of the Chhattisgarh Women and Child Development Department Executive Class-III (Non-Gazetted) recruitment Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement :-** (i) These rules may be called the Chhattisgarh Women and Child Development Department, Executive Class-III (Non Gazetted) service recruitment Rules – 2008.

   (ii) It shall come into force from the date of their notification in the official Gazette"

2. **Definitions :-** In these rules unless the context otherwise requires –

   (a) "Appointing authority" in respect the service, means the **Director / Commissioner** Women and child development Department of Chhattisgarh.

   (b) "Committee" means the departmental/selection/promotion committee constituted for promotion as specified in schedule-III and schedule-IV.

   (c) "Government" means the Government of Chhattisgarh.

   (d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh.

   (e) "State" mean the /stage of Chhattisgarh .

   (f) "Schedule" means a schedule appended to those rules.

   (g) "Schedule Castes" means or means the schedule caste as specified in relation to this under Article 341 of the Constitution of India.

(h) "Schedule Tribes" means the schedule Tribes as specified in relation this under Article 342 of the Constitution of India.

(i) "Other Backward Classes" means the other backward classes specified by the amendments from time to time by the Government in the notification no. F-8-5-twenty five-4-84 dated 26-12-84.

(j) "Service" means the Chhattisgarh Woman and Child development Department Class-III executive (Non-Gazetted) service.

(k) "Head of the Department" means the Director or Commissioner of the Woman and Child development Directorate, as per the context requires.

3. **Scope and application** :- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh (General Condition and Services) Rules – 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service** - The service shall consist of the following persons, namely -

(i) Persons who at the commencement of these rules are holding in officiating capacity the posts specified in schedule-I.

(ii) Persons recruited to the service before the commencement of these rule.

(iii) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay etc.** - The classification of the service, the scale of pay attached there to and the number of the posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in schedule-I.

Provided that government may from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment** - (1) Recruitment to the service often the commencement of these rules shall be made by the following methods namely:

(a) By Direct recruitment or by selection through competitive examination .

(b) By promotion of members of service as are specified in column (2) of schedule-IV.

(c) By transfer / deputation of persons who held in a substantive capacity such post in such services as may be specified for this behalf.

(d) Only females shall be eligible for the post of supervisors.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub rule (1) shall not at any time exceed the percentage mentioned in schedule-II. Of the number of post specified in schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the services as may be required to be filled during any particular period or recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with the Government.

(4) Not withstanding anything contained in sub rule (1), if in the opinion of the appointing authority the exigencies of the services so require, the appointing authority may after obtaining the approval General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may be order issued in this behalf, prescribe.

(5) The parameters for the posts to be filled by direct recruitment by selection on merit basic will be fixed by the Government through constitution of a selection committee for this purpose by the Head of the Department will be necessary, which may adopt these and other rational parameters with the concurrence of the government.

(6) The provisions of Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act-1994 shall also be applied.

7. **Appointment to the service** - All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the method of recruitment specified in rule-6.

8. **Conditions of eligibility of direct recruitment.** - In order to be eligible for selection a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) **Age** :

(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and not attained the age as specified in column (4) of the said schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 (five) years if a candidate belongs to a Schedule Caste, Scheduled Tribe or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable upto the maximum of 10 (ten) years according to the provisions of Rule-4 of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provisions for Recruitment of Women) Rules – 1997.

(d) The upper age limit will also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below -

(i) A candidate who is a permanent Government. servant should not be more than 38 (thirty eight) years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for an another post should not be more than 38 years of age. The concession shall also be admissible to the contingency paid employees. work charged employees and employees, working in the project implementation committees.

(iii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 (seven) years even if it represents more

than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation – The term "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary government services of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age, the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation – The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus, as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:-

(i) Ex-serviceman released under mustering out concessions.

(ii) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short tem engagement (b) fulfilling the conditions of enrolment

(iii) Ex personnel of Madras Civil Unit.

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers)

(v) Officers discharge after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(vi) Ex-servicemen invalid out of service.

(vii) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(viii) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun shot wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable by 5 (five) years of age in respect of destitute and divorced women candidates.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 2 (two) years in respect of those candidates who are holding green card under the family welfare programme.

(h) The general upper age limit shall be relaxed upto 5 (five) years in respect of awarded Superior caste partner (husband/wife) of a couple under the Inter Caste Marriage intensive programme of the Tribal Schedule caste and Backward Classes Welfare Department.

(i) The upper age limit shall be relaxed upto 5 (five) years in respect of Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Pravir Chandra Bhanjdeo Award and National Youth Award holder candidate.

(j) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are employee of the Chhattisgarh State Corporation / Board.

(k) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non Commissioned Officer of Home Guard for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 (eight) years, but in no case the age should exceed 38 (thirty eight) years.

Note-(1) :- Candidates who are admitted to the selection under the age concession mentioned in sub clause (i) and (ii) of clause (d) of Rule-8 above will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. **The departmental candidates must obtaine previous permission of the appointing authority to appear for the examinations.**

(1) In directions in relation to the age limit of the candidates passed from time to time by the General Administration Department of the Chhattisgarh State shall also be followed.

(2) Educational Qualification – The Candidates must posses the educational qualification prescribed for the service as shown in schedule-III.

Provided that-

(a) In exceptional cases, the committee may treat as qualified a candidate, who though, not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed the examinations conducted by other institution by a standard which, in the opinion of the committee justify the admission of the candidate to the examination selection.

(b) Candidate, who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign universities being universities not specifically recognized by Government may also be considered for selection at the discrietion of the committee.

(3) Fees – Candidates must pay the fees prescribed by the Appointing Authority .

9. **Disqualification** – Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority .to disqualify him for appearing in the examination.

10. **Appointing Authority's Decision of the Candidates Final**– The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of candidates for admission to the selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not be issued by the Appointing Authority shall be interview by the selection committee.

11. **Direct Recruitment** – (1) Competitive Examination. –there shall be constituted a committee consisting of members mentioned in Schedule III. For undertaking Competitive examination/making preliminary selection of eligible candidate.

(2) By Selection – (i) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the appointing authority may from time to time determine. (ii) The selection of candidate for the service shall be made by the Committee after

interviewing them and if necessary the candidate may be required to under-go a written test/drawing test/ field survey test.

(3) By Competitive examination- (i) A Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals, as the Appointing Authority may, in consultation with the Committee, from time to time determine. (ii) The examination . shall be conducted by the Committee in accordance with such order as the Government may, from time to time, issue.

(4) Subject to the provision of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of service) Rules 1961 candidates shall be considerd for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(5) At the stage of direct recruitment, the posts shall be reserved for the candidates who are the member of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes according to the provisions of Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes) Act 1994 (Act XXI of 1994)

(6) In filling the vacancies so reserved, candidates who are member of Schedule Caste, Schedule Tribe and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule-12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(7) Candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribe or the Other Backward Classes recommended by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserve for the candidates of the Schedule Castes, Schedule Tribe or Other Backward Classes as the case may be.

(8) Except those posts specified only for females, 30 percent of posts for direct recruitment shall be reserved for the female candidates according to the provisions of Chhattisgarh Civil Service (Special Provisions for Recruitment of Women) Rules – 1997.

(9) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the posts by direct recruitment and in the opinion of competent authority it is

found that the sufficient member of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Class candidates having requisite experience are not likely to be available for recruitment on the reserved posts then the competent authority may relax the condition of experience in respect of Scheduled Caste / Scheduled Tribe and Other Backward Class candidates.

(10) Reservation for physically handicapped candidates shall be according to the guidelines of the General Administration Department.

12. Procedure for limited direct recruitment – Following procedure shall be adopted for providing opportunity to the Anganwadi workers having required qualification for limited direct recruitment as supervisor. But not exceed 25 percent worker.

Qualification – Following shall be the qualification for Anganwadi workers to be included in the procedure of direct recruitment to the post of supervisor from Anganwadi worker.

(1) The educational qualification for Aganbadi workers shall be Higher Secondary Pass (11th according to the old course or 12th according to the present 10+2 system).

(2) Continuous 10 years or more service period at the post of Anganwadi worker.

(3) The maximum age of Anganwadi worker shall not exceed 45 years on the first day of January of the year of commencement of examination/ selection. It shall not be relaxable on any ground.

(4) In the recruitment process the guidelines issued from time to time by the General Administration Department shall be followed.

(5) In these posts, selection by limited direct recruitment shall be done through examination / selection conducted by Committee assessed for this purpose by the appointing authority.

13. Appointment by Promotion– (1) There shall be constituted a committee consisting of the member mentioned in schedule-IV for making a selection for promotion of eligible candidate. Provided that for the purpose of constitution of

the committee under this sub-rule, the provisions of Section-8 of the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act 1994 (Act XXI of 1994) shall also be followed.

(2) The committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year

(3) Promotions shall be done according to the provisions of the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules – 2003.

(4) The procedure for promotion on the vacancies shall be according to the rules mentioned in Schedule (4) and the guidelines issued from time to time by the General Administration Department.

14. **Conditions of Eligibility for Promotion/ Transfer** - (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the, Committee shall consider the cases of all persons who, on the 1st day of January of that year had completed such number of year of service (Whether officiating or substantive) in the posts from which promotion is to be made as specified in column (3) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explaination – Procedure for computation of eligibility for promotion: The computation of the period of the qualifying service will be done on the first January of the relevant year in which the meeting of departmental promotional committee / screening committee is called from that calendar year in which he joined the public feeder cadre / part in service / pay scale of the post but not from the date in which he joined the feeder cadre / part in service / pay scale in the post.

(2) Reservation shall be done according to Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules – 2003.

15. **Preparation of list of suitable person** – (1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in rule-14 above and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) Parameter for preparation of select list for promotion of person shall be the seniority subject to fitness.

(3) The names of the persons included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) and (3) of schedule (iv) at the time of preparation of such select list

Explaination: A person whose name is included in select list but who is not promoted during the validity of the list shall have no claim to seniority over those considered in subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Select List** – (1) The list as finally approved by the appointing authority shall form the selection list for promotion of the members of the service to post shown in column (2) and (3) of schedule (iv).

(2) The selection list prepared for promotion in any calendar year shall be valid upto 31st December of that calendar year. Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any persons included in the list, a special review of the list may be made at the instance of the government and may find out the name of such person from the list.

17. **Appointment to the Service from the Select List** – (1) Appointment of the persons included in the select list shall be done by the appointing authority according to the provisions of Public Service (Promotion) Rules - 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment their occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation** – Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation** – If any question arises relating to the interpretation of these rules if shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation** – Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him then that provided in these rules.

21. **Saving** - Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time to in this regard.

22. **Repeal and Saving** – (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

(3) Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. DEWANGAN, Deputy Secretary.

- 13 -

Department of Women and Child Development

Schedule-I

(See Rule-5)

Executive Class-III (Non Gazetted), Recruitment Rules – 2008.

S.No.	Name of posts included in service	No. of posts	Classification	Pay Scale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Statistical Officer	22	Class-III	5500-9000/-	Dying Cadre
2.	Assistant Project Officer	103	Class-III	5000-8000/-	Dying Cadre
3.	Assistant Account Officer	02	Class-III	5000-8000/-	Posts to be filed by deputation from Director Fund & Account
4.	Nutrition Diet Inspector	02	Class-III	4500-7000/-	Dying Cadre
5.	Lady Health Visitor	02	Class-III	4500-7000/-	Dying Cadre
6.	Superintendent (Child Protection Homes)	05	Class-III	4500-7000/-	-
7.	Supervisor	1617	Class-III	4000-6000/-	-
8.	Assistant Women and Child Development Extension Officer		Class-III	3500-5200/-	-
9.	Craft Teacher (Nari Niketan)	03	Class-III	4000-6000/-	-
10.	Woman Teacher (Nari Niketan)	03	Class-III	4000-6000/-	-
11.	Mauntatiory Teacher (Child Protection Homes)	05	Class-III	3050-4590/-	-
12.	Balwadi Teacher (Balwadi cum Sanskar Centre)	04	Class-III	3050-4590/-	-
13.	Nurse	02	Class-III	3050-4590/-	Dying Cadre
14.	Nurse (Jhoolaghar)	02	Class-III	3050-4590/-	-
15.	Women Attendant	02	Class-III	At Collector Rate	-

- 14 -

Department of Women and Child Development

Schedule-II

(See Rule-6)

Executive Class-III (Non Gazetted) recruitment Rules – 2008.

S.No.	Name of Department	Name of Post	No. of posts	Number of posts to be fulfilled			Remark
				By direct recruitment	By promotion of permanent members of service	By transfer from other services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Women and Child Development Department	Assistant Statistical Officer	22	-	-	-	Dying Cadre
2.		Assistant Project Officer	103	-	-	-	Dying Cadre
3.		Nutrition Diet Inspector (Nutrition Diet Programme)	02	-	-	-	Dying Cadre
4.		Lady Health Visitor Nutrition Diet Programme	02	-	-	-	Dying Cadre
5.		Superintendent Child Protection Homes	05	-	100%	-	-
6.		Supervisor	1617	75% direct recruitment and 25% limited direct recruitment	-	-	25% of posts shall be fulfilled by limited direct recruitment of Aganbadi workers
7.		Craft Teacher	03	-	100%	-	-
8.		Women Teacher	03	-	100%	-	-
9.		Mauntatiory Teacher	05	100%	-	-	-
10.		Balwadi Teacher	04	100%	-	-	-
11.		Nurse (Nutrition Diet Programme)	02	-	-	-	Dying Cadre
12.		Nurse (Jhoolaghar)	02	100%	-	-	If required by Deputation also.
13		Women Attendant	02	100%	-	-	-

- 15 -

Department of Women and Child Development

Schedule-III

(See Rule-8)

Executive Class-III (Non Gazetted) recruitment Rules – 2008.

S.No.	Posts included in service	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification	Members of recruitment Selection for Committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Assistant Statistical Officer	-	-	-	Dying Cadre	
2.	Nutrition Diet Inspector	-	-	-	Dying Cadre	
3.	Supervisor	18	35	For direct open recruitment (only for females – Graduation for limited direct recruitment – higher secondary or 12th pass by (10+2) system	1. Director / Commissioner or Officer nominated by him – Chairman 2. Joint Director / Deputy Director (Establishment) – Member 3. Nominated Officer of Scheduled Caste / Scheduled Tribe Cadre (If itself not in committee) – Member 4. One District Programme Officer nominated by Director / Commissioner) – Member. 5. Assistant Director–Establishment – Member Secretary	

- 16 -

4.	Mauntatiory Teacher	18	35	Higher Secondary or 12^{th} pass by (10+2) system **(3 years experience in Pre school education)**	1. Director / Commissioner or Officer nominated by him – Chairman. 2. Joint Director / Deputy Director (Establishment) – Member 3. Nominated Officer of Scheduled Caste / Scheduled Tribe Cadre (If itself not in committee) – Member 4. One District Programme Officer nominated by Director / Commissioner) – Member. 5. Informal education Expert Nominated by Director / Commissioner - Member 6. Assistant Director–Establishment – Member Secretary	
5.	Balwadi Teacher	18	35	Higher Secondary or 12^{th} pass by (10+2) system **(3 years experience in Pre school education)**	- do-	

- 17 -

6.	Nurse (Jhoolaghar)	18	35	Higher Secondary or 12^{th} pass by (10+2) system & Nursing Deploma.	1. Director / Commissioner or Officer nominated by him – Chairman. 2. Joint Director / Deputy Director (Establishment) – Member 3. Nominated Officer of Scheduled Caste / Scheduled Tribe Cadre (If itself not in committee) – Member 4. One District Programme Officer nominated by Director / Commissioner) – Member. 5. Subject Expert Nominated by Director / Commissioner - Member 6. Assistant Director– Establishment – Member Secretary	
7.	Women Attendant	18	35	8^{th} pass	- do-	**At Collector Rate**

Department of Women and Child Development

Schedule-IV
(See Rule-13)

Class-III Executive (Non-Gazetted)

S.No.	Name of posts from which promotion is to be done	Name of the posts of service to which promotion is to be done	Minimum period of service on the post of column (2)	Members of Departmental Promotion Committee
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Assistant Women and Child Development Extension Officer	Supervisor	5 years	6. Director / Commissioner or Officer nominated by him – Chairman 7. Additional Director / Deputy Director (Establishment) – Member 8. Nominated Officer of Scheduled Caste / Scheduled Tribe Cadre (If itself not in committee) – Member 9. One District Programme Officer nominated by Director / Commissioner) – Member 10. Assistant Director– Establishment – Member Secretary

2.	Craft Teacher Women Teacher	Superintend Child Protection Home	5 years	-do-
3.	Mauntatiory Teacher Balwadi Teacher	Craft Teacher Women Teacher	5 years	-do-
4.	Nurse (Jhoolaghar)	Women Teacher	5 years	-do-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. DEWANGAN, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 26 मार्च 2008

क्रमांक-क/भू-अर्जन/6.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	उमरेली प. ह. नं. 07	0.077	कार्यपालन अभियंता, मिनिमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	उमरेली माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 30 अप्रैल 2008

क्रमांक 04/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	रिसदी	102.670	अति. अधी. यंत्री (सि.), सु. सं. क्र. 1, छ. ग. रा. वि. मं., कोरबा पूर्व.	कोरबा दक्षिण ताप विद्युत गृह एवं राखड़ बांध निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 30 अप्रैल 2008

क्रमांक 05/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	रिसदा	10.907	अति. अधी. यंत्री (सि.), सु. सं. क्र. 1, छ. ग. रा. वि. मं., कोरबा पूर्व.	कोरबा दक्षिण ताप विद्युत गृह एवं राखड़ बांध निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 1 मई 2008

क्रमांक/क/भू-अर्जन/05/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	पाहुरबेल प. ह. नं. 41	0.50	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	मालामुण्डा तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 5 मई 2008

क्रमांक/1017/भू-अर्जन/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	सुकमा	रामपुरम्	3.345	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा.	मलंगेर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 5 मई 2008

क्रमांक/1019/भू-अर्जन/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	छिन्दगढ़	अतकारीरास	2.71	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा.	मलंगेर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 5 मई 2008

क्रमांक/1022/भू-अर्जन/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	सुकमा	मुरतोण्डा	9.279	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा.	मलंगेर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 6 मई 2008

क्रमांक/1036/भू-अर्जन/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	सुकमा	जीरमपाल	14.026	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा.	मलंगेर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01 /अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पतराटोली प. ह. नं. 19	1.819	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़.	खमगड़ा जलाशय योजना की स्पील चैनल का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पतराटोली प. ह. नं. 19	0.555	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़.	खमगड़ा जलाशय योजना की आर बी सी मुख्य नहर का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	पतराटोली प. ह. नं. 19	1.757	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़.	खमगड़ा जलाशय योजना की एल बी सी मुख्य नहर का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	रोकबहार प. ह. नं. 19	1.322	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़.	खमगड़ा जलाशय योजना की आर बी सी मुख्य नहर का पूरक भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	सूरजगढ़ प. ह. नं. 12	11.374	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़.	धरजियाबथान जलाशय योजना की आर बी सी मुख्य नहर का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एल. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक/625/प्र.-1/अ. वि. अ./08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बेरला
- (ग) नगर/ग्राम-आनंदगाँव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.13 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14/1	0.44
14/3	0.45
14/8	0.18
88/1	0.01
18	1.99
21	0.09
22	0.28
23	0.24
26	0.18
27	0.05
57	0.17
28	0.07
59	0.13
29	0.06
58	0.08
30	0.27

(1)	(2)
31/1	0.13
34	0.09
31/2	0.06
48/5	0.28
31/3	0.14
32/1	0.16
32/2	0.18
33	0.09
35	0.30
56	0.29
36	0.34
37	0.16
38	0.30
39	2.02
50	0.31
55	0.36
60	0.23
योग 33	10.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके आवश्यकता है-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 22 अप्रैल 2008

क्रमांक/4112/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मनकी, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.55 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
126/1	0.18
126/2	0.21
126/3	0.16
योग	0.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पार्रीनाला एनीकट योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 अप्रैल 2008

क्रमांक/4113/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सुन्दरा, प. ह. नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
449	0.50
योग 1	0.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पारीनाला एनीकट योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./02/अ-82/वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-तुलसी, प. ह. नं. 111
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.242 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1325	0.279
1326	0.126
1328	0.089
1329/1	0.202
1329/9	0.028
1330	0.178
1331	0.209
1365/7	0.131
योग 8	1.242

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है जोरा-सड्डू-धनेली मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./03/अ-82/वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गुढ़ियारी, प. ह. नं. 107
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-101.105 वर्गमीटर

खसरा नम्बर	रकबा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
1727	
1728	101.105
1729	
योग 3	101.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे अण्डर ब्रिज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./04/अ-82/वर्ष 07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रायपुर खास, प. ह. नं. 106 "अ"
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.360 वर्गमीटर

	खसरा नम्बर	रकबा (वर्गमीटर में)
	(1)	(2)
	241	30.360
योग	1	30.360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- रेल्वे अण्डर ब्रिज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-[illegible]
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-[illegible]

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	792	0.975
	795	0.800
	911	0.170
	796	0.870
	812	0.270
	801	1.730
	895	1.210
	808	0.270
	864	0.340
	874	0.840
	875	0.100
	876	0.560
	891	0.044
	910	0.910
	873	0.667
	922	0.800
	927	0.804
	894	1.000
	917	0.830
	896	0.300
योग	20	13.490

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गेरानाला जलाशय योजना का डूबान क्षेत्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 1 मई 2008

स. प्र. क्र. 05/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़
   (ख) तहसील-जशपुर
   (ग) नगर/ग्राम-सोगड़ा
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.180 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
180	0.825
योग 1	0.825

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सोगड़ा जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 1 मई 2008

स. प्र. क्र. 06/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़
   (ख) तहसील-जशपुर
   (ग) नगर/ग्राम-आस्ता
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.655 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
332	0.045
350/1	0.134
356/2	0.093
1057/2	0.040
1087/1	0.101
350/2	0.121
1004/3	0.012
1005	0.069
10057/1	0.040
योग 9	0.655

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सरडीह जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 1 मई 2008

स. प्र. क्र. 07/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़
   (ख) तहसील-जशपुर
   (ग) नगर/ग्राम-डड़गांव
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.480 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11	0.020
28	0.105
30	0.121
57/1 क	0.025
194/2 ख	0.020
199	0.028
240	0.020
264	0.020
452/2	0.121
योग 9	0.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डड़गांव जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 1 मई 2008

स. प्र. क्र. 08/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सरडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.753 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
30/1	0.753
योग 1	0.753

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सरडीह जलाशय योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्रमांक 20.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-गोविन्दा, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.324 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1369/3	0.186

	(1)	(2)
	1369/6	0.138
योग	2	0.324

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चाम्पा शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्रमांक 21.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम्-अफरीद, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1469	0.036
योग	1	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अफरीद डि. ब्यू. के माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्रमांक 22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बारगांव, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	833/1	0.081
योग	1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेण्ड्री माइनर नं. 5 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्रमांक 23.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-भैंसो, प. ह. नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1759	0.085
योग	1	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- डुमरपाली माइनर नं. 5 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्रमांक 24.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-हेड़सपुर, प. ह. नं. 2
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	252/7	0.036
योग	1	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लगरा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्रमांक 25.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-पामगढ़
(ग) नगर/ग्राम-कुटराबोट, प. ह. नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.186 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	365/1	0.109
	365/2	0.057
	372/2	0.020
योग	3	0.186

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भदरा माइनर नं. 1 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्रमांक 26.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मेऊ, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.243 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	789/4	0.081
	789/3	0.073
	715/3	0.089
योग	3	0.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बारगांव माइनर नं. 3 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्रमांक 27.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बारगांव, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	40/3	0.081
योग	1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नेवराबंद माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्रमांक 28.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बिलारी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.320 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
21/4	0.087

(1)	(2)
100/7	0.045
51/2	0.016
50/1	0.137
559/7	0.016
550	0.049
योग 6	0.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बिलारी माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2008

क्रमांक 29.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम चोरिया, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.302 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
929/2 ख	0.020
921/1	0.024
922/1	0.040
902/3, 903/4	0.057
1284/3 ख	0.049
1282/2	0.012
1292/2 क	0.024
1292/7	0.016
1292/5	0.012
1292/4	0.024
1416/2, 1419/1	0.024
योग 11	0.302

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चोरिया माइनर नं. 4 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अप्रैल 2008

क्रमांक 30.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-अफरीद, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.283 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1331/1	
1506	
1507	0.198
1511	
1512	
1332/2	
1333/3	0.008
1331/3	
1334/2	

(1)	(2)
1332/1	
1333/2	0.008
1334/1	
1343	
1348	0.053
1359/3	0.008
1505/2	0.004
1508	0.004
योग	0.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - अफरीद डि. ब्यु. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुकुमार चांद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

राजनांदगांव, दिनांक 28 अप्रैल 2008

क्रमांक/159/मंडी निर्वाचन/अधि. 2008.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति छुरिया 25, जिला राजनांदगांव के लिए क्षेत्र क्रमांक 25/8 (आमगांव-कु.) के रिक्त पद के लिए निम्नानुसार कृषक सदस्य निर्वाचित घोषित किये गये :—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पदनाम जिसके लिए निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1.	श्री गोविन्द आ. लतेल	कृषक सदस्य	ग्राम व पोस्ट–आमगांव व्हाया-बांधाबाजार, जिला–राजनांदगांव.

स्थान – राजनांदगांव
दिनांक – 28 अप्रैल, 2008

संजय गर्ग,
कलेक्टर एवं जिला
निर्वाचन अधिकारी.

वन मण्डलाधिकारी रायगढ़ वन मंडल रायगढ़ (छ. ग.)

रायगढ़, दिनांक 5-12-2007

क्रमांक/स्था. 336.— छत्तीसगढ़ फारेस्ट मैनुअल में प्रदत्त प्रशासनिक अधिकारों को प्रयोग में लाते हुये रायगढ़ वन मण्डल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र घरघोड़ा का विकास खण्ड के अनुसार गहन सुरक्षा की परिधि में समाहित करते हुये परिसरों (बीट) का पुनर्गठन निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त आदेश की तिथि से प्रभावशील होगा.

जिले का नाम	वन मण्डल का नाम	उप वन मण्डल का	परिक्षेत्र का नाम	परिक्षेत्र सहायक वृत्त	प्रस्तावित परिसर का	कक्ष क्र0 पुराना	कक्ष क्र0 नया	वन क्षेत्र (हे.में) आरक्षित वन	संरक्षित वन	नारंगी क्षेत्र	योग क्षेत्रफल	सम्मिलित ग्राम का नाम	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	कया	कनतरा	487 AP	1298P	-	145.450			कमतरा	उत्तर:— धरमजयगढ़ परिक्षेत्र की सीमा
						487 BP	1299P	-	37.575			राहसपुर	पूर्व:— धरमजयगढ़ परिक्षेत्र ग्राम डूंगबीरा की सीमा
						489 P	1301P	-	10.181			कर्रीकछार	दक्षिण:— आ.वन खण्ड कया क.क्र. 491 की दक्षिणी पश्चिम सीमा ग्राम कया की पूर्वी सीमा से मर्दल नाला होकर संरक्षित वन खण्ड कया क.क्र. 486पी. की पूर्वी उत्तर पश्चिमी सीमा होकर मर्दल नाला तक
						490P	1302P	-	28.116				पश्चिम:— मर्दल नाला से धरमजयगढ़ परिक्षेत्र की सीमा
						488	1300	347.608	-				
						491	1303	75.472	-				
				योग :—				423.080	221.322	-	644.402		
रायगढ़	रायगढ	घरघोड़ा	घरघोड़ा	कया	बटुराकछार	486P	1297P	-	224.155			बटुराकछार	उत्तर:— धरमजयगढ़ परिक्षेत्र की सीमा से मर्दल नाला होकर संरक्षित वन खण्ड कया क.क्र. 486पी की उत्तरी उत्तरी पूर्वी सीमा से मर्दल नाला तक
						485P	1296P	-	53.317			सोनाजोरी	पूर्व:— संरक्षित वन खण्ड कया क.क्र. 486पी की पूर्वी सीमा होकर ग्राम बटुराकछार की पूर्वी सीमा आरक्षित वन खण्ड राई की कक्ष क्र. 493 की पश्चिमी उत्तरी सीमा होकर 499 की दक्षिण सीमा
						484	1215	242.114					दक्षिण:— आ.व. खण्ड राई कक्ष क्र. 499 की पश्चिम सीमा होकर कुरकुट नाला

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						499	1311	178.273					पश्चिम:– आ.व. खण्ड हेमनार कक्ष क्र. 483 की पूर्वी उत्तरी सीमा होकर धरमजयगढ़ परिक्षेत्र की सीमा ।
				योग :–				420.387	277.472		697.859		
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	कया	दनोट	492 p	1304P	-	126.588			दनोट	उत्तर:– आ.वन खण्ड कया क.क्र. 491 की दक्षिणी सीमा से कटाईपाली की दक्षिणी सीमा होकर छाल परिक्षेत्र की सीमा
						493P	1305P	-	49.006			डंगबीरा	पूर्व:– छाल परिक्षेत्र की सीमा से लारीपानी फुटहामुड़ा मार्ग तक
						494 P	1306P	-	52.166			चिल्कागुढ़ा	दक्षिण:– लारी पानी फटामुड़ा मार्ग से ग्राम दनोट की दक्षिणी सीमा से आ.व.खण्ड राई कक्ष 505 की दक्षिणी सीमा मर्दल नाला तक।
						495P	1307P	-	15.450				पश्चिम:– मर्दल नाला से आ.व.खण्ड.राई कक्ष 504 की उत्तरी सीमासे मर्दलनाला होकर आ.व.खण्ड कया की दक्षिणी सीमा
						504	1316	195.443	-				
						505	1317	176.810	-				
				योग :–				372.253	243.210		615.463		
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	कया	कया	497	1309	190.676	-			कया	उत्तर:– संरक्षित वन खण्ड कया की पूर्वी सीमा से मर्दल नाला एवं ग्राम कया की उत्तरी सीमा आ.व.खण्ड कया क.क्र. 491 की पश्चिमी सीमा तक
						498	1310	238.745	-			देवना	पूर्व:– आ.व. खण्ड कया पश्चिमी सीमा होकर मर्दल नाला आ.व.खण्ड राई कक्ष क्र. 504, 503 की पश्चिमी सीमा एवं 497, 498 की दक्षिणी सीमा ।
						503	1315	229.325	-				दक्षिण:– आ.व. खण्ड राई कक्ष क्र. 504 , 503 की पश्चिमी सीमा एवं 497, 498 की दक्षिणी सीमा से ग्राम बदुराकछार की दक्षिणी सीमा तक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						496 P	1308P		125.037				पश्चिम:– ग्राम बटुराकछार की दक्षिणी पूर्वी सीमा से संरक्षित वन खण्ड कया कक्ष क्र.486 पी की पूर्वी सीमा होकर मर्दल नाला तक
				योग :–				658.746	125.037		783.783		
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	घरघोड़ा	बरौद	500	1312	247.515				बरौद	उत्तर:– ग्राम बुलेकेरा की दक्षिणी सीमा से आ.व.खण्ड राई कक्ष क्र. 500,501 की उत्तरी सीमा 497 की दक्षिणी सीमा तक
						501	1313	231.322	-			औरामुड़ा	पूर्व:– आ.व.खण्ड राई कक्ष क्र. 503 की पश्चिमी सीमा 525 संरक्षित वन खण्डल राई उत्तर की पूर्वी सीमा से कक्ष क्र502 की उत्तरी सीमा ग्राम राई की पश्चिमी सीमा से आ.व. खण्ड राई कक्ष क्र. 478की पूर्वी सीमा ग्राम बरौद की पूर्वी सीमा से स.व.खण्ड पतरापाली कक्ष क्र.472पी की दक्षिणी सीमा से ग्राम बिजारी की पश्चिमी सीमा तक धरमजयगढ़ घरघोड़ा राष्ट्रीय राज मार्ग
						478	1287	213.722	-			बुलेकेरा	दक्षिण:– संरक्षित वन खण्ड पतरापाली कक्ष क्र. 472 पी. की दक्षिणी सीमा धरमजयगढ़ घरघोड़ा राष्ट्रीय राज मार्ग
						472 P	1278P	-	102.632				पश्चिम:– कुरकुट नाला संरक्षित वन खण्ड लिटिमुड़ा कक्ष क्र. 473 पी. की पूर्वी सीमा से कुरकुट नाला तक ।
						477 P	1286P	-	47.008				
						480 P	1291P	-	37.424				
						524 P	1365P	-	30.811				
						525 P	1366P	-	8.498				
					Deolaspatra Orange Area		1288	-	-	8.553			
					Dhanki Orange Area		1285	-	-	46.053			
				योग :–				692.559	226.373	54.606	973.538		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	घरघोड़ा	घरघोड़ा	430 P	1235P	-	307.258			भेण्ड्रा,बैहानुड़ा कंचनपुर,कसैया ,टेरम , तेंन्दूटोहा कारीछापर	उत्तरः– कुरकुट नाला से धरमजयगढ़ –घरघोड़ा मार्ग
						435 P	1241P	-	43.219				पूर्वः– धरमजयगढ़ –घरघोड़ा मार्ग ग्राम टेरम तक ग्राम कोगनारा की दक्षिणी सीमा पूर्व की ओर से वन परिक्षेत्र तमनार की सीमा
						429 P	1233P	-	70.738				दक्षिणः-- स.व.खण्ड फुटाडोंगरी क्श क्र. 436 पी किदीया डोगरी कक्ष क्र. 437पी एवं तिलाईपानी कक्ष क्र. 439पी की उत्तरी सीमा कुरकुट नदी तक
						470P	1277P	-	10.520				पश्चिमः-- कुरकुट नदी होते हुये सं.व.खण्ड कुरकुट की पश्चिमी उत्तरी सीमा होकर कुरकुट नदी उत्तर तक
						Kurkut Orange Area	1240	-	-	52.448			
				योग :–				-	431.735	52.448	484.183		
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	कुडुमकेला	कटंगडीह	419	1215	240.977	-	-		कटंगडीह वड़े गुमड़ा	उत्तरः-- आ.व.खण्ड मार कक्ष क्र. 418, की दक्षिणी सीमा से स.व.खण्ड छोटे गुमड़ा कक्ष 432 पी की दक्षिणी सीमा एवं नवागढ़ आनापाली की दक्षिणी सीमा एवं स.व. खण्ड कुरकुट कक्ष 430 पी की उत्तरी सीमा
						433P	1216P	-	30.436	-			पूर्वः– सं.व.खण्ड कुरकुट कक्ष 430 की पश्चिमी सीमा होकर कुरकुट नाला आ.व.खण्ड सुहाई कक्ष 455 की दक्षिणी सीमा तक
						434P	1236P	-	121.742	-			दक्षिणः-- आ.व.खण्ड सुहाई कक्ष 455 की दक्षिणी सीमा से ग्राम भेनारी की पूर्वी उत्तरी सीमा घरघोड़ा --छाल मार्ग तक
						440P	1246P	-	10.747	-			पश्चिमः-- छाल –घरघोडा मार्ग से संरक्षित वन खण्ड कटंगडीह कक्ष 434 पी की पश्चिमी सीमा आ.व. खण्ड मार कक्ष 419 की पश्चिमी सीमा सं.व. खण्ड टेण्डा कक्ष 433 की पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी सीमा से आ.व.खण्ड मार कक्ष 419 की पश्चिमी सीमा तक
						441P	1247P	-	71.624	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						442P	1248P	-	105.735	-			
						443P	1250P	-	27.439	-			
						455	1271	112.587	-	-			
					Chhotegumda (W) Orange Area		1218	-	-	21.450			
					Badegumda (W) Orange Area		1237	-	-	34.907			
					Badegumda (E)A Orange Area		1238	-	-	40.248			
					Badegumda (E)B Orange Area		1239	-	-	16.209			
				योग :—				353.564	367.723	112.814	834.101		
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	नवापारा	टेण्डा नवापारा	412	1208	228.964	-	-		टेण्डा, नवापारा, बस्तीपाली	उत्तर:— आ.व.खण्ड मार कक्ष क्र. 409 की दक्षिणी सीमा
						413	1209	186.797	-	-		सारढाप	पूर्व:— आ.व.खण्ड मार कक्ष क्र. 411, 416, 418, 419 की पश्चिमी सीमा
						414	1210	199.107	-	-		डंगनीनारा	दक्षिण:— स.व.खण्ड टेण्डा कक्ष 433 पी की पश्चिमी सीमा आ.व. खण्ड मार कक्ष 419 एवं स.व. खण्ड कटगडीह कक्ष 434 पी की पश्चिमी सीमा घरघोड़ा —छाल मार्ग तक।
						415	1211	301.074	-	-			पश्चिम:— छाल परिक्षेत्र की सीमा
					Nawapara Orange Area		1266	-	-	27.136			
					Tenda Orange Area		1217	-	-	23.583			
				योग :—				915.942		50.719	966.661		
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	नवापारा	चारमार	444P	1251P	-	58.380	-		भेगारी, चारमार, खोखरोआमा	उत्तर:— ग्राम नवापरा की दक्षिणी सीमा, छाल से घरघोड़ा रोड होकर ग्राम भेगारी की उत्तरी सीमा स.व. खण्ड पहाड़मुड़ा कक्ष क्र. 443 पी की दक्षिणी सीमा से होकर आ.व. खण्ड सुहाई 455 की दक्षिणी सीमा कुरकुट नाला तक
						445P	1252P	-	15.563	-			पूर्व:— कुरकुट नदी
						446P	1253P	-	114.747	-			दक्षिण:— कुरकुट नदी से आ.व.खण्ड सुहाई कक्ष क्र. 453, 452 की दक्षिणी सीमा तथा 451 की उत्तरी सीमा
						450P	1264P	-	115.084	-			पश्चिम:— छाल परिक्षेत्र की सीमा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						452	1268	135.430	-	-			
						453	1269	164.624	-	-			
						454	1270	167.024	-	-			
						Muddhoba Orange Area	1265	-	-	8.251			
						Uttarapatra Orange Area	1249	-	-	13.977			
				योग :–				467.078	303.774	22.228	793.080		
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	नवापारा	नवागढ़	411	1207	273.687	-	-		आमापाली	उत्तर:– आ.व.खण्ड मार कक्ष क्र. 410 की दक्षिणी से हाथी झरिया से कुरकुट नाला तक
						416	1212	252.732	-	-		नवाडीह	पूर्व:– कुरकुट नाला
						417	1213	232.490	-	-		बहिरकेला नवागढ़ बरौनाकुण्डा	दक्षिण:– ग्राम आनापाली, कुरुमाढ़ा की दक्षिणी सीमा होकर छोटे गुमड़ा की दक्षिणी सीमा से भरखानाला से आ.व. खण्ड मार के कक्ष क्र. 418 की दक्षिणी सीमा तक
						418	1214	334.750	-	-		छोटेगुमडा मालीडीह	पश्चिम:– आ.व.खण्ड मार कक्ष क्र. 418, 416, 411 की पश्चिमी सीमा
						431 P	1220P	-	90.354	-			
						432 P	1219P	-	20.016	-			
						Nawagarh (N) Orange Area	1222	-	-	15.819			
						Nawagarh (S) Orange Area	1221			10.790			
						Baraunakunda Orange Area	1229	-	-	41.523			
				योग :–				1,093.659	110.370	68.132	1272.161		
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	नवापारा	जरकट	407	1203	244.610	-			जरकट घरघोड़ी	उत्तर:– आ.व.खण्ड मार के कक्ष क्र. 408, 407 की उत्तरी सीमा एवं 406 की दक्षिणी एवं 405 की पूर्वी सीमा से हाथीझरिया नाला होकर आ.व.खण्ड राबोडोगरी कक्ष 425 की उत्तरी सीमा होकर कुरकुट नाला ।
						408	1204	304.113	-				पूर्व:– कुरकुट नाला
						409	1205	340.309	-				दक्षिण:– कुरकुट नाला से सं.व.खण्ड घरघोड़ी कक्ष क्र. 428 पी की पश्चिमी दक्षिणी सीमा से हाथी झरिया नाला होकर आ.व.खण्ड राई 410, 409 की दक्षिणी सीमा ।
						410	1206	206.219	-				पश्चिम:– छाल परिक्षेत्र की सीमा.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						425	1226	418.989					
						426 P	1225P	-	15.704				
						427 P	1224P	-	14.149				
						428 P	1232P	-	25.386				
				योग :-				1,514.240	55.239	-	1569.479		
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	कुडुनकेला	कुडुमकेला पूर्व	417	1213	232.490	-	-		डुमरपाली, जामपाली, सिंगमौजा	उत्तर:- घरघोड़ा –धरमजयगढ़ राजमार्ग से ग्राम डुमरपाली की उत्तरी सीमा स.व.खण्ड घोघरा कक्ष 476 पी की उत्तरी सीमा एवं पियाई.दरहा की दक्षिणी सीमा कुरकुट नाला तक
						473P	1280P	-	351.348	-		सराईपाली	पूर्व:- कुरकुट नाला होते हुये 473 पी की पूर्वी सीमा से होकर कुरकुट नाला ।
						474P	1281P	-	254.555	-			दक्षिण:- कुरकुट नाला से स.व. बिटीमुड़ा 473पी की दक्षिणी सीमा । पी.डबलु.डी रोड से 474पी पूर्वी दक्षिणी सीमा ।
						475P	1283P	-	105.755	-			पश्चिम:- सं.व.खण्ड लिटीमुड़ा कक्ष क्र. 474 पी की दक्षिणी पश्चिमी सीमा से घरघोड़ा –धरमजयगढ़ राजमार्ग से स.व.खण्ड देवलासपतरा कक्ष क्र. 425 पी की पूर्वी भाग होते हुये घरघोड़ा धरमजयगढ़ मार्ग तक
						476 P	1284P	-	156.451	-			
				योग :-				232.490	868.109	-	1100.599		
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	कुडुनकेला	कुडुनकेला पश्चिम	403	1199	341.299	-			कुडुमकेला नवाडीह	उत्तर:- आ.व. खण्ड मार कक्ष क्र. 402 एवं 401 की दक्षिणी सीमा से बरसाती जलस्त्रोत लिटीमुड़ा नाला तक।
						404	1200	246.342	-				पूर्व:- धरमजयगढ़ –घरघोड़ा मार्ग से स.व.खण्ड देवलासपतरा कक्ष क्र.424 पी की पूर्वी सीमा होकर धरमजयगढ़ घरघोड़ा मार्ग से स.व. लिटिमुड़ा कक्ष 474की दक्षिणी सीमा से धरमजयगढ़ घरघोड़ा मार्ग होते हुये 473 की दक्षिणी सीमा कुरकुट नाला तक ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						405	1201	311.996	-				दक्षिण:– कुरकुट नाला से ग्राम लमडांड की उत्तरी सीमा होकर आ.व. एवं राबो डांगरी कक्ष 425 की उत्तरी सीमा से हाथीझरिया नाला से आ.व. खण्डमार की कक्ष क्र.405 की पूर्वी सीमा एवं कक्ष 406, 403 की दक्षिणी सीमा छाल परिक्षेत्र की सीमा तक
						406	1202	337.170	-				पश्चिम:– छाल परिक्षेत्र की सीमा
						424 P	1227P	-	102.512				
					Lamdad Orange Area		1282	-	-	23.082			
				योग :–				1,236.807	102.512	23.082	1362.401		
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	कुडुनकेला	पुरी	399	1195	351.622	-			पुरी, सागरपुर कोसमघाट	उत्तर:– धरमजयगढ़ परिक्षेत्र की सीमा पूर्व:– लिटीमुड़ानाला से धरमजयगढ़ घरघोड़ा मार्ग तक। दक्षिण:– लिटीमुड़ा नाला आ.व.खण्डमार कक्ष 403 की उत्तरी सीमा तक। पश्चिम:– छाल परिक्षेत्र की सीमा
						400	1196	318.668	-				
						401	1197	375.836	-				
						402	1198	266.586	-				
						420P	1228P	-	11.648				
						421P	1229P	-	11.889	-			
				योग :–				1,312.712	23.537	-	1336.249		
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	कुडुनकेला	पुसल्दा	422 P	1230P	-	47.318			पुसल्दा पिलाईदरहा बुलेकेरा, घोघरा	उत्तर:– धरमजयगढ़ परिक्षेत्र की सीमा आ.व.खण्ड हेनमार कक्ष 484 की दक्षिणी सीमा तक पूर्व:– आ.व.खण्ड हेनमार कक्ष 493 की पूर्वी सीमा से कुरकुटनाला आ.व.खण्ड राई कक्ष 499 की [illegible] सीमा से सं.व.खण्ड बुलेकेरा 480 की उत्तरी सीमा होकर कुरकुट नाला तक ग्राम पियाईदरहा की दक्षिणी सीमा तक। दक्षिण:– ग्राम पियाईदरहा की दक्षिणी सीमा होकर सं.व.खण्ड घोघरा कक्ष क्र. 476पी की उत्तरी सीमा होते हुये डुमरपाली की पूर्वी सीमा तक
						423P	1231P	-	14.655				
						479 AP	1290P	-	30.413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						479 BP	1289P	-	26.900				पश्चिमः— धरघोड़ा – धरमजयगढ़ मार्ग से लिटीमुड़ा नाला धरमजयगढ़ परिक्षेत्र की सीमा ।
						481P	1292P		12.553				
						482	1293	330.014					
						483	1294	276.761					
				योग :–				606.775	131.839	-	738.614		
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	चिमटापानी	चिमटापानी	508 ABC	1320	321.716	-			चिमटापानी	उत्तरः— आ.व.खण्ड राई कक्ष क्र. 505 की दक्षिणी सीमा
						509P	1321P	-	123.016			कांटाझरिया	पूर्वः— लैलुंगा परिक्षेत्र की सीमा
						514 P	1326P	-	25.401			जरीडीह	दक्षिणः— आ.व.खण्ड वेस्ट तोलगे कक्ष क्र. 531 ए की दक्षिणी सीमा होते हुये संरक्षि वन खण्ड दियापानी कक्ष क्र. 517 पी की उत्तरी पश्चिमी दक्षिणी सीमा होते हुये ग्राम कोनपारा की उत्तरी सीमा एवं सं.व.खण्ड बदरापाली कक्ष क्र. 516 पी की दक्षिणी सीमा से ग्राम कांटाझरिया की दक्षिणी सीमा तक ।
						516 P	1328P	-	19.024				पश्चिमः— ग्राम कांटाझरिया की दक्षिणी पश्चिमी सीमा होकर आ.व.खण्ड राई कक्ष 507 की पश्चिमी पूर्वी सीमा होकर ग्राम कुरूंजखोल की पूर्वी सीमा होकर आ.व.खण्ड राई कक्ष 506 की पूर्वी एवं 505 की दक्षिणी सीमा तक
						517 P	1337P	-	100.841				
						518 P	1340P	-	46.336				
						519P	1341P	-	18.202				
						520P	1343P	-	154.359				
						531 AB	1344	295.952	-				
					Chimtapani Orange Area		1339	-	-	29.439			
					Badhandugru Orange Area		1342	-	-	15.145			
				योग :–				617.668	487.179	44.584	1149.431		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
रायगढ़	रायगढ़	घरघोड़ा	घरघोड़ा	चिमटापानी	चोटीगुढ़ा	532P	1347P	-	58.383	-		चोटीगुढ़ा साल्हेपाली रायकेरा नयारामपुर, तिलाईपाली,	उत्तरः– रांरक्षित वन खण्ड कठरापाली कक्ष 516 पी की दक्षिणी सीमा होते हुये सं.व. खण्ड दियापानी कक्ष 517 पी की दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी सीमा होते हुये आ.व. खण्ड वेस्ट तोलगे कक्ष 531 ए की दक्षिणी सीमा से लैलुगा परिक्षेत्र की सीमा ।
						535	1352	273.489	-	-		बिच्छीनारा	पूर्वः– तमनार परिक्षेत्र की सीमा
						536P	1348P	-	14.793	-		कोनपारा	दक्षिणः– तमनार परिक्षेत्र की सीमा
						537P	1349P	-	35.760	-			पश्चिमः– ग्राम कोनपारा की पश्चिमी सीमा ।
						538P	1351P	-	24.211	-			
						539P	1353P	-	30.164	-			
						540P	1354P	-	17.450	-			
						541P	1355P	-	29.246	-			
						542P	1356P	-	12.933	-			
						543P	1357P	-	52.597	-			
						596P	1359P	-	9.774	-			
						597P	1361P	-	38.852	-			
						598P	1362P	-	42.116	-			
						599P	1364P	-	42.069	-			
					Pajhar Orange Area		1338	-	-	18.167			
					Chanadogari Orange Area		1345	-	-	88.562			
					Makhurmuda Orange Area		1346	-	-	57.772			
					Kudhurmauha Orange Area		1350	-	-	23.826			
					Salhepatra Orange Area		1358	-	-	34.398			
					Raikera Orange Area		1360	-	-	41.911			
					Nayadih Orange Area		1363	-	-	11.936			
				योग :–				273.489	408.348	276.572	958.409		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
रायगढ़	रायगढ़	धरघोड़ा	धरघोड़ा	चिमटापानी	पोरडा	502	1314	207.036	-	-		पोरडा, डोरम, रूमकेरा पोरडी	उत्तर:– ग्राम राई की उत्तरी सीमा आ.व.खण्ड राई कक्ष 502 की उत्तरी सीमा, 503, 504 की दक्षिणी सीमा ।
						506	1318	231.254	-	-		कुर्मीभौना	पूर्व:– आ.व.खण्ड राई कक्ष क्र. 508 ए की पश्चिमी सीमा से कक्ष 508 सी की उत्तरी पश्चिमी सीमा एवं 507 की पूर्वी दक्षिणी सीमा ग्राम कांटाझरिया की पश्चिमी दक्षिणी सीमा होते हुये स.व.खण्ड कठरापाली कक्ष क्र. 516पी की पश्चिमी सीमा होते हुये कोनपारा की पश्चिमी सीमा से तमनार परिक्षेत्र की सीमा ।
						507	1319	359.354	-	-			दक्षिण:– तमनार परिक्षेत्र की सीमा
						510P	1322P	-	24.992	-			पश्चिम:– ग्राम कोनपारा की दक्षिण पश्चिम सीमा ग्राम टेरम तक धरघोड़ा –धरमजयगढ़ मार्ग फगुरम की उत्तरी सीमा से स.व.खण्ड पतरापाली कक्ष 472 पी की दक्षिण पूर्वी सीमा होते हुये ग्रम बरौद की पूर्वी सीमा एवं पोरडी की दक्षिणी पश्चिमी सीमा होकर ग्राम राई की दक्षिणी सीमा ।
						511P	1323P	-	32.545	-			
						512P	1324P	-	52.739	-			
						513P	1325P	-	31.544	-			
						515P	1327P	-	17.126	-			
				Dhoram Bhadar (A) Orange Area			1329	-	-	20.283			
				Dhoram Bhadar (B) Orange Area			1330	-	-	5.071			
				Dhoram Bhadar (C) Orange Area			1331	-	-	5.421			
				Dhoram Bhadar (D) Orange Area			1332	-	-	3.443			
				Dhoram Bhadar (E) Orange Area			1333			4.183			
				Porda Orange Area			1334			11.627			
				Dongari (A) Orange Area			1335			25.376			
				Dongari (B) Orange Area			1336	-	-	9.642			
				योग :–				797.644	158.946	85.046	1041.636		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	[illegible]	घरघोड़ा	घरघोड़ा	छर्राटांगर	छर्राटांगर	457	1273	175.180	-			छर्राटांगर डोकरबुड़ा तुमीडीह	उत्तरः-- आ.व.खण्ड सुहाई कक्ष 456 की दक्षिणी सीमा से वनग्राम सुहाई कक्ष 458 की पूर्वी सीमा एवं 459 की दक्षिणी सीमा से तमनार परिक्षेत्र की सीमा तक
						458	1274	144.228	-				पूर्वः-- तमनार परिक्षेत्र की सीमा
						712P	1260P	-	113.975				दक्षिणः-- तमनार परिक्षेत्र की सीमा
						852P	1259P	-	82.595				पश्चिमः-- कुरकुट नाला की सीमा कक्ष क्र.456 की दक्षिणी सीमा तक
				योग :--				319.408	196.570	-	515.978		
[illegible]	[illegible]	घरघोड़ा	घरघोड़ा	घरघोड़ा	अमलीडीह	436P	1242P	-	37.808			अमलीडीह छेडोरिया	उत्तरः-- सं.व.खण्ड तिलाईपाली कक्ष क्र. 439 पी सं.व.खण्ड किदीया डोगरी 437पी एवं 436पी की उत्तरी सीमा खलभुरा नाला बैहामुड़ा ग्रान की दक्षिणी सीमा होकर परिक्षेत्र तमनार की सीमा ।
						437P	1243P	-	28.091			सुमड़ा	पूर्वः-- तमनार परिक्षेत्र की सीमा
						438P	1244P	-	8.244				दक्षिणः-- तमनार परिक्षेत्र की सीमा से आ.व.खण्ड सुहाई कक्ष क्र 459 की दक्षिणी सीमा वन ग्राम सुहाई की पूर्वी सीमा से आ.व. खण्ड सुहाई की दक्षिणी सीमा कक्ष 457 की उत्तरी सीमा कुरकुट नाला ।
						439P	1245P	-	42.158				पश्चिमः-- कुरकुट नाला ।
						456	1272	186.721	-				
						459	1275	256.[illegible]76	-				
						460	1276	142.370	-				
				योग :--				585.667	116.301	-	701.963		
[illegible]	[illegible]	घरघोड़ा	घरघोड़ा	छर्राटांगर	डेहरीडीह	447P	1254P		25.273			डेहरीडीह पनचवा पांकादरहा बिलासखार पानीखेत	उत्तरः-- ग्राम चारमार की दक्षिणी सीमा आरक्षित वन कक्ष क्र. 451 की उत्तरी पूर्वी सीमा से स.व.खण्ड पानीखेत कक्ष क्र 449 की उत्तरी सीमा एवं आ.व.खण्ड सुहाई कक्ष 452, 453 की दक्षिणी पूर्वी सीमा कुरकुट नाला तक ।
						448P	1258P		18.787				पूर्वः-- कुरकुट नाला ।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						449P	1263P	-	282.095				दक्षिण:— तमनार परिक्षेत्र की सीमा ।
						451	1267	240.908	-				पश्चिम:— छाल परिक्षेत्र की सीमा ।
						855P	1261P	-	65.347				
					Godai (A) Orange Area		1255	-		14.315			
					Godai (B) Orange Area		1256	-		3.685			
					Godai (C) Orange Area		1257	-		16.952			
					Chhattarpath Orange Area		1262	-		30.168			
				योग :—				240.908	391.502	65.120	697.530		

के. के. बिसेन,
वन मण्डलाधिकारी.

कार्यालय कलेक्टर कोरिया, भू-अभिलेख शाखा बैकुण्ठपुर (छ. ग.)

कोरिया, दिनांक 1 दिसम्बर 2007

क्रमांक/1843/68/स. अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/07.—छ. ग. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के पृ. क्रमांक एफ 6-138/2004/सात-3 रायपुर दिनांक 06-01-2007 द्वारा कोरिया जिले में 18 नवीन पटवारी हल्के निर्माण की स्वीकृति दी गई हैं. इस स्वीकृति के परिपालन में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुल 96 पटवारी हल्कों (पूर्व के 78 तथा 18 नवीन पटवारी हल्के) का पुनर्गठन निम्न सूची के अनुसार अधिसूचित किया जाता है :-

क्र0	तहसील का नाम	रा0नि0सर्किल का नाम	पटवारी हल्के का नाम	नवीन पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम	ग्राम पंचायत
1	2	3	4	5	6
1	बैकुंण्ठपुर	बैकुण्ठपुर	नगर	1— नगर	नगर
				2— जगतपुर	जगतपुर
				3— लोटान पारा	— " —
				4— गदबदी	गदबदी
	योग :—			4 ग्राम	3
2			उमझर	1— उमझर	उमझर
				2— तिलवन डांड़	— " —
				3— रंटगा	रंटगा
				4— दुधनियां खुर्द	— " —
				5— डोंगरीटोला	— " —
	योग :—			5 ग्राम	2
3			सरडी	1— विशुनपुर	विशुनपुर
				2— जूनापारा	जूनापारा
				3— सरडी	सरडी
				4— शिवपुर	नगर पंचायत
	योग :—			4 ग्राम	3
4			खरवत	1— खरवत	खरवत
				2— चेरवापारा	चेरवापारा
				3— छरछा	— " —
				4— रकया	— " —
				5— सीतापुर	— " —
				6— उरुमदुगा	उरुमदुगा
				7— दुधनियां कला	— " —
	योग :—			7 ग्राम	3

1	2	3	4	5	6
5			बैकुण्ठपुर	1— आनी	आनी
				2— बैकुण्ठपुर	नगर पंचायत
				3— खांड़ा	खांड़ा
				4— भांड़ी	भांड़ी
				5— रामपुर	रामपुर
				6— जनकपुर	— " —
	योग :—			6 ग्राम	4
6			जामपारा	1— केनापारा	केनापारा
				2— जूनापारा	— " —
				3— जामपारा	जामपारा
				4— चेर	चेर
				5— धौराटिकरा	— " —
	योग :—			5 ग्राम	3
7			ओड़गी	1— ओड़गी	ओड़गी
				2— सागरपुर	सागरपुर
				3— हर्राटोला	— " —
				4— फूलपुर	फूलपुर
				5— शंकरपुर	— " —
				6— तलवापारा	तलवापारा
				7— छिंदडांड़	— " —
				8— आमगाँव	आमगाँव
	योग :—			8 ग्राम	5
8			सलका	1— सलका	सलका
				2— भंडारपारा	— " —
				3— सारा	सारा
				4— झलियाडांड़	— " —
				5— सलवा	सलवा
				6— मेक्रो	— " —
				7— बकिरा	— " —
				8— करीलधोवा	— " —
	योग :—			8 ग्राम	3
9			मनसुख	1— मनसुख	मनसुख
				2— चिलका	चिलका
				3— पिपरहिया	— " —
				4— रोबो	— " —
				5— अमरपुर	अमरपुर
				6— सुरमी	— " —
				7— ढोंढीबहरा	— " —
	योग :—			7 ग्राम	3

1	2	3	4	5	6
10			पोटेडांड़	1– केराडोल	नगर निगम
				2– चिताझोर	– " –
				3– खुरसिया	– " –
				4– पोटेडांड़	पोटेडांड़
				5– माटीझरिया	पोटेडांड़
				6– टेंगनी	– " –
				7– डोहड़ा	– " –
	योग :–			7 ग्राम	1
11			नरकेली	1– नरकेली	नरकेली
				2– मझगवां	– " –
				3– मण्डलपारा	– " –
	योग :–			3 ग्राम	1
12			बस्ती	1–बस्ती	बस्ती
				2– परचा	– " –
				3– सरई गहना	सरईगहना
				4– कोट	– " –
				5– मूड़ीझरिया	– " –
				6– खैरातीडांड़	– " –
	योग :–			6 ग्राम	2
13			बड़गांव	1– जामपानी	जामपानी
				2– डोभापानी	– " –
				3– कोरचाडांड़	– " –
				4– तेलईधार	– " –
				5– मोदीपारा	मोदीपारा
				6– देवरी	– " –
				7– नरसिंहपुर	– " –
				8– बड़गांव	बड़गाँव
				9– पतरापाली	– " –
	योग :–			9 ग्राम	3
14			आमापारा	1– आमापारा	आमापारा
				2– चारपारा	– " –
				3– भखार	– " –
				4– कंचनपुर	कंचनपुर
				5– खुटरापारा	– " –
				6– बसदेवपुर	– " –
	योग :–			6 ग्राम	2

1	2	3	4	5	6
15			बरपारा	1– बरपारा	बरपारा
				2– तमजीरा	– " –
				3– चोपन	– " –
				4– जटासेमर	– " –
				5– सनबोथापारा	– " –
				6– झरनापारा	झरनापारा
				7–सत्तीपारा	– " –
				8–कदमनारा	कदमनारा
				9– गोल्हाघाट	– " –
				10– जयपुर	– " –
				11– रघुबीरपुर	– " –
	योग :–			11 ग्राम	3
16		पटना	कुड़ेली	1– कुड़ेली	कुड़ेली
				2– सरंभोका	सरभोका
	योग :–			2 ग्राम	2
17			बुड़ार	1– बुड़ार	वुड़ार
	योग :–			1 ग्राम	1
18			कसरा	1– कसरा	कसरा
				2– डबरीपारा	डबरीपारा
				3– खोंड़री	– " –
	योग :–			3 ग्राम	2
19			अमहर	1– अमहर	अमहर
				2– तरगवां	तरगवां
				3– रामपुर	रामपुर
				4– शिवपुर	– " –
				5– पसला	– " –
	योग :–			5 ग्राम	3
20			महोरा	1– जमगहना	जमगहना
				2– हथबर	– " –
				3– कोटकताल	– " –
				4– महोरा	महोरा
				5– मानपुर	– " –
	योग :–			5 ग्राम	2
21			डकईपारा	1– चम्पाझर	चम्पाझर
				2– डकईपारा	डकईपारा
				3– खैरी	– " –
	योग :–			3 ग्राम	2

1	2	3	4	5	6
22			मुरमा	1– पूटा 2–अंगा 3– मुरमा	पूटा – " – मुरमा
योग :–				3 ग्राम	2
23			बरदिया	1– कटकोना 2– बरदिया 3– पीपरडांड़	कटकोना बरदिया – " –
योग :–				3 ग्राम	2
24			सोरगा	1– सोरगा 2– खोंड़ 3– टेमरी 4– टेंगनी 5– बिलारी	सोरगा खोंड़ – " – टेंगनी – " –
योग :–				5 ग्राम	3
25			पटना	1– सांवारावां 2– जामपारा 3– कटोरा 4– करहिया खांड़ 5– नांदभान 6– करजी 7– पटना	सांवारावां – " – कटोरा – " – – " – करजी पटना
योग :–				7 ग्राम	4
26			गिरजापुर	1– पिपरा 2– आंजोखुर्द 3– गिरजापुर 4– जमड़ी	पिपरा – " – गिरजापुर – " –
योग :–				4 ग्राम	2
27			रनई	1– चिरगुड़ा 2– कोचिला 3– छिंदिया 4– रनई	चिरगुड़ा – " – छिंदिया रनई
योग :–				4 ग्राम	3
28			डुमरिया	1– डुमरिया 2– आंजोकला 3– तेंदुआ	डुमरिया – " – तेंदुआ
योग :–				3 ग्राम	2
तहसील का कुल योग			28	144 ग्राम	71

1	2	3	4	5	6
1	सोनहत	सोनहत	नटवाही	1— आनन्दपुर	आनन्दपुर
				2— गोयनी	— " —
				3— कछुवाखोह	— " —
				4— दसेर	— " —
				5— धनपुर	— " —
				6— नटवाही	नटवाही
				7— कुर्थी	— " —
				8— चुलादर	— " —
				9— सलगवां खुर्द	— " —
	योग :—			9 ग्राम	2
2			सिंघोर	1— सिंघोर	सिंघोर
				2— उधेनी	— " —
				3— खैरवारीपारा	— " —
				4— उज्ञांव	उज्ञांव
				5— पश्चिमपारा	— " —
				6— अमृतपुर	— " —
				7— सेमरिया	— " —
				8— सुकतरा	— " —
	योग :—			8 ग्राम	2
3			रामगढ़	1— रामगढ़	रामगढ़
				2— एतवार	— " —
				3— गरनई	— " —
				4— तुर्रीपानी	— " —
	योग :—			4 ग्राम	1
4			बंशीपुर	1— चन्दहा	चन्दहा
				2— देवतीडांड़	" —
				3— कदना	— " —
				4— गिधेर	— " —
				5— हर्राडीह	— " —
				6— सेराडांड	— " —
				7— वंशीपुर	वंशीपुर
				8— नवांटोला	— " —
				9— कचोहर	— " —
				10— निगनोहर	— " —
				11— कांटो	— " —
	योग :—			11 ग्राम	2

1	2	3	4	5	6
5			अकलासरई	1– अकलासरई	अकलासरई
				2– अमरा	– " –
				3– किशोरी	– " –
योग :–				3 ग्राम	1
6			रजौली	1– भैंसवार	भैंसवार
				2– जामटिकरा	– " –
				3– बदरा	– " –
				4–भट्ठीपारा	– " –
				5– रजौली	रजौली
				6– खोंड़री	– " –
				7– पोंड़ी	पोंड़ी
				8– अमहर	– " –
				9– परिहत	– " –
योग :–				9 ग्राम	3
7			सोनहत	1–मेन्ड्रा	मेन्ड्रा
				2– भलुवार	– " –
				3– रजपुरी	– " –
				4– मझगवां खुर्द	– " –
				5– कछाड़ी	कछाड़ी
				6– रेवला	– " –
				7– जोगिया	– " –
				8– खड़गवांखुर्द (विरान ग्राम)	– " –
				9– भगवतपुर	– " –
				10– छिंगुरा	– " –
				11– सोनहत	सोनहत
				12– भुइंहारीपारा	– " –
				13– सलगवां कला	सलगवां कला
				14– [illegible]	– " –
योग :–				[illegible] ग्राम	4
8			ओदारी	1– ओ[illegible]री	ओदारी
				2– [illegible]	– " –
				3– [illegible]डाल	– " –
				4– [illegible]शहा	कुशहा
				5– [illegible]वरा बहरा	– " –
				6– [illegible]परडांड	– " –
				7– [illegible]रौरीडांड	– " –
				[illegible]	– " –
योग :–				[illegible] ग्राम	2

1	2	3	4	5	6
9			बुड़ार	1– कैलाशपुर	कैलाशपुर
				2– ओरगई	– " –
				3– तेलीमुड़ा	– " –
				4– बुड़ार	बुड़ार
				5– विक्रमपुर	– " –
योग :–				5 ग्राम	2

10			घुघरा	1– बेलिया	बेलिया
				2– महुआपारा	– " –
				3– तंजरा	–"–
				4– ठकुरहत्थी	– " –
				5– पलारीडांड़	– " –
				6– केशगवां	केशगवां
				7– सोनारी	– " –
				8– बसवाही	– " –
				9– घुघरा	घुघरा
				10– काचरडांड़	– " –
योग :–				10 ग्राम	3
11			कठगोड़ी	1– दामुज	दामुज
				2– लब्जी	– " –
				3– दुधनिया खुर्द	– " –
				4– केराझरिया	– " –
				5– बसेर	बसेर
				6– तर्रा	– " –
				7– कठगोड़ी	कठगोड़ी
				8– पुसला	पुसला
				9– कुसमहा	– " –
				10– कछार	कछार
				11– मधला	– " –
				12– अंगवाही	– " –
योग :–				12 ग्राम	5

1	2	3	4	5	6
12			सुन्दरपुर	1– लटमा	लटमा
				2– बड़वार	– " –
				3– पहाड़पारा	– " –
				4– सुन्दरपुर	सुन्दरपुर
				5– मझारटोला	मझारटोला
				6– पत्थरगवां	– " –
				7– बेलाई	– " –
				8– राउतसरई	– " –
				9– नौगई	नौगई
				10– प्रकाशपुर	– " –
				11– मधौरा	– " –
	योग :–			11 ग्राम	4
	तहसील का कुल योग		12	104 ग्राम	31
1	मनेन्द्रगढ़	मनेन्द्रगढ़	घाघरा	1– घाघरा	घाघरा
				2– कुनुक (विरान ग्राम)	– " –
				3– तिलोखन	– " –
				4– धनहर	– " –
				5– बहेराटोला	– " –
				6– भुंइहारीपारा	– " –
				7– रामानुज नगर	– " –
				8– हनुमानपुर	– " –
				9– पसौरी	पसौरी
				10– मौहरी	– " –
				11– बुलाकीटोला	– " –
	योग :–			11 ग्राम	2
2			केल्हारी	1– केल्हारी	केल्हारी
				2– बिछियाटोला	– " –
				3– मनवारी	मनवारी
				4– डांड़हंसवाही	– " –
	योग :–			4 ग्राम	2
3			केलुवा	1– चरवाही	चरवाही
				2– डोंड़की	– " –
				3– बोदरीटोला	– " –
				4– भरतपुर	– " –
				5– लक्ष्मीपुर	– " –
				6– केलुवा	केलुवा
				7– मुड़धोवा	– " –
				8– खरला	– " –
				9– बुढ़वाडांड़	– " –
				10– आमादमक	– " –
				11– श्रीपुर	– " –
				12– श्रीरामपुर	– " –
	योग :–			12 ग्राम	2

1	2	3	4	5	6
4			डुगला	1— डुगला	डुगला
				2— केवटी	— " —
				3— सेमरिया	— " —
				4— डिहुली	—"—
				5— बिरौरीडांड़	— " —
				6— दहियाडांड़	डिहुली
				7— चनवारीडांड़	— " —
				8— रोझी	रोझी
				9— पहाड़हंसवाही	पहाड़हंसवाही
				10— शिवपुर	— " —
				11— घोड़बंधा	— " —
	योग :—			11 ग्राम	4
5			कछौड़	1— कछौड़	कछौड़
				2— देवरा	— " —
				3— बड़काबहरा	बड़काबहरा
				4— केराबहरा	— " —
				5— रोकड़ा	रोकड़ा
				6— कपरिया	— " —
				7— ताराबहरा	ताराबहरा
				8— बैरागी	— " —
				9— विश्रामपुर	— " —
				10— शिवगढ़	— " —
	योग :—			10 ग्राम	4
6			गुमरा	1— गुमरा	गुमरा
				2— बांहीं	— " —
				3— पूटाडांड़	— " —
				4— मुकुटपुर	— " —
				5— महाई	महाई
				6— रतौरा	— " —
				7— लोहारी	— " —
				8 धरमपुर	— " —
				9— देवीगंज (विरान ग्राम)	— " —
	योग :—			9 ग्राम	2

1	2	3	4	5	6
7			बिहारपुर	1– बिहारपुर	बिहारपुर
				2– उदयपुर	– " –
				3– चपलीपानी	– " –
				4– नगवा	– " –
				5– नवाडीह	– " –
				6– पड़ेवा	– " –
				7– सोनहरी	– " –
				8– हंसपुर	– " –
				9– गरूड़डोल	गरूड़डोल
				10– छरछा	– " –
				11– ढुलकू	– " –
				12– बाला	– " –
				13– बालशिव	– " –
योग :–				13 ग्राम	2
8			पेन्ड्री	1– पेन्ड्री	पेन्ड्री
				2– सलवा	– " –
				3– घुटरा	घुटरा
				4– कठौतिया	कठौतिया
				5– शंकरपुर	– " –
योग :–				5 ग्राम	3
9			बरबसपुर	1– बरबसपुर	बरबसपुर
				2– महराजपुर	– " –
				3– अमृतधारा	– " –
				4– उजियारपुर	उजियारपुर
				5– राधारमन नगर	– " –
				6– सोनबरसा	– " –
				7– लोहारी	लोहारी
				8– नवापारा	– " –
				9– सेमरा	सेमरा
				10– दर्रीटोला	– " –
योग :–				10 ग्राम	4
10			नागपुर	1– नागपुर	नागपुर
				2– हर्रा	हर्रा
				3– लाई	– " –
				4– सरभोका	सरभोका
				5– गोरगा	गोरगा
				6– रोंधा	– " –
योग :–				6 ग्राम	4

1	2	3	4	5	6
11			चिरईपानी	1– मुख्तियारपारा	मुख्तियारपारा
				2– सलका	– " –
				3– चिरईपानी	चिरईपानी
				4– बंजी	– " –
				5– रारौला	– " –
				6– सिरियाखोह	–"–
	योग :–			6 ग्राम	2
12			बेलबहरा	1– बेलबहरा	बेलबहरा
				2– उदलकछार	– " –
				3– पिपरिया	पिपरिया
				4– हस्तिनापुर	– " –
				5– सिरौली	सिरौली
				6– नौगई	– " –
				7– कोथारी	कोथारी
				8– खैरबना	– " –
				9– परसगढ़ी	परसगढ़ी
				10– मेन्ड्राडोल	– " –
				11– बरकेला	– " –
	योग :–			11 ग्राम	5
13			लालपुर	1– लालपुर	लालपुर
				2– डंगौरा	डंगौरा
				3– भल्लौर	– " –
				4– साल्ही	साल्ही
				5– बिछली	– " –
				6– डोमनापारा	– " –
				7– बौरीडांड़	बौरीडांड़
				8– चौघड़ा	– " –
				9– चैनपुर	चैनपुर
				10– चिउंटीमार	– " –
	योग :–			10 ग्राम	5
14			मनेन्द्रगढ़	1– मनेन्द्रगढ़	नगर पालिका
				2– झगराखांड़	नगर पालिका
				3– खोंगापानी	खोंगापानी
				4– चनवारीडांड़	चनवारीडांड़
				5– नई लेदरी	नईलेदरी
				6– पुरानी लेदरी	– " –
				7– तेंदूडांड़	तेंदूडांड़
				8– गिद्धडांड़	– " –
	योग :–			8 ग्राम	4

1	2	3	4	5	6
15			पाराडोल	1— पाराडोल	पाराडोल
				2— बंजी	बंजी
				3— बुंदेली	बुंदेली
				4— नारायणपुर	नारायणपुर
				5—छिपछिपी	छिपछिपी
				6— भैंता	— " —
योग :—				6 ग्राम	5
16		खड़ंगवां	कोड़ा	1— कोड़ा	कोड़ा
				2— नेवरी	— " —
				3— धवलपुर	धवलपुर
योग :—				3 ग्राम	2
17			मेन्ड्रा	1— मेन्ड्रा	मेन्ड्रा
				2— बेलबहरा	बेलबहरा
				3— लालपुर	— " —
				4— पैनारी	पैनारी
				5— महादेवपाली	— " —
योग :—				5 ग्राम	3
18			देवाडांड़	1— देवाडांड़	देवाडांड़
				2— कोचका	— " —
				3— सलका	सलका
				4— सारसताल	— " —
				5— फुनगा	फुनगा
योग :—				5 ग्राम	3
19			कटकोना	1— कटकोना	कटकोना
				2— मंगौरा	मंगौरा
				3— बेलकामार	— " —
				4— जरौंधा	जरौंधा
				5— सकड़ा	— " —
				6— परसामुड़ा	— " —
				7— धौरागुड़ा	— " —
योग :—				7 ग्राम	3
20			उधनापुर	1— उधनापुर	उधनापुर
				2— छोटेकलुवा	छोटेकलुवा
				3— कौडीगार	— " —
योग :—				3 ग्राम	2

1	2	3	4	5	6
21			आमाडांड़	1— आमाडांड़	आमाडांड़
				2— जड़हरी	— " —
				3— कदरेंवां	कदरेवां
				4— मेरो	मेरो
				5— बलसोता	— " —
	योग :—			5 ग्राम	3
22			चिरमिरी	1— चिरमिरी	नगर निगम
				2— दुबछोला	दुबछोला
				3— भंडारदेई	— " —
				4— भुकभुकी	— " —
				5— अखराडांड़	अखराडांड़
				6— ब्रम्हपुर	— " —
	योग :—			6 ग्राम	2
23			बरदर	1— बरदर	बरदर
				2— शिवपुर	शिवपुर
				3— लकड़ापारा	— " —
				4— सैदा	सैदा
				5— पीपरवहरा	— " —
				6— मंझौली	— " —
	योग :—			6 ग्राम	3
24			रतनपुर	1— रतनपुर	रतनपुर
				2— कोटेया	— " —
				3— गिद्धमुडी	गिद्धमुड़ी
				4— पेंडरी	पेंडरी
				5— बोड़े मुड़ा	बोड़ेमुड़ा
				6— धनपुर	— " —
	योग :—			6 ग्राम	4
25			खड़गवां	1— खड़गवां	खड़गवाँ
				2— पोंडीडीह	पोंडीडीह
				3— कोड़ांगी	— " —
				4— सिंहपुर	— " —
				5— ठग्गाँव	ठग्गाँव
	योग :—			5 ग्राम	3
26			बंजारीडांड़	1— बंजारीडांड़	बंजारीडांड़
				2— गड़तर	गड़तर
				3— गोविंदपुर	— " —
				4— सोंरा	सोंरा
	योग :—			4 ग्राम	3

1	2	3	4	5	6
27			दुग्गी	1– दुग्गी	दुग्गी
				2– सिंगहत	– " –
				3– पटमा	पटमा
				4– गणेशपुर	– " –
योग :–				4 ग्राम	2
28			चिरमी	1– चिरमी	चिरमी
				2– इंदरपुर	इंदरपुर
				3– खंधौरा	– " –
योग :–				3 ग्राम	2
29			बचरा	1– बचरा	बचरा
				2– लोटाबहरा	– " –
				3– बड़ेसाल्ही	बड़ेसाल्ही
				4– छोटेसाल्ही	छोटेसाल्ही
				5– सांवला	सांवला
				6– पंडिता	– " –
योग :–				6 ग्राम	4
30			पोंड़ी	1– पोंड़ी	पोंड़ी
				2– तोलगा	तोलगा
				3– सकरिया	सकरिया
योग :–				3 ग्राम	3
31			जिल्दा	1– जिल्दा	जिल्दा
				2– तामडांड़	तामडांड़
				3– करवां	– " –
				4– कन्हार बहरा	– " –
				5– जिलीबांध	जिलीबांध
				6– कदमबहरा	– " –
योग :–				6 ग्राम	3
32			बारी	1– बारी	बारी
				2– [illegible]	– " –
				3– [illegible]	अमका
				4– छुरी	– " –
				5– [illegible]	भरदा
				6– [illegible]	– " –
योग :–				6 ग्राम	3
33			बैमा	1– [illegible]	बैमा
				2– [illegible]	– " –
				3– [illegible]	[illegible]
				4– [illegible]	– " –
योग :–				[illegible] ग्राम	2

1	2	3	4	5	6
34.			गेजी	1– गेजी	गेजी
				2– टेडमा	टेडमा
				3– गंगापुर	– " –
	योग :–			3 ग्राम	2
	तहसील का कुल योग		34	222 ग्राम	102
1	भरतपुर	भरतपुर	माड़ीसरई	1– माड़ीसरई	माड़ीसरई
				2– मेहदौली	– " –
				3– हरचौका	हरचोका
				4– घुघरी	– " –
				5– घोरघरा	– " –
				6– बरवाही	बरवाही
				7– बरछा	– " –
				8– संतकियारी	– " –
	योग :–			8 ग्राम	3
2			जनुवा	1– बेला	बेला
				2– उदकी	– " –
				3– चिड़ौला	चिड़ौला
				4– कर्री	– " –
				5– छिरहाटोला	– " –
				6– जवारीटोला	– " –
				7– भुसकाटोला (विरांन ग्राम)	– " –
				8– जनुवा	जनुवा
				9– मरखोरी	– " –
				10– पड़ौली	– " –
				11– देवगढ़	देवगढ़
	योग :–			11 ग्राम	4
3			सिंगरौली	1– सिंगरौली	सिंगरौली
				2– अमराडंडी	– " –
				3– पूंजी	– " –
	योग :–			3 ग्राम	1
4			डोम्हरा	1– नौढ़िया	नौढ़िया
				2– हरई	– " –
				3– डोम्हरा	डोम्हरा
				4– बेलगांव	– " –
				5– [illegible]	– " –
	योग :–			5 ग्राम	2

1	2	3	4	5	6
5			लरकोड़ा	1— भरतपुर	भरतपुर
				2— कन्नौज	— " —
				3— कुंवारी	— " —
				4— लरकोड़ा	लरकोड़ा
				5— बड़काडोल	— " —
				6— डोंगरीटोला	—"—
	योग :—			6 ग्राम	2
6			जनकपुर	1— जनकपुर	जनकपुर
				2— पतवाही	— " —
				3— उष्टा (विरान ग्राम)	— " —
				4— जरडोल	— " —
				5— सेरी	सेरी
				6— मसौरा	— " —
				7— कुदरा	— " —
				8— टिकरीटोला	— " —
	योग :—			8 ग्राम	2
7			चांटी	1— कंजिया	कंजिया
				2— चांटी	चांटी
				3— डोंगरीटोला	—"—
				4— गाजर	—"—
				5— सिरखोला	—"—
				6— जमथान	जमथान
				7— घटई	—"—
	योग :—			7 ग्राम	3
8			मलकडोल	1— मलकडोल	मलकडोल
				2— भुमका	—"—
				3— मन्नौड़	—"—
				4— पिपरियाडोल (विरान ग्राम)	—"—
	योग :—			4 ग्राम	1
9			गड़वार	1— गड़वार	गड़वार
				2— फुलझर	—"—
				3— सनबोरा	—"—
				4— मनटोलिया	—"—
				5— चंदेला	—"—
				6— पटपरटोला	—"—
				7— गोधौरा	गोधौरा
				8— तिलौली	—"—
				9— दर्रीटोला	—"—
	योग :—			9 ग्राम	2

1	2	3	4	5	6
10			आरा	1– कुवांरपुर	कुवांरपुर
				2– ककलेंडी	–"–
				3– माथमौर	–"–
				4– कोइलारा	कोइलारा
				5– कुरकुटी	–"–
				6– पोंड़ी	–"–
				7– जैती	–"–
				8– तोजा	तोजा
				9– तोजी	–"–
				10– आरा	–"–
				11– पोटाझोरखी	–"–
				12– मटिया (विरान ग्राम)	–"–
	योग :–			12 ग्राम	3
11			रामगढ़	1– रामगढ़	रामगढ़
				2– गिरवानी	–"–
				3– सगरा	–"–
				4– मोहनटोला	मोहनटोला
				5– मट्टा	–"–
				6– बलौद	–"–
				7– नगरी	–"–
	योग :–			7 ग्राम	2
12			बहरासी	1– खांड़ाखोह	खांड़ा खोह
				2– उचेहरा	–"–
				3– पिछौराबांध	–"–
				4– खेतौली	–"–
				5– लाखनटोला	लाखन टोला
				6– जोलगी	–"–
				7– तरतोरा	–"–
				8– बहरासी	बहरासी
				9– कासीटोला	–"–
	योग :–			9 ग्राम	3
13		कोटाडोल	भंवरखोह	1– उमरवाह	उमरवाह
				2– कारीमाटी	–"–
				3– चुटकी	–"–
				4– बेनीपुरा	–"–
				5– भंवरखोह	–"–
				6– हर्री	–"–
	योग :–			6 ग्राम	1

1	2	3	4	5	6
14			धोवाताल	1– धोवाताल,	धोवाताल
				2– सुतरी	धोवाताल
				3– मनटोलिया	–"–
				4– बरैल	–"–
				5– केसौड़ा	–"–
				6– बघेल	–"–
				7– पोटारक्सा	–"–
				8– घटमा	–"–
				9– मनोरा	–"–
				10– डंड़वाझर	–"–
	योग :–			10 ग्राम	1
15			खमरौध	1– मैनपुर	मैनपुर
				2– करवां	–"–
				3– देवगढ़खोह	–"–
				4– बड़वार	–"–
				5– दुधासी	दुधासी
				6– खमरौध	–"–
				7– लरघाडंडी	–"–
				8– जुइली	जुइली
				9– रांपा	–"–
				10– परेवाडोल	–"–
	योग :–			10 ग्राम	3
16			भगवानपुर	1– बरहोरी	बरहोरी
				2– ओहनिया	–"–
				3– पंडरी	–"–
				4– भगवानपुर	भगवानपुर
				5– रेंद	–"–
				6– बघवार	–"–
				7– सेमरिया	सेमरिया
				8– हथवारी	–"–
				9– कठर्राडोल	–"–
	योग :–			9 ग्राम	3

1	2	3	4	5	6
17			घाघरा	1– अक्तवार	अक्तवार
				2– कुदरा	–"–
				3– पटपरहा	–"–
				4– च्यूल	–"–
				5– दुलारी	अक्तवार
				6– नारायनपुर	–"–
				7– पटासी	–"–
				8– घाघरा	घाघरा
				9– लवाहोरी	–"–
				10– सादनटोला	–"–
योग :–				10 ग्राम	2
18			कोटाडोल	1– कोटाडोल	कोटाडोल
				2– खिरकी	–"–
				3– सरंगवाह	–"–
				4– धनौली	–"–
				5– बरौता	बरौता
				6– भुमका	–"–
				7– मसर्रा	–"–
				8– धुम्माडोल	–"–
				9– जमुनिया	–"–
				10– ढाबधवई (विरान ग्राम)	–"–
				11– नेरूवा	नेरूवा
				12– कोरमी	–"–
				13– ठोरगी	–"–
				14– ढाब	–"–
				15– कटरेंगी	–"–
				16– खोहरा	–"–
				17– रजरावल	–"–
				18– गिधेर	–"–
				19– कोदवरिया (विरान ग्राम)	–"–
योग :–				19 ग्राम	3
19			कमर्जी	1– कमर्जी	कमर्जी
				2– ओदारी (विरान ग्राम)	–"–
				3– छतौड़ा	–"–
				4– नेउर	–"–
				5– नौगई	–"–
				6– मुलुकनार	–"–
योग :–				6 ग्राम	1

1	2	3	4	5	6
20			मुर्किल	1– बड़गांवखुर्द	बड़गांव खुर्द
				2– गोपदनगर	–"–
				3– ठिसकोली	–"–
				4– खोखनिया	–"–
				5– सुखाड़	–"–
				6– मोगरा	–"–
				7– सोनवाही	–"–
				8– मुर्किल	मुर्किल
				9– रिसागाड़ा	–"–
योग :–				9 ग्राम	2
21			देवसिल	1– देवसिल	देवसिल
				2– कटवार	–"–
				3– कुदरी	–"–
				4– चिखली	–"–
				5– झापर	–"–
				6– औड़ी (विरान ग्राम)	–"–
				7– बगरीडांड़	–"–
				8– रौंक	–"–
				9– सीतापुर	–"–
योग :–				9 ग्राम	1
22			बड़गांवकला	1– बड़गांवकला	बड़गांव कला
				2– ढाबतुमाड़ी	–"–
				3– धनौरा	–"–
				4– बड़ेरा	–"–
				5– मनियारी	–"–
				6– रूसनी	–"–
योग :–				6 ग्राम	1
तहसील का कुल योग			22	183 ग्राम	46
महायोग :–			96	653	

स्थान :–

दिनांक :–

शहला निगार,

कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला महासमुन्द (छ. ग.)

महासमुन्द, दिनांक 21 फरवरी 2008

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक/240/भू-अ./स. अ. भू. अ.-2/हल्का पुनर्गठन/2008.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, कलेक्टर जिला महासमुन्द एतद्द्वारा तहसील महासमुन्द के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूँ :-

क्र.	वर्तमान हल्का बंदी				प्रस्तावित नवीन हल्का		
	तहसील का नाम	रा.नि. मं.	प.ह.न.	ग्राम कानाम	प.ह.न. एवं मुख्यालय	ग्रामकानाम	ग्रामपंचायत कानाम
1	महासमुन्द	पटेवा	1	अमलोर	1पासिद	पासिद	पासिद
2				कर्राडीह		मुड़ियाडीह	पासिद
3				खमतराई		कर्राडीह	पासिद
4				नांदबारू		अमलोर	अमलोर
5				बोरिद		बोरिद	अमलोर
6				मरौद	2सिरपुर	सिरपुर	सिरपुर
7				रायकेरा		खमतराई	सिरपुर
8				सुकुलवाय		सुकुलबांय	सुकुलबांय
9				पासिद		नांदबारू	सुकुलबांय
10				मुड़ियाडीह		मरौद	सुकुलबांय
11				सिरपुर		रायकेरा	सुकुलबांय
12			2	खड़सा	3पीढ़ी	पीढ़ी	पीढ़ी
13				गढ़सिवनी		लहंगर	लहंगर
14				पीढ़ी		खड़सा	लहंगर
15				मोहकम		मोहकम	लहंगर
16			3	अछोला	4गढ़सिवनी	गढ़सिवनी	गढ़सिवनी
17				कुकराडीह		परसाडीह	परसाडीह
18				जोबा		गुड़रूडीह	परसाडीह
19			4	खैरझिटी	5अछोला	अछोला	अछोला
20				गुडरूडीह		जोबा	जोबा
21				तेंदूवाही	6कुकराडीह	कुकराडीह	कुकराडीह
22				परसाडीह		तेंदुवाही	कुकराडीह
23				बेंद्रीडीह		खैरझीटी	खैरझीटी
24				मालीडीह	7मालीडीह	मालीडीह	मालीडीह
25				लहंगर		पिरदा	मालीडीह
26			5	कौवाझर		बेंद्रीडीह	मालीडीह
27				छपोराडीह		कौवाझर	कौवाझर
28				जलकी	8जलकी	जलकी	जलकी
29				पिरदा		छपोराडीह	जलकी

patwari benote

30				बांसकुड़ा		बांसकुड़ा	बांसकुड़ा
31				बिरबिरा		बिरबिरा	बांसकुड़ा
32				कुहरी(डुबान)		कुहरी	बांसकुड़ा
33				ओडार(डुबान)	9अचानकपुर	अचानकपुर	अचानकपुर
34			6	अचानकपुर		बंदोरा	बंदोरा
35				खिरसाली.		खिरसाली	बंदोरा
36				झाकरमुड़ा		रायमुड़ा	बंदोरा
37				धनगांव	10रायतुम	रूमेकेल	रूमेकेल
38				बंदोरा		सिघनगढ़	रूमेकेल
39				रायतुम		धनगांव	रूमेकेल
40				रायमुड़ा		झाखरमुड़ा	रूमेकेल
41				रूमेकेल		रायतुम	रायतुम
42				सिंघनगढ़	11कछारडीह	कछारडीह	कछारडीह
43			7	जोगीडीपा		उलबा	कछारडीह
44				बोड़रा		अमोरा,	कछारडीह
45				भावा		कोलपदर	कोलपदर
46				नवागांव		अमोरी	कोलपदर
47				पटेवा	12डुमरपाली	डुमरपाली	डुमरपाली
48			9	कोकड़ी		रामपुर	डुमरपाली
49				खट्टा		जामपाली	जामपाली
50				तुमसा		सिंधुपाली	जामपाली
51				नवागांव		रेगहाडबरी	जामपाली
52				पचपेड़ी	13कुर्रूभांठा	कुर्रूभांठा	कुर्रूभांठा
53				मानपुर		गोंगल	कुर्रूभांठा
54				रामखेड़ा		ढांक	ढांक
55			10	तेंदूवाही		तेलीबांधा	ढांक
56				बनपचरी	14झलप	झलप	झलप
57				बरेकेल		टुरीडीह	झलप
58				मधुवन	15तुरेंगा	तुरेंगा	तुरेंगा
59				सिनोधा		जोरातराई	तुरेंगा
60				तोरला		सरेकेल	सरेकेल
61				सलिहाभांठा		पाटनदादर	सरेकेल
62			11	दर्रीपाली		सिंघरूपाली	सरेकेल
63				चिरको	16बनपचरी	बनपचरी	बनपचरी
64				छिंदौली		बरेकेल	बनपचरी
65				जोरातराई		मधुबन	बनपचरी
66				सिंधौरी		सिनोधा	सिनोधा
67			12	उल्बा		तेंदुवाही	सिनोधा
68				अमोरा		भावा	सिनोधा
69				अमोरी	17पटेवा	पटेवा	पटेवा
70				कछारडीह		जोगीडीपा	पटेवा
71				कोलपदर		नवागांव	नवागांव
72				गोंगल		बोंडरा	नवागांव
72				पाटनदादर		तुमसा	नवागांव
74				तुरेंगा		झिलमिला	नवागांव

75				सरेकेल		ओडार	नवागांव
76			13अ	तेलीबांधा	18खट्टा	मानपुर	मानपुर
77				डुमरपाली		रामखेड़ा	मानपुर
78				रामपुर		खट्टा	खट्टा
79				सिधुपाली		कोकड़ी	खट्टा
80				ढांक		पचपेडी	खट्टा
81				जामपाली		नवागांव	खट्टा
82				रेगहाडबरी(वीरान		सुवाबाहरा	खट्टा
83			13ब	कुर्रूभांठा	19तोरला	चिरको	चिरको
84				झलप		दर्रीपाली	चिरको
85				टुरीडीह		तोरला	तोरला
86				लखनपुर		सलिहाभाठा	तोरला
87				सिंघरूपाली	20बावनकेरा	बावनकेरा	बावनकेरा
88			14	खम्हारमुड़ा		चौकबेड़ा	चौकबेड़ा
89				गुड़ेलाभांठा		बमुरडीह	चौकबेड़ा
90				छिलपावन		खम्हारमुड़ा	चौकबेड़ा
91				मुनगासेर	21छिंदौली	सिधौरी	सिधौरी
92				सिंघनपुर		नवापारा	सिधौरी
93				बरभांठा		फुलवारी	सिधौरी
94			15	खम्हारमुड़ा		छिंदौली	छिंदौली
95				चौकबेड़ा	22छिलपावन	छिलपावन	छिलपावन
96				नवापारा		सिंघनपुर	सिंघनपुर
97				फुलवारी		बरभाठा	सिंघनपुर
98				बंबूरडीह		खम्हारमुड़ा	सिंघनपुर
99				बावनकेरा	23मुनगासेर	मुनगासेर	मुनगासेर
100			16	कुल्हरिया		गुढ़ेलाभांठा	मुनगासेर
101				पत्थर्री		लखनपुर	लखनपुर
102				भटगांव	24पचरी	पचरी	पचरी
103				सराईपाली		पंडरीपानी	पचरी
104				शुकलाभांठा(वीरान		जोबा	जोबा
105				केरामुड़ा		गोंड़पाली	जोबा
106				नरतोरा	25नरतोरा	बरेकेलकला	बरेकेलकला
107				फरफौद		नरतोरा	नरतोरा
108			17	गोंड़पाली	26पत्थर्री	पथर्री	पथर्री
109				जोबा		कुल्हरिया	पथर्री
110				पचरी		केरामुड़ा	पथर्री
111				पंडरीपानी		भटगांव	भटगांव
112				बरेकेल कला		सराईपाली	भटगांव
113						फरफौद	भटगांव
114						शुकलाभांठा	भटगांव
115		महासमुन्द	77	खट्टी	27 झारा	झारा	झारा
116				जिवतरा		चितमखार	झारा
117				परसदा		पाली	पाली
118				लभराकला		मुड़ीयाडीह	पाली

119			78	कनेकेरा	28सिंघी	सिंघी	सिंघी
120				धनसुली		सोरम	सोरम
121				भोयनाबाहरा(वीरान		नायकबांधा	सोरम
122				मुरकी		परसापाली उर्फलोहारगांव	सोरम
123				मोरधा	29कौंदकेरा	लोहारडीह	लोहारडीह
124				शेर		कौंदकेरा	कौंदकेरा
125			79	कोना		बनसिवनी	कौंदकेरा
126				बकमा	30तुमगांव	तुमगांव	तुमगांव
127				मोंगरा		बेलटुकरी	बेलटुकरी
128				साल्हेभांठा		अमावस	बेलटुकरी
129			80	कोसरंगी	31भोरिंग	अछोली	अछोली
130				केशवा		भोरिंग	भोरिंग
131				झालखम्हरिया	32अछरीडीह	बड़गांव	बड़गांव
132				बोरियाझर		बरबसपुर	बड़गांव
133				सिड़ीगिड़ीजामली		अछरीडीह	अछरीडीह
134			81	चोरभट्टी	33बिरकोनी	बिरकोनी	बिरकोनी
135				नवापारा		घोड़ारी	घोड़ारी
136				परसदा	34कांपा	कांपा	कांपा
137				पतेरापाली		परसवानी	कांपा
138				पिटियाझर		गोपालपुर	गोपालपुर
139				मुड़मार		खट्टीडीह	गोपालपुर
140				लभराखुर्द		मुस्की	गोपालपुर
141			82	उमरदा	35परसदा	परसदा	परसदा
142				कौंदकेरा		नवापारा	परसदा
143				गौरखेड़ा		सोरिद	सोरिद
144				बनसिवनी		चोरभठ्ठी	सोरिद
145				लोहारडीह	36बेमचा	बेमचा	बेमचा
146				सोरिद		खरोरा	खरोरा
147			83	अमावस	37बेलसोंडा	मुढ़ेना	मुढ़ेना
148				कांपा		बेलसोंडा	बेलसोंडा
149				गोपालपुर	38नांदगांव	साराडीह	साराडीह
150				तुमगांव		नांदगांव	नांदगांव
151			84	बेलटुकरी	39बम्हनी	बम्हनी	बम्हनी
152				भोरिंग		चिंगरौद	चिंगरौद
153			85	अछरीडीह	40बरोंडाबाजार	लाफिनखुर्द	लाफिनखुर्द
154				अछोली		बरोण्डाबाजार	बरोंडाबाजार
155				बड़गांव		परसठ्ठी	बरोण्डाबजार
156			86	खट्टीडीह	41मचेवा	लाफिनकला	लाफिनकला
157				बरबसपुर		भुरका	लाफिनकला
158				बिरकोनी		मचेवा	मचेवा
159			87	खरोरा		परसकोल	मचेवा
160				घोड़ारी	42महासमुन्द	महासमुन्द	नगरपालिका
161				बेलसोंडा		पिटियाझर	नगरपालिका
162			88	परसवानी	43भलेसर	भलेसर	भलेसर

163				बेमचा		खैरा	खैरा
164				मुसकी	44लभराखुर्द	लभराखुर्द	लभराखुर्द
165			89	खैरा		उमरदा	उमरदा
166				महासमुन्द		गौरखेड़ा	उमरदा
167			90	परसकोल		पतेरापाली	उमरदा
168				भलेसर		मुड़मार	उमरदा
169				भुरका	45झालखम्हरिया	झालखम्हरिया	झालखम्हरिया
170				मचेवा		सिड़ीगिड़ीजामली	झालखम्हरिया
171				लाफिनकलॄ		बोरियाझर	बोरियाझर
172			91	नांदगांव	46मोंगरा	मोंगरा	मोंगरा
173				मुढ़ेना		साल्हेभांठा	मोंगरा
174				साराडीह		शेर	शेर
175			92	चिंगरौद	47कनेकेरा	कनेकेरा	कनेकेरा
176				परसट्टी		मोरधा	मोरधा
177				बम्हनी		मुरकी	मोरधा
178				बरोंडाबाजार	48बकमा	बकमा	बकमा
179				लाफिनखुर्द		कोना	बकमा
180			08	परसापाली		केशवा	बकमा
181				नायकबांधाउर्फउल्बा		धनसुली	धनसुली
182				सिंघीं		भोयनाबाहरा	धनसुली
183				सोरम	49खट्टी	खट्टी	खट्टी
184				सुवाबाहरा		कोसरंगी	कोसरंगी
185				झिलमिला	50लभराकला	लभराकला	लभराकला
186						परसदा	परसदा
187						जीवतरा	परसदा

सुरेन्द्र कुमार जायसवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) धमतरी

धमतरी, दिनांक 26 दिसम्बर 2007

क्रमांक/1772/भू-अभि./हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं टी. सी. महावर, कलेक्टर जिला धमतरी एतद्द्वारा तहसील धमतरी के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूँ :-

सूची

अ.नु.क.	तहसील का नाम	रा.नि.सर्किल का नाम	पटवारी हल्के का कमांक व नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	5
1	धमतरी	भोथली	1 बागतराई	बागतराई
2	धमतरी	भोथली		मड़ाईभाठा
3	धमतरी	भोथली		अमलीडीह
4	धमतरी	भोथली		मोखा
5	धमतरी	भोथली	2 रांवा	रांवा
6	धमतरी	भोथली		कुर्रा
7	धमतरी	भोथली		भोथीपार
8	धमतरी	भोथली	3 तरसीवा	तरसीवा
9	धमतरी	भोथली		भानपुरी
10	धमतरी	भोथली	4 कुरमातराई	कुरमातराई
11	धमतरी	भोथली		पीपरछेड़ी
12	धमतरी	भोथली	5 दरगहन	दरगहन
13	धमतरी	भोथली		रीवांगहन
14	धमतरी	भोथली	6 गुजरा	गुजरा
15	धमतरी	भोथली		डोमा
16	धमतरी	भोथली	7 जुनवानी	जुनवानी
17	धमतरी	भोथली		खम्हरिया
18	धमतरी	भोथली		बिरेतरा
19	धमतरी	भोथली	8 गोपालपुरी	गोपालपुरी
20	धमतरी	भोथली		बोड़रा
21	धमतरी	भोथली		धौराभाठा
22	धमतरी	भोथली		रावनगुड़ा

23	धमतरी	भोथली	9 डाही अंगारा	डाही अंगारा
24	धमतरी	भोथली		हंकारा
25	धमतरी	भोथली		कसही
26	धमतरी	भोथली	10 सेमरा	सेमरा
27	धमतरी	भोथली		सेनचुवा
28	धमतरी	भोथली	11 पुरी	पुरी
29	धमतरी	भोथली		बिजनापुरी
30	धमतरी	भोथली		सरसोपुरी
31	धमतरी	भोथली	12 छाती	छाती
32	धमतरी	भोथली		उड़ेना
33	धमतरी	भोथली	13 झिरिया	झिरिया
34	धमतरी	भोथली		देवरी
35	धमतरी	भोथली		बोदाछापर
36	धमतरी	भोथली	14 नवागांव	नवागांव
37	धमतरी	भोथली		सिवनीखुर्द
38	धमतरी	भोथली	15 ढिमरटिकुर	ढिमरटिकुर
39	धमतरी	भोथली		बारना
40	धमतरी	भोथली		दोनर
41	धमतरी	भोथली		सेमरा
42	धमतरी	भोथली	16 कण्डेल	कण्डेल
43	धमतरी	भोथली		देवपुर
44	धमतरी	भोथली		गागरा
45	धमतरी	भोथली		पीपरछेड़ी
46	धमतरी	भोथली	17 भोथली	भोथली
47	धमतरी	भोथली		बोडरा
48	धमतरी	भोथली		सांकरा
49	धमतरी	भोथली		बलियारा
50	धमतरी	भोथली		डोड़की
51	धमतरी	भोथली	18 सम्बलपुर	सम्बलपुर
52	धमतरी	भोथली		परेवाड़ीह
53	धमतरी	भोथली		तेलीनसत्ती
54	धमतरी	भोथली		उसलापुर
55	धमतरी	भोथली		लिमतरा
56	धमतरी	भोथली	19 बठेना	बठेना
57	धमतरी	भोथली		अर्जुनी
58	धमतरी	भोथली		खपरी
59	धमतरी	भोथली		देमार

60	धमतरी	मोथली		शंकरदाह
61	धमतरी	मोथली		सेहराडबरी
62	धमतरी	मोथली	20 पोटियाड़ीह	पोटियाड़ीह
63	धमतरी	मोथली		आमदी
64	धमतरी	मोथली	21 हटकेशर	हटकेशर
65	धमतरी	मोथली		खरतुली
66	धमतरी	मोथली		मुजगहन
67	धमतरी	मोथली		रत्नाबांधा
68	धमतरी	मोथली		परसतराई
69	धमतरी	मोथली		लोहरसी
70	धमतरी	धमतरी	22 धमतरी	धमतरी
71	धमतरी	धमतरी	23 सोरिदभाठ	सोरिदभाठ
72	धमतरी	धमतरी	24 रूद्री	रूद्री
73	धमतरी	धमतरी		बेन्द्रानवागांव
74	धमतरी	धमतरी		श्यामतराई
75	धमतरी	धमतरी		नवागांव
76	धमतरी	धमतरी		भटगांव
77	धमतरी	धमतरी		गोकुलपुर
78	धमतरी	धमतरी	25 सोरम	सोरम
79	धमतरी	धमतरी		बेलतरा
80	धमतरी	धमतरी		गंगरेल (डूबान)
81	धमतरी	धमतरी		मरादेव
82	धमतरी	धमतरी		बोरिदखुर्द
83	धमतरी	धमतरी		कसावाही
84	धमतरी	धमतरी		खिरगीटोला
85	धमतरी	धमतरी		डांगीमाचा
86	धमतरी	धमतरी	26 मड़वापथरा	मड़वापथरा
87	धमतरी	धमतरी		तुमराबाहार
88	धमतरी	धमतरी		चवंर (डुबान)
89	धमतरी	धमतरी		चापगांव (डुबान)
90	धमतरी	धमतरी		तुमाखुर्द (डुबान)
91	धमतरी	धमतरी		विश्रामपुर
92	धमतरी	धमतरी		तुमाबुजुर्ग
93	धमतरी	धमतरी	27 अकलाडोंगरी	अकलाडोंगरी
94	धमतरी	धमतरी		कोहका
95	धमतरी	धमतरी		कोड़ेगांव रै.
96	धमतरी	धमतरी		कोड़ेगांव मा. गु.

97	धमतरी	धमतरी		चिखली
98	धमतरी	धमतरी		माटेगहन
99	धमतरी	धमतरी		तिर्रा
100	धमतरी	धमतरी		कोलियारी
101	धमतरी	धमतरी	28 पंडरीपानी	पंडरीपानी
102	धमतरी	धमतरी		पंडरीपानी ज. पा.
103	धमतरी	धमतरी		बटरेल (डुबान)
104	धमतरी	धमतरी		कोदागहन
105	धमतरी	धमतरी		गालगांव (डुबान)
106	धमतरी	धमतरी		खेरथा (डुबान)
107	धमतरी	धमतरी		सटियारा (डुबान)
108	धमतरी	धमतरी		कोसमी (डुबान)
109	धमतरी	धमतरी	29 मोगरागहन	मोगरागहन
110	धमतरी	धमतरी		भिड़ावर
111	धमतरी	धमतरी		कोडेगाव बी.
112	धमतरी	धमतरी		बारगरी
113	धमतरी	धमतरी		सिंघोला (डुबान)
114	धमतरी	धमतरी		किसनपुरी (डुबान)
115	धमतरी	धमतरी		दरगहन (डुबान)
116	धमतरी	धमतरी		लमकेनी (डुबान)
117	धमतरी	धमतरी	30 अरौद	अरौद
118	धमतरी	धमतरी		बरबांधा
119	धमतरी	धमतरी		पटेलगुड़ा
120	धमतरी	धमतरी		पटौद
121	धमतरी	धमतरी		सिलतरा
122	धमतरी	धमतरी		कोकड़ी (डुबान)
123	धमतरी	धमतरी		कोरलमा (डुबान)
124	धमतरी	धमतरी		गुड़पार (डुबान)
125	धमतरी	धमतरी		हरफर (डुबान)
126	धमतरी	धमतरी	31 उरपोटी	उरपोटी
127	धमतरी	धमतरी		कान्द्री (डुबान)
128	धमतरी	धमतरी		ठेमली (डुबान)
129	धमतरी	धमतरी		ठेमसरा (डुबान)
130	धमतरी	धमतरी		बसंत (डुबान)
131	धमतरी	धमतरी		मोंगरी (डुबान)
132	धमतरी	धमतरी	32 अछोटा	अछोटा
133	धमतरी	धमतरी		तेन्दूकोन्हा

134	धमतरी	धमतरी		बरारी
135	धमतरी	धमतरी		कोटाभर्री
136	धमतरी	धमतरी		भोयना
137	धमतरी	धमतरी		मथुराडीह
138	धमतरी	धमतरी		मुड़पार
139	धमतरी	धमतरी		शंकरवारा
140	धमतरी	धमतरी	33 कोलियारी	कोलियारी
141	धमतरी	धमतरी		करेठा
142	धमतरी	धमतरी		अमेठी
143	धमतरी	धमतरी		कानीडबरी
144	धमतरी	धमतरी		परसुली
145	धमतरी	धमतरी		हरफतराई
146	धमतरी	धमतरी		कलारतराई
147	धमतरी	धमतरी	34 खरेंगा	खरेंगा
148	धमतरी	धमतरी		नवागांव
149	धमतरी	धमतरी		दर्री
150	धमतरी	धमतरी		सारंगपुरी
151	धमतरी	धमतरी		बंजारी
152	धमतरी	धमतरी	35 जवरगांव	जवरगांव
153	धमतरी	धमतरी		अरौद
154	धमतरी	धमतरी		भवरमरा
155	धमतरी	धमतरी		भरारी
156	धमतरी	धमतरी		लीलर
157	धमतरी	धमतरी		बागोडार

धमतरी, दिनांक 26 दिसम्बर 2007

क्रमांक/1774/भू-अभि./हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं टी. सी. महावर, कलेक्टर जिला धमतरी एतद्द्वारा तहसील कुरूद के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :-

सूची

अ.नु.क.	तहसील का नाम	रा.नि.सर्किल का नाम	पटवारी हल्के का कमांक व नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	5
1	कुरूद	कुरूद	1 कचना	कचना
2	कुरूद	कुरूद		कानामुका
3	कुरूद	कुरूद		नवागांव
4	कुरूद	कुरूद	2 मड़ेली	मड़ेली
5	कुरूद	कुरूद		सरबदा
6	कुरूद	कुरूद	3 कोड़ापार	कोड़ापार
7	कुरूद	कुरूद		खुरसेंगा
8	कुरूद	कुरूद		भरदा
9	कुरूद	कुरूद	4 चटौद	चटौद
10	कुरूद	कुरूद		गदहीडीह
11	कुरूद	कुरूद		मुरा
12	कुरूद	कुरूद	5 दरबा	दरबा
13	कुरूद	कुरूद		बिरेझर
14	कुरूद	कुरूद	6 जी जामगांव	जी जामगांव
15	कुरूद	कुरूद		मुल्ले
16	कुरूद	कुरूद		कल्ले
17	कुरूद	कुरूद	7 कोड़ेबोड़	कोड़ेबोड़
18	कुरूद	कुरूद		अवंरी
19	कुरूद	कुरूद		सोनपुर
20	कुरूद	कुरूद	8 मरौद	मरौद
21	कुरूद	कुरूद		नवागांव
22	कुरूद	कुरूद	9 थूहा	थूहा

23	कुरूद	कुरूद		बंजारी
24	कुरूद	कुरूद		बंगोली
25	कुरूद	कुरूद	10 कोलियारी	कोलियारी
26	कुरूद	कुरूद		कुर्रा
27	कुरूद	कुरूद		खपरी
28	कुरूद	कुरूद	11 जोरातराई	जोरातराई
29	कुरूद	कुरूद		भेड़सर
30	कुरूद	कुरूद		सिंगदेही
31	कुरूद	कुरूद	12 भैसबोड़	भैसबोड़
32	कुरूद	कुरूद		कुम्हारी
33	कुरूद	कुरूद		सिर्वे
34	कुरूद	कुरूद		पुरैना
35	कुरूद	कुरूद	13 सिलीडीह	सिलीडीह
36	कुरूद	कुरूद		सिलतरा
37	कुरूद	कुरूद		जरवायडीह
38	कुरूद	कुरूद		खपरी
39	कुरूद	कुरूद	14 सेमरा	सेमरा
40	कुरूद	कुरूद		सुपेला
41	कुरूद	कुरूद	15 भखारा	भखारा
42	कुरूद	कुरूद		भठेली
43	कुरूद	कुरूद	16 गाडाड़ीह	गाडाड़ीह
44	कुरूद	कुरूद		भेलवाकुदा
45	कुरूद	कुरूद		सिलघट
46	कुरूद	कुरूद	17 रामपुर	रामपुर
47	कुरूद	कुरूद		हंचलपुर
48	कुरूद	कुरूद	18 पचपेड़ी	पचपेड़ी
49	कुरूद	कुरूद		तर्रागोंदी
50	कुरूद	कुरूद		टिपानी
51	कुरूद	कुरूद	19 सिलौटी	सिलौटी
52	कुरूद	कुरूद		जुगदेही
53	कुरूद	कुरूद		सौराबांधा
54	कुरूद	कुरूद		सेमरा
55	कुरूद	कुरूद		खपरी
56	कुरूद	कुरूद		जोरातराई
57	कुरूद	कुरूद	20 कोर्रा	कोर्रा
58	कुरूद	कुरूद		इर्रा
59	कुरूद	कुरूद		चरोटा

60	कुरूद	कुरूद		लोहारपथरा
61	कुरूद	कुरूद		भेण्ड्रा
62	कुरूद	कुरूद	21 कोसमर्रा	कोसमर्रा
63	कुरूद	कुरूद		गातापार
64	कुरूद	कुरूद		बोरझंरा
65	कुरूद	कुरूद		सिहाद
66	कुरूद	कुरूद	22 देवरी	देवरी
67	कुरूद	कुरूद		दर्री
68	कुरूद	कुरूद		भेण्डरवानी
69	कुरूद	कुरूद		चिरपोटी
70	कुरूद	कुरूद		बगदेही
71	कुरूद	कुरूद	23 बगौद	बगौद
72	कुरूद	कुरूद		भुसरेंगा
73	कुरूद	कुरूद		चोरभट्ठी
74	कुरूद	कुरूद	24 भाठागांव	भाठागांव
75	कुरूद	कुरूद		अटंग
76	कुरूद	कुरूद		गोबरा
77	कुरूद	कुरूद		भालूकोन्हा
78	कुरूद	कुरूद	25 सिवनीकला	सिवनीकला
79	कुरूद	कुरूद		अछोटी
80	कुरूद	कुरूद		आलेखुटा
81	कुरूद	कुरूद	26 सिर्री	सिर्री
82	कुरूद	कुरूद		गातापार
83	कुरूद	कुरूद	27 करगा	करगा
84	कुरूद	कुरूद		हथबंद
85	कुरूद	कुरूद		कोटगांव
86	कुरूद	कुरूद		ढेठा
87	कुरूद	कुरूद	28 चिवरी	चिवरी
88	कुरूद	कुरूद		कुल्हाडी
89	कुरूद	कुरूद		फुसेरा
90	कुरूद	कुरूद		खर्रा
91	कुरूद	कुरूद	29 कठौली	कठौली
92	कुरूद	कुरूद		दर्रा
93	कुरूद	कुरूद		धूमा
94	कुरूद	कुरूद		परसठ्ठी
95	कुरूद	कुरूद	30 संकरी	संकरी
96	कुरूद	कुरूद		गोजी

97	कुरूद	कुरूद		बकली
98	कुरूद	कुरूद		रावनगुड़ा
99	कुरूद	कुरूद		भैसगुण्डी
100	कुरूद	कुरूद	31 नारी	नारी
101	कुरूद	कुरूद		कोकड़ी
102	कुरूद	कुरूद		मौरीकला
103	कुरूद	कुरूद	32 गुदगुदा	गुदगुदा
104	कुरूद	कुरूद		चारभाठा
105	कुरूद	कुरूद		सिरसिदा
106	कुरूद	कुरूद	33 दहदहा	दहदहा
107	कुरूद	कुरूद		मौरीखुर्द
108	कुरूद	कुरूद		कुहकुहा
109	कुरूद	कुरूद		मरदा
110	कुरूद	कुरूद	34 चरमुड़िया	चरमुड़िया
111	कुरूद	कुरूद		भोथली
112	कुरूद	कुरूद		परसवानी
113	कुरूद	कुरूद		मेंडरका
114	कुरूद	कुरूद	35 कुरूद	कुरूद
115	कुरूद	कुरूद		राखी
116	कुरूद	कुरूद	36 परखंदा	परखंदा
117	कुरूद	कुरूद		गाड़ाडीह
118	कुरूद	कुरूद		नवागांव
119	कुरूद	कुरूद	37 मंदरौद	मंदरौद
120	कुरूद	कुरूद		उमरदा
121	कुरूद	कुरूद		कगरौद
122	कुरूद	कुरूद	38. चर्रा	चर्रा
123	कुरूद	कुरूद		कन्हारपुरी
124	कुरूद	कुरूद		भालूझूलन
125	कुरूद	कुरूद		डांडेसरा
126	कुरूद	कुरूद	39 कोकड़ी	कोकड़ी
127	कुरूद	कुरूद		कातलबोड़
128	कुरूद	कुरूद		खैरा
129	कुरूद	कुरूद		बानगर
130	कुरूद	कुरूद		मोंगरा
131	कुरूद	कुरूद	40 सिंघौरीखुर्द	सिंघौरीखुर्द
132	कुरूद	कुरूद		सिघौरीकला
133	कुरूद	कुरूद		परसवानी

134	कुरूद	कुरूद		जोरातराई
135	कुरूद	कुरूद		सेलदीप
136	कुरूद	मगरलोड	41 सोनेवारा	सोनेवारा
137	कुरूद	मगरलोड		पाहंदा
138	कुरूद	मगरलोड		झांझरकेरा
139	कुरूद	मगरलोड		देवगांव
140	कुरूद	मगरलोड		भालूचुवा
141	कुरूद	मगरलोड		बोरसी
142	कुरूद	मगरलोड		भोथा
143	कुरूद	मगरलोड		लौड़ेर
144	कुरूद	मगरलोड	42 मोंहदी	मोंहदी
145	कुरूद	मगरलोड		जामली
146	कुरूद	मगरलोड		राजपुर
147	कुरूद	मगरलोड		धनबुड़ा
148	कुरूद	मगरलोड		सरगी
149	कुरूद	मगरलोड		केवराडीह
150	कुरूद	मगरलोड	43 बेलोरा	बेलोरा
151	कुरूद	मगरलोड		सोनपैरी
152	कुरूद	मगरलोड		बिरझुली
153	कुरूद	मगरलोड		कुसुमखुंटा
154	कुरूद	मगरलोड		पेण्ड्रा
155	कुरूद	मगरलोड		मड़ेली
156	कुरूद	मगरलोड		बकोरी
157	कुरूद	मगरलोड		बनियातोरा
158	कुरूद	मगरलोड	44 मगरलोड	मगरलोड
159	कुरूद	मगरलोड		परसवानी
160	कुरूद	मगरलोड		भरदा
161	कुरूद	मगरलोड		भैसमुण्ड़ी
162	कुरूद	मगरलोड	45 करेली छोटी	करेली छोटी
163	कुरूद	मगरलोड		छिपली
164	कुरूद	मगरलोड		लुगे
165	कुरूद	मगरलोड		डाभा
166	कुरूद	मगरलोड	46 मेधा	मेधा
167	कुरूद	मगरलोड		गिरौद
168	कुरूद	मगरलोड		सोंगा
169	कुरूद	मगरलोड		अरौद
170	कुरूद	मगरलोड		खैरझिटी

171	कुरूद	मगरलोड	47 करेली बड़ी	करेली बड़ी
172	कुरूद	मगरलोड		खट्टी
173	कुरूद	मगरलोड		मोथा
174	कुरूद	मगरलोड		धौराभाठा
175	कुरूद	मगरलोड		हरदी
176	कुरूद	मगरलोड	48 बुड़ेनी	बुड़ेनी
177	कुरूद	मगरलोड		नवागांव
178	कुरूद	मगरलोड		परसट्टी
179	कुरूद	मगरलोड		नाहरड़ीह
180	कुरूद	मगरलोड		चंदना
181	कुरूद	मगरलोड		चंदसुर
182	कुरूद	मगरलोड	49 भेण्ड्री	भेण्ड्री
183	कुरूद	मगरलोड		मोहरेंगा
184	कुरूद	मगरलोड		परेवाडीह
185	कुरूद	मगरलोड	50 कुण्डेल	कुण्डेल
186	कुरूद	मगरलोड		दमकाडीह
187	कुरूद	मगरलोड		बेलौदी
188	कुरूद	मगरलोड		मोतिमपुर
189	कुरूद	मगरलोड		हसदा
190	कुरूद	मगरलोड	51 खिसोरा	खिसोरा
191	कुरूद	मगरलोड		धौराभाठा
192	कुरूद	मगरलोड		डुमरपाली
193	कुरूद	मगरलोड		नवागांव
194	कुरूद	मगरलोड	52 मोथीडीह	मोथीडीह
195	कुरूद	मगरलोड		कमरौद
196	कुरूद	मगरलोड		सांकरा
197	कुरूद	मगरलोड		राकाडीह
198	कुरूद	मगरलोड		चारभाठा
199	कुरूद	मगरलोड		बोडरा
200	कुरूद	मगरलोड	53 गाड़ाडीह	गाड़ाडीह
201	कुरूद	मगरलोड		अमलीडीह
202	कुरूद	मगरलोड		आमाचानी
203	कुरूद	मगरलोड		दुधवारा
204	कुरूद	मगरलोड		शुक्लाभाठा
205	कुरूद	मगरलोड		नारधा
206	कुरूद	मगरलोड		कपालफोडी
207	कुरूद	मगरलोड	54 बेलरदोना	बेलरदोना

208	कुरूद	मगरलोड		परसाबुड़ा
209	कुरूद	मगरलोड		रेंगाडीह
210	कुरूद	मगरलोड		राजाडेरा
211	कुरूद	मगरलोड		कोरगांव
212	कुरूद	मगरलोड		चारमाठा
213	कुरूद	मगरलोड		तेन्दूकोन्हा
214	कुरूद	मगरलोड		कुल्हाड़ी
215	कुरूद	मगरलोड	55 पठार	पठार
216	कुरूद	मगरलोड		बेन्द्राचुंवा
217	कुरूद	मगरलोड		मड़वापथरा
218	कुरूद	मगरलोड		आलेखुटा
219	कुरूद	मगरलोड		गोबरापठार
220	कुरूद	मगरलोड	56 मोहेरा	मोहेरा
221	कुरूद	मगरलोड		निरई
222	कुरूद	मगरलोड		मारागांव
223	कुरूद	मगरलोड		भोभलाबहरा
224	कुरूद	मगरलोड		सरईभदर
225	कुरूद	मगरलोड		खड़मा मा.गु.
226	कुरूद	मगरलोड		खड़मा रै.
227	कुरूद	मगरलोड		हतबंद
228	कुरूद	मगरलोड	57 सिंगपुर	सिंगपुर
229	कुरूद	मगरलोड		धनोरा
230	कुरूद	मगरलोड		भण्डारवाही
231	कुरूद	मगरलोड		मुड़केरा
232	कुरूद	मगरलोड		अंजोरा
233	कुरूद	मगरलोड		कमईपुर
234	कुरूद	मगरलोड		कासरवाही
235	कुरूद	मगरलोड		सोनझरी

टी. सी. महावर,
कलेक्टर.

धमतरी, दिनांक 26 दिसम्बर 2007

क्रमांक/1776/भू-अभि./हल्का पुनर्गठन/2007.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं टी. सी. महावर कलेक्टर जिला धमतरी एतद्द्वारा तहसील नगरी के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूँ :-

सूची

अ.नु.क.	तहसील का नाम	रा.नि.सर्किल का नाम	पटवारी हल्के का कमांक व नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	5
1	नगरी	सिहावा	1 सलौनी	सलौनी
2	नगरी	सिहावा		दरगहन
3	नगरी	सिहावा	2 काटाकुर्री	काटाकुर्री
4	नगरी	सिहावा		बनबगौद
5	नगरी	सिहावा		सिरौदखुर्द
6	नगरी	सिहावा		जरहाखार
7	नगरी	सिहावा		सिरौदकला
8	नगरी	सिहावा		छुही
9	नगरी	सिहावा		साल्हेभाठ
10	नगरी	सिहावा	3 कुकरेल	कुकरेल
11	नगरी	सिहावा		सियादेही
12	नगरी	सिहावा		मोहलई
13	नगरी	सिहावा		पथर्रीडीह
14	नगरी	सिहावा	4 माकरदोना	माकरदोना
15	नगरी	सिहावा		कुम्हड़ा
16	नगरी	सिहावा		मारदापोटी
17	नगरी	सिहावा		बनरौद
18	नगरी	सिहावा	5 कुरींडीह	कु[illegible]डीह
19	नगरी	सिहावा		ब[illegible]धा
20	नगरी	सिहावा		पी[illegible]पछेड़ी
21	नगरी	सिहावा		झुरातराई

22	नगरी	सिहावा		कोटरवाही
23	नगरी	सिहावा		छलकनी
24	नगरी	सिहावा		पारधी
25	नगरी	सिहावा		मगौद
26	नगरी	सिहावा	6 केरेगांव	केरेगांव
27	नगरी	सिहावा		नाथूकोन्हा
28	नगरी	सिहावा		रायपारा
29	नगरी	सिहावा		कोर्रा
30	नगरी	सिहावा	7 भोथापारा	भोथापारा
31	नगरी	सिहावा		अमलीपारा
32	नगरी	सिहावा		चनागांव
33	नगरी	सिहावा		छिंदभर्री
34	नगरी	सिहावा	8 सियारीनाला	सियारीनाला
35	नगरी	सिहावा		बीजापुर
36	नगरी	सिहावा		बगरूमनाला
37	नगरी	सिहावा		बरकोन्हा
38	नगरी	सिहावा		हितली
39	नगरी	सिहावा	9 सरईटोला	सरईटोला
40	नगरी	सिहावा		गट्टासिल्ली रै.
41	नगरी	सिहावा		जोराडबरी
42	नगरी	सिहावा	10 गट्टासिल्ली	गट्टासिल्ली
43	नगरी	सिहावा		कुम्हड़ाकोट
44	नगरी	सिहावा		गेदरा
45	नगरी	सिहावा		गोंदलानाला
46	नगरी	सिहावा	11 करैहा	करैहा
47	नगरी	सिहावा		आमदी
48	नगरी	सिहावा		चिवर्री मा. गु.
49	नगरी	सिहावा		अर्जुनी
50	नगरी	सिहावा		सांकरा
51	नगरी	सिहावा		चिवर्री रैयत
52	नगरी	सिहावा		कोर्रेमुड़ा
53	नगरी	सिहावा	12 धोटगांव	धोटगांव
54	नगरी	सिहावा		बटनहर्रा
55	नगरी	सिहावा		कुरमिया
56	नगरी	सिहावा		राजपुर
57	नगरी	सिहावा	13 डोंगरडूला	डोंगरडूला
58	नगरी	सिहावा		कल्लेमेटा

59	नगरी	सिहावा		परसापानी
60	नगरी	सिहावा		अछोली
61	नगरी	सिहावा		मोहमल्ला मा.गु.
62	नगरी	सिहावा		मोहमल्ला रै.
63	नगरी	सिहावा	14 हरदीमाठा	हरदीमाठा
64	नगरी	सिहावा		चमेदा
65	नगरी	सिहावा		बिलमदर
66	नगरी	सिहावा	15 देवपुर	देवपुर
67	नगरी	सिहावा		बोध सेमरा
68	नगरी	सिहावा		बिरनपुर
69	नगरी	सिहावा		मुकुन्दपुर
70	नगरी	सिहावा	16 नगरी	नगरी
71	नगरी	सिहावा		चुरियारा
72	नगरी	सिहावा		छिपली
73	नगरी	सिहावा		मोदे
74	नगरी	सिहावा	17 अमाली	अमाली
75	नगरी	सिहावा		सम्बलपुर
76	नगरी	सिहावा		गोरेगांव
77	नगरी	सिहावा		सामतरा
78	नगरी	सिहावा		खुदुरपानी
79	नगरी	सिहावा		टेंगना
80	नगरी	सिहावा	18 फरसिया	फरसिया
81	नगरी	सिहावा		निर्राबेड़ा
82	नगरी	सिहावा		भोथली
83	नगरी	सिहावा		हिन्छापुर
84	नगरी	सिहावा		बोडरा
85	नगरी	सिहावा	19 सांकरा	सांकरा
86	नगरी	सिहावा		खम्हरिया
87	नगरी	सिहावा	20 मल्हारी	मल्हारी
88	नगरी	सिहावा		रानीगांव
89	नगरी	सिहावा		सिरसिदा
90	नगरी	सिहावा		रावनसिंधी
91	नगरी	सिहावा	21 सिहावा	सिहावा
92	नगरी	सिहावा		छिपलीपारा
93	नगरी	सिहावा		पंडरीपानी मा.
94	नगरी	सिहावा	22 सेमरा	सेमरा
95	नगरी	सिहावा		पंडरीपानी रै.

96	नगरी	सिहावा		भेजरीरावन
97	नगरी	सिहावा		भीतररास
98	नगरी	सिहावा	23 बिरगुड़ी	बिरगुड़ी
99	नगरी	सिहावा		खुटार
100	नगरी	सिहावा		खड़पथरा
101	नगरी	सिहावा		मुरूमतरा
102	नगरी	सिहावा		केकराडोंगरी
103	नगरी	सिहावा		ठेमली
104	नगरी	सिहावा		सोनपुर(डुबान)
105	नगरी	सिहावा		सोनपुरभर्री
106	नगरी	सिहावा		देवखुट(डुबान)
107	नगरी	सिहावा	24 बेलरगांव	बेलरगांव
108	नगरी	सिहावा		डोमपदर
109	नगरी	सिहावा		भुमका मा. गु.
110	नगरी	सिहावा		भुमका रै.
111	नगरी	सिहावा		बेनौरा रै.
112	नगरी	सिहावा		बेम मा. गु. (डुबान)
113	नगरी	सिहावा		बेम रै. (डुबान)
114	नगरी	सिहावा		बेनौरा मा. गु. (डुबान)
115	नगरी	सिहावा		नवागांव (कस.)
116	नगरी	सिहावा	25 भुरसीडोंगरी	भुरसीडोंगरी
117	नगरी	सिहावा		कोरमुड़
118	नगरी	सिहावा		आमगांव
119	नगरी	सिहावा		घोंड़ावर
120	नगरी	सिहावा		जैतपुरी
121	नगरी	सिहावा		अमाली
122	नगरी	सिहावा		बरबांधा
123	नगरी	सिहावा	26 गढ़डोंगरी मा. गु.	गढ़डोंगरी मा. गु.
124	नगरी	सिहावा		लटियारा
125	नगरी	सिहावा		चर्रा
126	नगरी	सिहावा		साहनीखार
127	नगरी	सिहावा		कसपुर रै.
128	नगरी	सिहावा	27 पावद्वार	पावद्वार
129	नगरी	सिहावा		गिधावा
130	नगरी	सिहावा		गढ़डोंगरी रै.
131	नगरी	सिहावा	28 घटुला	घटुला

132	नगरी	सिहावा		पांडरवाही
133	नगरी	सिहावा		घोघोपुरी (विरान)
134	नगरी	सिहावा		पाईकभाठा
135	नगरी	सिहावा		पदमपुर
136	नगरी	सिहावा	29 उमरगांव	उमरगांव
137	नगरी	सिहावा		पोड़ागांव
138	नगरी	सिहावा		भीषमपुरी
139	नगरी	सिहावा		रतावा
140	नगरी	सिहावा		लखनपुरी
141	नगरी	सिहावा	30 बोरई	बोरई
142	नगरी	सिहावा		मैनपुर
143	नगरी	सिहावा		बनियाडीह
144	नगरी	सिहावा		घुटकेल
145	नगरी	सिहावा		लिखमा
146	नगरी	सिहावा	31 नवागांव	नवागांव
147	नगरी	सिहावा		सांकरा कुप
148	नगरी	सिहावा		भीरागांव
149	नगरी	सिहावा		अंजनी
150	नगरी	सिहावा		पोड़ीडीह
151	नगरी	सिहावा	32 मेचका	मेचका
152	नगरी	सिहावा		खालगढ़
153	नगरी	सिहावा		आमाबहार
154	नगरी	सिहावा		बेलरबाहरा
155	नगरी	सिहावा		बोईरगांव (डुबान)
156	नगरी	सिहावा		कसलोर (डुबान)
157	नगरी	सिहावा		बरपदर (डुबान)
158	नगरी	सिहावा		अर्जुनी
159	नगरी	सिहावा		बासीन
160	नगरी	सिहावा		तुमड़ीबहार
161	नगरी	सिहावा		गायताभर्री

धमतरी, दिनांक 12 मार्च 2008

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक/342/भू-अभि./हल्का पुनर्गठन/2008.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं भरतलाल बंजारे, कलेक्टर जिला धमतरी एतद्द्वारा तहसील धमतरी के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूं :-

सूची

अ.नु.क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.सर्किल का नाम	पटवारी हल्के का क्रमांक व नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में शामिल राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	06	07
1	धमतरी	भोथली	1 बागतराई	बागतराई	बागतराई	बागतराई , मड़ाईभाठा
2	धमतरी	भोथली		मड़ाईभाठा	—"—	
3	धमतरी	भोथली		अमलीडीह	अमलीडीह	अमलीडीह , मोखा
4	धमतरी	भोथली		मोखा	—"—	
5	धमतरी	भोथली	2 रांवा	रांवा	रांवा	रांवा
6	धमतरी	भोथली		कुर्रा	कुर्रा	कुर्रा , भोथीपार
7	धमतरी	भोथली		भोथीपार	—"—	
8	धमतरी	भोथली	3 तरसीवा	तरसीवा	तरसीवा	तरसीवा
9	धमतरी	भोथली		भानपुरी	भानपुरी	भानपुरी
10	धमतरी	भोथली	4 कुरमातराई	कुरमातराई	कुरमातराई	कुरमातराई
11	धमतरी	भोथली		पीपरछेड़ी	पीपरछेड़ी (देमार)	पीपरछेड़ी (देमार)
12	धमतरी	भोथली	5 दरगहन	दरगहन	दरगहन	दरगहन
13	धमतरी	भोथली		रीवांगहन	रीवांगहन	रीवांगहन
14	धमतरी	भोथली	6 गुजरा	गुजरा	गुजरा	गुजरा
15	धमतरी	भोथली		डोमा	डोमा	डोमा
16	धमतरी	भोथली	7 जुनवानी	जुनवानी	जुनवानी	जुनवानी , खम्हरिया
17	धमतरी	भोथली		खम्हरिया	—"—	
18	धमतरी	भोथली		बिरेतरा	बिरेतरा	बिरेतरा
19	धमतरी	भोथली	8 गोपालपुरी	गोपालपुरी	बोड़रा	बोड़रा , गोपालपुरी
20	धमतरी	भोथली		बोड़रा	—"—	
21	धमतरी	भोथली		धौराभाठा	धौराभाठा	धौराभाठा , रावनगुड़ा
22	धमतरी	भोथली		रावनगुड़ा	—"—	
23	धमतरी	भोथली	9 डाही अंगारा	डाही अंगारा	डाही	डाही
24	धमतरी	भोथली		हंकारा	हंकारा	हंकारा , कसही
25	धमतरी	भोथली		कसही	—"—	

26	धमतरी	भोथली	10 सेमरा	सेमरा	सेमरा डी	सेमरा
27	धमतरी	भोथली		सेनचुवा	सेनचुवा	सेनचुवा
28	धमतरी	भोथली	11 पुरी	पुरी	पुरी न.–1	पुरी न.–1
29	धमतरी	भोथली		बिजनापुरी	बिजनापुरी	बिजनापुरी , सरसोपुरी
30	धमतरी	भोथली		सरसोपुरी	–"–	
31	धमतरी	भोथली	12 छाती	छाती	छाती	छाती
32	धमतरी	भोथली		उड़ेना	उड़ेना	उड़ेना
33	धमतरी	भोथली	13 झिरिया	झिरिया	झिरिया	झिरिया
34	धमतरी	भोथली		देवरी	देवरी	देवरी , बोदाछापर
35	धमतरी	भोथली		बोदाछापर	–"–	
36	धमतरी	भोथली	14 नवागांव	नवागांव	नवागांव झुरा	नवागांव
37	धमतरी	भोथली		सिवनीखुर्द	सिवनीखुर्द	सिवनीखुर्द
38	धमतरी	भोथली	15 ढिमरटिकुर	ढिमरटिकुर	ढिमरटिकुर	ढिमरटिकुर
39	धमतरी	भोथली		बारना	बारना	बारना .
40	धमतरी	भोथली		दोनर	दोनर	दोनर
41	धमतरी	भोथली		सेमरा	सेमरा बी	सेमरा
42	धमतरी	भोथली	16 कण्डेल	कण्डेल	कण्डेल	कण्डेल
43	धमतरी	भोथली		देवपुर	देवपुर	देवपुर
44	धमतरी	भोथली		गागरा	गागरा	गागरा
45	धमतरी	भोथली		पीपरछेड़ी	पीपरछेड़ी गा	पीपरछेड़ी गा
46	धमतरी	भोथली	17 भोथली	भोथली	भोथली	भोथली
47	धमतरी	भोथली		बोडरा	बोडरा	बोडरा
48	धमतरी	भोथली		सांकरा	सांकरा	सांकरा
49	धमतरी	भोथली		बलियारा	बलियारा	बलियारा
50	धमतरी	भोथली		डोड़की	डोड़की	डोड़की
51	धमतरी	भोथली	18 सम्बलपुर	सम्बलपुर	सम्बलपुर	सम्बलपुर
52	धमतरी	भोथली		परेवाड़ीह	परेवाड़ीह	परेवाड़ीह
53	धमतरी	भोथली		तेलीनसत्ती	तेलीनसत्ती	तेलीनसत्ती , उसलापुर
54	धमतरी	भोथली		उसलापुर	–"–	
55	धमतरी	भोथली		लिमतरा	लिमतरा	लिमतरा
56	धमतरी	भोथली	19 बठेना	बठेना	न.पा.क्षेत्र	न.पा.धमतरी
57	धमतरी	भोथली		अर्जुनी	अर्जुनी	अर्जुनी
58	धमतरी	भोथली		खपरी	खपरी	खपरी
59	धमतरी	भोथली		देमार	देमार	देमार
60	धमतरी	भोथली		शंकरदाह	शंकरदाह	शंकरदाह ,हरफतराई
61	धमतरी	भोथली		सेहराडबरी	सेहराडबरी	सेहराडबरी
62	धमतरी	भोथली	20 पोटियाड़ीह	पोटियाड़ीह	पोटियाड़ीह	पोटियाड़ीह

63	धमतरी	भोथली		आमदी	आमदी	आमदी
64	धमतरी	भोथली	21 हटकेशर	हटकेशर	न.पा.क्षेत्र	न.पा.धमतरी
65	धमतरी	भोथली		खरतुली	खरतुली	खरतुली
66	धमतरी	भोथली		मुजगहन	मुजगहन	मुजगहन
67	धमतरी	भोथली		रत्नाबांधा	रत्नाबांधा	रत्नाबांधा
68	धमतरी	भोथली		परसतराई	परसतराई	परसतराई
69	धमतरी	भोथली	21	लोहरसी	लोहरसी	लोहरसी
70	धमतरी	धमतरी	22 धमतरी	धमतरी	न.पा.क्षेत्र	न.पा.धमतरी
71	धमतरी	धमतरी	23 सोरिदभाठ	सोरिदभाठ	न.पा.क्षेत्र	न.पा.धमतरी
72	धमतरी	धमतरी	24 रूद्री	रूद्री	रूद्री	रूद्री .
73	धमतरी	धमतरी		बेन्द्रानवागांव	बेन्द्रानवागांव	बेन्द्रानवागांव , नवागांव खुर्द
74	धमतरी	धमतरी		नवागांव खुर्द	–"–	
75	धमतरी	धमतरी		श्यामतराई	श्यामतराई	श्यामतराई
76	धमतरी	धमतरी		भठगांव	भठगांव	भठगांव
77	धमतरी	धमतरी		गोकुलपुर	न.पा.क्षेत्र	न.पा.धमतरी
78	धमतरी	धमतरी	25 सोरम	सोरम	सोरम .	सोरम , बेलतरा
79	धमतरी	धमतरी		बेलतरा	–"–	
80	धमतरी	धमतरी		गंगरेल (डूबान)	गंगरेल	गंगरेल (डूबान) , मरादेव
81	धमतरी	धमतरी		मरादेव	–"–	
82	धमतरी	धमतरी		बोरिदखुर्द	बोरिदखुर्द	बोरिदखुर्द, मड़वापथरा
83	धमतरी	धमतरी		कसावाही	तुमराबाहर	तुमराबाहर , कसवाही, खिरगीटोला , डांगीमाचा, तुमाखुर्द डु.,विझामपुर, तुमाबुजुर्ग ,
84	धमतरी	धमतरी		खिरगीटोला	–"–	
85	धमतरी	धमतरी		डांगीमाचा	–"–	
86	धमतरी	धमतरी	26 मड़वापथरा	मड़वापथरा	बोरिदखुर्द	बोरिदखुर्द , मड़वापथरा
87	धमतरी	धमतरी		चंवर डु.	अरौद डु.	अरौद डुबान, बटरेल डु.,खेरथा डु., अरौद, बरबांधा, पटेलगुडा, पटौद, सिलतरा,, कोकड़ी डु., कोरलमा डु. , मुडपार डु., हरफर डु. किसनपुरी डु., दरगहन डु लमकेनी डु., उरपोटी. कान्द्री डु., ठेमली डु., ठेमसरा डु. मोंगरी डु. चंवर डु. , चापबांव डु.
88	धमतरी	धमतरी		चापबांव डु.	–"–	
89	धमतरी	धमतरी		तुमराबहार	तुमराबहार	तुमराबाहर , कसवाही, खिरगीटोला , डांगीमाचा, तुमाखुर्द डु.,विझामपुर, तुमाबुजुर्ग ,
90	धमतरी	धमतरी		तुमाखुर्द (डुबान	तुमराबाहर	
91	धमतरी	धमतरी		विश्रामपुर	–"–	
92	धमतरी	धमतरी		तुमाबुजुर्ग	–"–	
93	धमतरी	धमतरी	27 अकलाडोंगरी	अकलाडोंगरी	अकलाडोंगरी	अकलाडोंगरी , कोहका
94	धमतरी	धमतरी		कोहका	–"–	
95	धमतरी	धमतरी		कोडेगांव रै.	कोडेगांव रै.	कोडेगांव रै., कोडेगांव मा. गु., कोदागहन, मालगांव डु. सटियारा डु., बसंत डु..
96	धमतरी	धमतरी		कोडेगांव मा. गु.	–"–	
97	धमतरी	धमतरी		चिखली	चिखली	चिखली , माटेगहन
98	धमतरी	धमतरी		माटेगहन	–"–	

99	धमतरी	धमतरी		तिर्रा	तिर्रा	तिर्रा , कोलियारी
100	धमतरी	धमतरी		कोलियारी	–"–	
101	धमतरी	धमतरी	28 पंडरीपानी	पंडरीपानी	कोड़ेगांव बी	कोड़ेगांव बी , पंडरीपानी , पंडरीपानी ज.पा., कोसमी डु., बारगरी, सिंघोला डु.
102	धमतरी	धमतरी		पंडरीपानी ज. पा.	–"–	
103	धमतरी	धमतरी		कोसमी (डुबान	–"–	
104	धमतरी	धमतरी		बटरेल (डुबान)	अरौद डुबान	अरौद डुबान, बटरेल डु.,खेरथा डु., अरौद, बरबांधा, पटेलगुडा, पटौद, सिलतरा, कोकड़ी डु., कोरलमा डु. , मुडपार डु., हरफर डु. किसनपुरी डु., दरगहन डु लमकेनी डु., उरपोटी, कान्द्री डु., ठेमली डु., ठेमसरा डु. मांगरी डु. चंवर डु. , चापबांव डु.
105	धमतरी	धमतरी		खेरथा (डुबान)	–"–	
106	धमतरी	धमतरी		कोदागहन	कोड़ेगांव रै	कोड़ेगांव रै , कोड़ेगांव मा. गु., कोदागहन, मालगांव डु., सटियारा डु., बरांत डु.
107	धमतरी	धमतरी		मालगांव (डुबान)	–"–	
108	धमतरी	धमतरी		सटियारा (डुबान)	–"–	
109	धमतरी	धमतरी	29 मोगरागहन	मोगरागहन	मोगरागहन	मोगरागहन, , भिड़ावर
110	धमतरी	धमतरी		भिड़ावर	–"–	
111	धमतरी	धमतरी		कोड़ेगांव बी.	कोड़ेगांव बी	कोड़ेगांव बी , पंडरीपानी , पंडरीपानी ज.पा., कोसमी डु., बारगरी, सिंघोला डु.
112	धमतरी	धमतरी		बारगरी	–"–	
113	धमतरी	धमतरी		सिंघोला (डुबान)	–"–	
114	धमतरी	धमतरी		किसनपुरी (डुबान	अरौद डु.	अरौद डुबान, बटरेल डु.,खेरथा डु., अरौद, बरबांधा, पटेलगुडा, पटौद, सिलतरा, कोकड़ी डु., कोरलमा डु. , मुडपार डु., हरफर डु. किसनपुरी डु., दरगहन डु लमकेनी डु., उरपोटी, कान्द्री डु., ठेमली डु., ठेमसरा डु. मांगरी डु. चंवर डु. , चापबांव डु.
115	धमतरी	धमतरी		दरगहन (डुबान	–"–	
116	धमतरी	धमतरी		लमकेनी (डुबान	–"–	
117	धमतरी	धमतरी	30 अरौद	अरौद	अरौद डु.	अरौद डुबान, बटरेल डु.,खेरथा डु., अरौद, बरबांधा, पटेलगुडा, पटौद, सिलतरा, कोकड़ी डु., कोरलमा डु. , मुडपार डु., हरफर डु. किसनपुरी डु., दरगहन डु लमकेनी डु., उरपोटी, कान्द्री डु., ठेमली डु., ठेमसरा डु. मांगरी डु. चंवर डु. , चापबांव डु.
118	धमतरी	धमतरी		बरबांधा	–"–	
119	धमतरी	धमतरी		पटेलगुडा	–"–	
120	धमतरी	धमतरी		पटौद	–"–	
121	धमतरी	धमतरी		सिलतरा	–"–	
122	धमतरी	धमतरी		कोकड़ी (डुबान	–"–	
123	धमतरी	धमतरी		कोरलमा (डुबान	–"–	
124	धमतरी	धमतरी		मुडपार (डुबान)	–"–	
125	धमतरी	धमतरी		हरफर (डुबान)	–"–	
126	धमतरी	धमतरी	31 उरपोटी	उरपोटी	अरौद	अरौद डुबान, बटरेल डु.,खेरथा डु., अरौद, बरबांधा, पटेलगुडा, पटौद, सिलतरा, कोकड़ी डु., कोरलमा डु. , मुडपार डु., हरफर डु. किसनपुरी डु., दरगहन डु लमकेनी डु., उरपोटी, कान्द्री डु., ठेमली डु., ठेमसरा डु. मांगरी डु. चंवर डु. , चापबांव डु.
127	धमतरी	धमतरी		कान्द्री (डुबान)	–"–	
128	धमतरी	धमतरी		ठेमली (डुबान)	–"–	
129	धमतरी	धमतरी		ठेमसरा (डुबान	–"–	
130	धमतरी	धमतरी		मांगरी (डुबान)	–"–	
131	धमतरी	धमतरी		बरसा (डुबान	कोड़ेगांव रै	कोड़ेगांव रै. , कोड़ेगांव मा. गु., कोदागहन, मालगांव डु., सटियारा डु., बरांत डु.

132	धमतरी	धमतरी	32 अछौटा	अछौटा	अछौटा	अछौटा , तेन्दूकोन्हा
133	धमतरी	धमतरी		तेन्दूकोन्हा	—"—	
134	धमतरी	धमतरी		बरारी	बरारी	बरारी , कोटाभर्री
135	धमतरी	धमतरी		कोटाभर्री	—"—	
136	धमतरी	धमतरी		भोयना	भोयना	भोयना , मथुराडीह
137	धमतरी	धमतरी		मथुराडीह	—"—	
138	धमतरी	धमतरी		मुडपार	मुडपार	मुडपार , शंकरवारा
139	धमतरी	धमतरी		शंकरवारा	—"—	
140	धमतरी	धमतरी	33 कोलियारी	कोलियारी	कोलियारी	कोलियारी , करेठा
141	धमतरी	धमतरी		करेठा	—"—	
142	धमतरी	धमतरी		अमेठी	अमेठी	अमेठी , कानीडबरी
143	धमतरी	धमतरी		कानीडबरी	—"—	
144	धमतरी	धमतरी		परसुली	दर्री	दर्री , परसुली
145	धमतरी	धमतरी		हरफतराई	शंकरदाह	शंकरदाह , हरफतराई
146	धमतरी	धमतरी		कलारतराई	कलारतराई	कलारतराई , बंजारी
147	धमतरी	धमतरी	34 खरेंगा	खरेंगा	खरेंगा	खरेंगा
148	धमतरी	धमतरी		नवागांव	नवागांव	नवागांव
149	धमतरी	धमतरी		दर्री	दर्री	दर्री , परसुली
150	धमतरी	धमतरी		सारंगपुरी	सारंगपुरी	सारंगपुरी
151	धमतरी	धमतरी		बंजारी	कलारतराई	कलारतराई , बंजारी
152	धमतरी	धमतरी	35 जवंरगांव	जवंरगांव	जवंरगांव	जवंरगांव
153	धमतरी	धमतरी		अरौद	अरौद ली.	अरौद ली. ,
154	धमतरी	धमतरी		भवरमरा	भवरमरा	भवरमरा , भरारी
155	धमतरी	धमतरी		भरारी	—"—	
156	धमतरी	धमतरी		लीलर	लीलर	लीलर , बागोडार
157	धमतरी	धमतरी		बागोडार	—"—	

भरतलाल बंजारे,
कलेक्टर

धमतरी, दिनांक 12 मार्च 2008

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक/342/भू-अभि./हल्का पुनर्गठन/2008.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं भरतलाल बंजारे, कलेक्टर जिला धमतरी एतद्द्वारा तहसील कुरूद के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूँ :-

सूची

अ.नु.क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.सर्किल का नाम	पटवारी हल्के का क्रमांक व नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत मे शामिल राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	06	07
1	कुरूद	कुरूद	1 कचना	कचना	कचना	कचना
2	कुरूद	कुरूद		कानामुका	नवागांव	नवागांव , कानामुका
3	कुरूद	कुरूद		नवागांव	–"–	
4	कुरूद	कुरूद	2 मड़ेली	मड़ेली	मड़ेली	मड़ेली
5	कुरूद	कुरूद		सरबदा	सरबदा	सरबदा
6	कुरूद	कुरूद	3 कोड़ापार	कोड़ापार	कोड़ापार	कोड़ापार , भरदा
7	कुरूद	कुरूद		भरदा	–"–	
8	कुरूद	कुरूद		खुरसेंगा	खुरसेंगा	खुरसेंगा
9	कुरूद	कुरूद	4 चटौद	चटौद	चटौद	चटौद
10	कुरूद	कुरूद		गदहीडीह	मुरा	मुरा , गदहीडीह
11	कुरूद	कुरूद		मुरा	–"–	
12	कुरूद	कुरूद	5 दरबा	दरबा	दरबा	दरबा
13	कुरूद	कुरूद		बिरेझर	बिरेझर	बिरेझर
14	कुरूद	कुरूद	6 जी जामगांव	जी जामगांव	जी जामगांव	जी जामगांव
15	कुरूद	कुरूद		मुल्ले	मुल्ले	मुल्ले , कल्ले
16	कुरूद	कुरूद		कल्ले	–"–	
17	कुरूद	कुरूद	7 कोड़ेवोड़	कोड़ेबोड़	कोड़ेबोड़	कोड़ेबोड़ , सोनपुर
18	कुरूद	कुरूद		सोनपुर	–"–	
19	कुरूद	कुरूद		अवंरी	अवंरी	अवंरी
20	कुरूद	कुरूद	8 मरौद	मरौद	मरौद	मरौद
21	कुरूद	कुरूद		नवागांव	नवागांव	नवागांव
22	कुरूद	कुरूद	9 थूहा	थूहा	थूहा	थूहा
23	कुरूद	कुरूद		बंजारी	बंजारी	बंजारी , बंगोली
24	कुरूद	कुरूद		वंगोली	–"–	
25	कुरूद	कुरूद	10 कोलियारी	कोलियारी	कोलियारी	कोलियारी
26	कुरूद	कुरूद		कुर्रा	कुर्रा	कुर्रा , खपरी
27	कुरूद	कुरूद		खपरी	–"–	
28	कुरूद	कुरूद	11 जोरातराई	जोरातराई	जोरातराई	जोरातराई
29	कुरूद	कुरूद		भेड़सर	भेड़सर	भेड़सर , सिंगदेही
30	कुरूद	कुरूद		सिंगदेही	–"–	
31	कुरूद	कुरूद	12 भैसवोड़	भैसवोड़	भैसबोड़	भैसबोड़
32	कुरूद	कुरूद		कुम्हारी	सिर्वे	सिर्वे , कुम्हारी, पुरैना
33	कुरूद	कुरूद		सिर्वे	–"–	
34	कुरूद	कुरूद		पुरैना	–"–	
35	कुरूद	कुरूद	13 सिलीडीह	सिलीडीह	सिलीडीह	सिलीडीह , सिलतरा
36	कुरूद	कुरूद		सिलतरा	–"–	
37	कुरूद	कुरूद		जरवायडीह	जरवायडीह	जरवायडीह , खपरी
38	कुरूद	कुरूद		खपरी	–"–	

39	कुरूद	कुरूद	14 सेमरा	सेमरा	सेमरा	सेमरा
40	कुरूद	कुरूद		सुपेला	सुपेला	सुपेला
41	कुरूद	कुरूद	15 भखारा	भखारा	भखारा	भखारा
42	कुरूद	कुरूद		भठेली	भठेली	भठेली
43	कुरूद	कुरूद	16 गाडाड़ीह	गाडाड़ीह	गाडाड़ीह	गाडाड़ीह , भेलवाकुदा
44	कुरूद	कुरूद		भेलवाकुदा	–"–	
45	कुरूद	कुरूद		सिलघट	सिलघट	सिलघट
46	कुरूद	कुरूद	17 रामपुर	रामपुर	रामपुर	रामपुर
47	कुरूद	कुरूद		हंचलपुर	हंचलपुर	हंचलपुर
48	कुरूद	कुरूद	18 पचपेड़ी	पचपेड़ी	पचपेड़ी	पचपेड़ी
49	कुरूद	कुरूद		तर्रागोंदी	तर्रागोंदी	तर्रागोंदी , टिपानी
50	कुरूद	कुरूद		टिपानी	–"–	
51	कुरूद	कुरूद	19 सिलौटी	सिलौटी	सिलौटी	सिलौटी
52	कुरूद	कुरूद		जुगदेही	जुगदेही	जुगदेही , सौराबांधा
53	कुरूद	कुरूद		सौराबांधा	–"–	
54	कुरूद	कुरूद		सेमरा	सेमरा	सेमरा , खपरी , जोरातराई
55	कुरूद	कुरूद		खपरी	–"–	
56	कुरूद	कुरूद		जोरातराई	–"–	
57	कुरूद	कुरूद	20 कोर्रा	कोर्रा	कोर्रा	कोर्रा
58	कुरूद	कुरूद		इर्रा	इर्रा	इर्रा
59	कुरूद	कुरूद		चरोटा	चरोटा	चरोटा , लोहारपथरा
60	कुरूद	कुरूद		लोहारपथरा	–"–	
61	कुरूद	कुरूद		भेण्ड्रा	भेण्ड्रा	भेण्ड्रा
62	कुरूद	कुरूद	21 कोसमर्रा	कोसमर्रा	कोसमर्रा	कोसमर्रा
63	कुरूद	कुरूद		गातापार	गातापार	गातापार
64	कुरूद	कुरूद		बोरझरा	बोरझरा	बोरझरा
65	कुरूद	कुरूद		सिहाद	सिहाद	सिहाद
66	कुरूद	कुरूद	22 देवरी	देवरी	देवरी	देवरी , दर्री
67	कुरूद	कुरूद		दर्री	–"–	
68	कुरूद	कुरूद		भेण्डरवानी	भेण्डरवानी	भेण्डरवानी , चिरपोटी
69	कुरूद	कुरूद		चिरपोटी	–"–	
70	कुरूद	कुरूद		बगदेही	बगदेही	बगदेही
71	कुरूद	कुरूद	23 बगौद	बगौद	बगौद	बगौद
72	कुरूद	कुरूद		भुसरेंगा	भुसरेंगा	भुसरेंगा
73	कुरूद	कुरूद		चोरभट्ठी	चोरभट्ठी	चोरभट्ठी
74	कुरूद	कुरूद	24 भाठागांव	भाठागांव	भाठागांव	भाठागांव
75	कुरूद	कुरूद		अटंग	अटंग	अटंग
76	कुरूद	कुरूद		गोबरा	गोबरा	गोबरा , भालूकोन्हा
77	कुरूद	कुरूद		भालूकोन्हा	–"–	
78	कुरूद	कुरूद	25 सिवनीकला	सिवनीकला	सिवनीकला	सिवनीकला
79	कुरूद	कुरूद		अछोटी	अछोटी	अछोटी
80	कुरूद	कुरूद		आलेखुटा	गातापार	आलेखुटा ,गातापार
81	कुरूद	कुरूद	26 सिर्री	सिर्री	सिर्री	सिर्री
82	कुरूद	कुरूद		गातापार	गातापार	गातापार, आलेखुटा
83	कुरूद	कुरूद	27 करगा	करगा	करगा	करगा , हथबंद
84	कुरूद	कुरूद		हथबंद	–"–	
85	कुरूद	कुरूद		कोटगांव	कोटगांव	कोटगांव , ढेठा
86	कुरूद	कुरूद		ढेठा	–"–	
87	कुरूद	कुरूद	28 चिवरी	चिवरी	चिवरी	चिवरी
88	कुरूद	कुरूद		कुल्हाडी	कुल्हाडी	कुल्हाडी , फुसेरा
89	कुरूद	कुरूद		फुसेरा	–"–	
90	कुरूद	कुरूद		खर्रा	खर्रा	खर्रा

91	कुरूद	कुरूद	29 कठौली	कठौली	कठौली	कठौली
92	कुरूद	कुरूद		दर्रा	दर्रा	दर्रा
93	कुरूद	कुरूद		धूमा	धूमा	धूमा , परसठ्ठी
94	कुरूद	कुरूद		परसठ्ठी	–"–	
95	कुरूद	कुरूद	30 संकरी	संकरी	संकरी	संकरी
96	कुरूद	कुरूद		गोजी	गोजी	गोजी
97	कुरूद	कुरूद		बकली	बकली	बकली , रावनगुड़ा
98	कुरूद	कुरूद		रावनगुड़ा	–"–	
99	कुरूद	कुरूद		भैसमुण्डी	भैसमुण्डी	भैसमुण्डी
100	कुरूद	कुरूद	31 नारी	नारी	नारी	नारी
101	कुरूद	कुरूद		कोकड़ी	कोकड़ी	कोकड़ी
102	कुरूद	कुरूद		मौरीकला	मौरीकला	मौरीकला
103	कुरूद	कुरूद	32 गुदगुदा	गुदगुदा	गुदगुदा	गुदगुदा
104	कुरूद	कुरूद		चारभाठा	चारभाठा	चारभाठा
105	कुरूद	कुरूद		सिरसिदा	सिरसिदा	सिरसिदा
106	कुरूद	कुरूद	33 दहदहा	दहदहा	दहदहा	दहदहा , मौरीखुर्द
107	कुरूद	कुरूद		मौरीखुर्द	–"–	
108	कुरूद	कुरूद		कुहकुहा	कुहकुहा	कुहकुहा , भरदा
109	कुरूद	कुरूद		भरदा	–"–	
110	कुरूद	कुरूद	34 चरमुड़िया	चरमुड़िया	चरमुड़िया	चरमुड़िया
111	कुरूद	कुरूद		भोथली	भोथली	भोथली
112	कुरूद	कुरूद		परसवानी	परसवानी	परसवानी , मेंड़रका
113	कुरूद	कुरूद		मेंडरका	–"–	
114	कुरूद	कुरूद	35 कुरूद	कुरूद	न.पं .क्षेत्र	न.पं कुरूद
115	कुरूद	कुरूद		राखी	राखी	राखी
116	कुरूद	कुरूद	36 परखंदा	परखंदा	परखंदा	परखंदा
117	कुरूद	कुरूद		गाड़ाडीह	गाड़ाडीह	गाड़ाडीह
118	कुरूद	कुरूद		नवागांव	नवागांव	नवागांव
119	कुरूद	कुरूद	37 मंदरौद	मंदरौद	मंदरौद	मंदरौद
120	कुरूद	कुरूद		उमरदा	उमरदा	उमरदा
121	कुरूद	कुरूद		कमरौद	कमरौद	कमरौद , परसवानी
122	कुरूद	कुरूद	38 चर्रा	चर्रा	चर्रा	चर्रा
123	कुरूद	कुरूद		कन्हारपुरी	कन्हारपुरी	कन्हारपुरी , भालूझूलन
124	कुरूद	कुरूद		भालूझूलन	–"–	
125	कुरूद	कुरूद		डांडेसरा	डांडेसरा	डांडेसरा
126	कुरूद	कुरूद	39 कोकड़ी	कोकड़ी	कोकड़ी	कोकड़ी , खैरा
127	कुरूद	कुरूद		खैरा	–"–	
128	कुरूद	कुरूद		कातलबोड़	कातलबोड़	कातलबोड़
129	कुरूद	कुरूद		बानगर	बानगर	बानगर
130	कुरूद	कुरूद		मोंगरा	मोंगरा	मोंगरा
131	कुरूद	कुरूद	40 सिंघौरीखुर्द	सिंघौरीखुर्द	सिंघौरीखुर्द	सिंघौरीखुर्द
132	कुरूद	कुरूद		सिंघौरीकला	सिंघौरीकला	सिंघौरीकला
133	कुरूद	कुरूद		परसवानी	कमरौद	कमरौद, परसवानी
134	कुरूद	कुरूद		जोरातराई	जोरातराई	जोरातराई
135	कुरूद	कुरूद		सेलदीप	सेलदीप	सेलदीप

भरतलाल बंजारे,
कलेक्टर

धमतरी, दिनांक 12 मार्च 2008

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक/342/भू-अभि./हल्का पुनर्गठन/2008.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं भरतलाल बंजारे, कलेक्टर जिला धमतरी एतद्द्वारा तहसील मगरलोड के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूँ :-

सूची

अ.नु.क्र.	तहसील का नाम	रा.नि.सर्किल का नाम	पटवारी हल्के का कमांक व नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत मे शामिल राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	06	07
01	मगरलोड	मगरलोड	01 सोनेवारा	सोनेवारा	सोनेवारा	सोनेवारा
02	मगरलोड	मगरलोड		पाहंदा	पाहंदा	पाहंदा
03	मगरलोड	मगरलोड		झांझरकेरा	झांझरकेरा	झांझरकेरा , देवगांव, भालूचुवां, धनबुड़ा
04	मगरलोड	मगरलोड		देवगांव	—"—	
05	मगरलोड	मगरलोड		भालूचुवां	—"—	
06	मगरलोड	मगरलोड		बोरसी	बोरसी	बोरसी
07	मगरलोड	मगरलोड		भोथा	भोथा	भोथा , लौड़ेर
08	मगरलोड	मगरलोड		लौड़ेर	—"—	
09	मगरलोड	मगरलोड	02 मोंहदी	मोंहदी	मोंहदी	मोंहदी , जामली
10	मगरलोड	मगरलोड		जामली	—"—	
11	मगरलोड	मगरलोड		राजपुर	राजपुर	राजपुर
12	मगरलोड	मगरलोड		धनबुड़ां	झांझरकेरा	झांझरकेरा , देवगांव, भालूचुवां, धनबुड़ा
13	मगरलोड	मगरलोड		सरगी	सरगी	सरगी , केवराडीह
14	मगरलोड	मगरलोड		केवराडीह	—"—	
15	मगरलोड	मगरलोड	03 बेलोरा	बेलोरा	बेलोरा	बेलोरा
16	मगरलोड	मगरलोड		सोनपैरी	सोनपैरी	सोनपैरी , बनियातोरा
17	मगरलोड	मगरलोड		बनियातोरा	—"—	
18	मगरलोड	मगरलोड		बिरझुली	बिरझुली	बिरझुली , कुसुमखुंटा, पेण्ड्रा , आलेखुटा, गोबरापठार
19	मगरलोड	मगरलोड		कुसुमखुंटा	—"—	
20	मगरलोड	मगरलोड		पेण्ड्रा	—"—	
21	मगरलोड	मगरलोड		मड़ेली	मड़ेली	मड़ेली , बकोरी
22	मगरलोड	मगरलोड		बकोरी	—"—	
23	मगरलोड	मगरलोड	04 मगरलोड	मगरलोड	मगरलोड	मगरलोड
24	मगरलोड	मगरलोड		परसवानी	परसवानी	परसवानी
25	मगरलोड	मगरलोड		भरदा	भरदा	भरदा
26	मगरलोड	मगरलोड		भैसमुण्डी	भैसमुण्डी	भैसमुण्डी
27	मगरलोड	मगरलोड	05 करेली छोटी	करेली छोटी	करेली छोटी	करेली छोटी
28	मगरलोड	मगरलोड		छिपली	छिपली	छिपली , लुंगे
29	मगरलोड	मगरलोड		लुगे	—"—	
30	मगरलोड	मगरलोड		डाभा	डाभा	डाभा
31	मगरलोड	मगरलोड	06 मेधा	मेधा	मेधा	मेधा

32	मगरलोड	मगरलोड		गिरौद	गिरौद	गिरौद
33	मगरलोड	मगरलोड		सौंगा	सौंगा	सौंगा
34	मगरलोड	मगरलोड		अरौद	अरौद	अरौद
35	मगरलोड	मगरलोड		खैरझिटी	खैरझिटी	खैरझिटी
36	मगरलोड	मगरलोड	07 करेली बड़ी	करेली बड़ी	करेली बड़ी	करेली बड़ी , खट्टी
37	मगरलोड	मगरलोड		खट्टी	–"–	
38	मगरलोड	मगरलोड		भोथा	धौराभाठा	धौराभाठा , भोथा
39	मगरलोड	मगरलोड		धौराभाठा	–"–	
40	मगरलोड	मगरलोड		हरदी	हरदी	हरदी
41	मगरलोड	मगरलोड	08 बुड़ेनी	बुड़ेनी	बुड़ेनी	बुड़ेनी
42	मगरलोड	मगरलोड		नवागांव	नवागांव	नवागांव
43	मगरलोड	मगरलोड		परसट्टी	परसट्टी	परसट्टी , नाहरड़ीह
44	मगरलोड	मगरलोड		नाहरड़ीह	–"–	
45	मगरलोड	मगरलोड		चंदना	चंदना	चंदना
46	मगरलोड	मगरलोड		चंदसुर	चंदसुर	चंदसुर
47	मगरलोड	मगरलोड	09 भेण्ड्री	भेण्ड्री	भेण्ड्री	भेण्ड्री
48	मगरलोड	मगरलोड		मोहरेंगा	मोहरेंगा	मोहरेंगा
49	मगरलोड	मगरलोड		परेवाडीह	परेवाडीह	परेवाडीह, दमकाडीह
50	मगरलोड	मगरलोड	10 कुण्डेल	कुण्डेल	कुण्डेल	कुण्डेल
51	मगरलोड	मगरलोड		दमकाडीह	परेवाडीह	परेवाडीह, दमकाडीह
52	मगरलोड	मगरलोड		बेलौदी	बेलौदी	बेलौदी
53	मगरलोड	मगरलोड		मोतिमपुर	मोतिमपुर	मोतिमपुर
54	मगरलोड	मगरलोड		हसदा	हसदा	हसदा
55	मगरलोड	मगरलोड	11 खिसोरा	खिसोरा	खिसोरा	खिसोरा
56	मगरलोड	मगरलोड		धौराभाठा	धौराभाठा	धौराभाठा
57	मगरलोड	मगरलोड		डुमरपाली	डुमरपाली	डुमरपाली , नारधा
58	मगरलोड	मगरलोड		नवागांव	नवागांव	नवागांव
59	मगरलोड	मगरलोड	12 भोथीडीह	भोथीडीह	भोथीडीह	भोथीडीह
60	मगरलोड	मगरलोड		कमरौद	कमरौद	कमरौद, चारभाठा
61	मगरलोड	मगरलोड		चारभाठा	–"–	
62	मगरलोड	मगरलोड		सांकरा	सांकरा	सांकरा
63	मगरलोड	मगरलोड		राकाडीह	राकाडीह	राकाडीह
64	मगरलोड	मगरलोड		बोडरा	बोडरा	बोडरा
65	मगरलोड	मगरलोड	13 गाड़ाडीह	गाड़ाडीह	गाड़ाडीह	गाड़ाडीह
66	मगरलोड	मगरलोड		अमलीडीह	अमलीडीह	अमलीडीह, कुल्हाड़ी, हतबंद
67	मगरलोड	मगरलोड		आमाचानी	शुक्लाभाठा	शुक्लाभाठा , आमाचानी
68	मगरलोड	मगरलोड		शुक्लाभाठा	–"–	
69	मगरलोड	मगरलोड		दुधवारा	दुधवारा	दुधवारा
70	मगरलोड	मगरलोड		नारधा	डुमरपाली	डुमरपाली , नारधा
71	मगरलोड	मगरलोड		कपालफोडी	कपालफोडी	कपालफोडी
72	मगरलोड	मगरलोड	14 बेलरदोना	बेलरदोना	बेलरदोना	बेलरदोना
73	मगरलोड	मगरलोड		परसाबुड़ा	परसाबुड़ा	परसाबुड़ा , रेंगाडीह, राजाडेरा
74	मगरलोड	मगरलोड		रेंगाडीह	–"–	
75	मगरलोड	मगरलोड		राजाडेरा	–"–	
76	मगरलोड	मगरलोड		कोरगांव	कोरगांव	कोरगांव , चारभाठा, तेन्दूकोन्हा
77	मगरलोड	मगरलोड		चारभाठा	–"–	
78	मगरलोड	मगरलोड		तेन्दूकोन्हा	–"–	
79	मगरलोड	मगरलोड		कुल्हाडी	अमलीडीह	अमलीडीह , कुल्हाडी, हतबंद
80	मगरलोड	मगरलोड	15 पठार	पठार	पठार	पठार , बेन्द्राचुवा
81	मगरलोड	मगरलोड		बेन्द्राचुवा	–"–	

82	मगरलोड	मगरलोड		मड़बापथरा	खड़मा मा.ग	खड़मा मा.ग, मड़वापथरा, खड़मा रै.
83	मगरलोड	मगरलोड		आलेखुटा	बिरझुली	बिरझुली , कुसुमखुंटा, पेण्ड्रा , आलेखुटा, गोबरापठार
84	मगरलोड	मगरलोड		गोबरापठार	—"—	
85	मगरलोड	मगरलोड	16 मोहेरा	मोहेरा	मोहेरा	मोहेरा , निरई ,
86	मगरलोड	मगरलोड		निरई	—"—	
87	मगरलोड	मगरलोड		मारागांव	मारागांव	मारागांव , भोभलाबहरा, सरईभदर
88	मगरलोड	मगरलोड		भोभलाबहरा	—"—	
89	मगरलोड	मगरलोड		सरईभदर	—"—	
90	मगरलोड	मगरलोड		खड़मा मा.गु.	खड़मा मा.गु	खड़मा मा.गु , खड़मा रै. मड़वापथरा,
91	मगरलोड	मगरलोड		खड़मा रै.	—"—	
92	मगरलोड	मगरलोड		हतबंद	अमलीडीह	अमलीडीह , हतबंद, कुल्हाड़ी
93	मगरलोड	मगरलोड	17 सिंगपुर	सिंगपुर	सिंगपुर	सिंगपुर
94	मगरलोड	मगरलोड		धनोरा	भण्डारवाही	भण्डारवाही , धनोरा, कासरवाही
95	मगरलोड	मगरलोड		भण्डारवाही	—"—	
96	मगरलोड	मगरलोड		कासरवाही	—"—	
97	मगरलोड	मगरलोड		मुड़केरा	मुड़केरा	मुड़केरा , अंजोरा, कमईपुर
98	मगरलोड	मगरलोड		अंजोरा	—"—	
99	मगरलोड	मगरलोड		कमईपुर	—"—	
100	मगरलोड	मगरलोड		सोनझरी	सोनझरी	सोनझरी

भरतलाल बंजारे,
कलेक्टर

धमतरी, दिनांक 12 मार्च 2008

संशोधित अधिसूचना.

क्रमांक/342/भू-अभि./हल्का पुनर्गठन/2008.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं भरतलाल बंजारे, कलेक्टर जिला धमतरी एतद्द्वारा तहसील नगरी के पटवारी हल्कों का पुनर्गठन निम्न सूची में दर्शाये अनुसार करता हूँ :-

सूची

अ.नु. क.	तहसील का नाम	रा.नि.सर्किल का नाम	पटवारी हल्के का कमांक व नाम	पटवारी हल्के में शामिल राजस्व ग्रामों का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत में शामिल राजस्व ग्राम
1	2	3	4	5	06	07
1	नगरी	सिहावा	1 सलौनी	सलौनी	सलौनी	सलौनी
2	नगरी	सिहावा		दरगहन	दरगहन	दरगहन
3	नगरी	सिहावा	2 काटाकुर्री	काटाकुर्री	काटाकुर्री	काटाकुर्री, बनबगौद, सिरौदखुर्द, जरहाखार, सिरौदकला
4	नगरी	सिहावा		वनवगौद	—"—	
5	नगरी	सिहावा		सिरौदखुर्द	—"—	
6	नगरी	सिहावा		जरहाखार	—"—	
7	नगरी	सिहावा		सिरौदकला	—"—	
8	नगरी	सिहावा		छुही	छुही	छुही , साल्हेभाठ
9	नगरी	सिहावा		साल्हेभाठ	—"—	
10	नगरी	सिहावा	3 कुकरेल	कुकरेल	कुकरेल	कुकरेल
11	नगरी	सिहावा		सियादेही	सियादेही	सियादेही , मोहलई, पथर्रीडीह
12	नगरी	सिहावा		मोहलई	—"—	
13	नगरी	सिहावा		पथर्रीडीह	—"—	
14	नगरी	सिहावा	4 माकरदोना	माकरदोना	माकरदोना	माकरदोना
15	नगरी	सिहावा		कुम्हड़ा	कुम्हड़ा	कुम्हड़ा, मारदापोटी, बनरौद
16	नगरी	सिहावा		मारदापोटी	—"—	
17	नगरी	सिहावा		बनरौद	—"—	
18	नगरी	सिहावा	5 कुर्रीडीह	कुर्रीडीह	कुर्रीडीह	कुर्रीडीह , बरबांधा, पीरपछेड़ी
19	नगरी	सिहावा		बरबांधा	—"—	
20	नगरी	सिहावा		पीरपछेड़ी	—"—	

21	नगरी	सिहावा		झुरांतराई	झुरांतराई	झुरातराई , कोटरवाही, छलकनी, पारधी, मगौद
22	नगरी	सिहावा		कोटरवाही	झुरातराई	
23	नगरी	सिहावा		छलकनी	–"–	
24	नगरी	सिहावा		पारधी	–"–	
25	नगरी	सिहावा		मगौद	–"–	
26	नगरी	सिहावा	6 केरेगांव	केरेगांव	केरेगांव	केरेगांव, नाथूकोन्हा, रायपारा
27	नगरी	सिहावा		नाथूकोन्हा	–"–	
28	नगरी	सिहावा		रायपारा	–"–	
29	नगरी	सिहावा		कोर्रा	डोकाल व.ग्रा.	कोर्रा
30	नगरी	सिहावा	7 भोथापारा	भोथापारा	भोथापारा	भोथापारा , अमलीपारा
31	नगरी	सिहावा		अमलीपारा	–"–	
32	नगरी	सिहावा		चनागांव	चनागांव	चनागांव, छिंदभर्री
33	नगरी	सिहावा		छिंदभर्री	–"–	
34	नगरी	सिहावा	8 सियारीनाला	सियारीनाला	सियारीनाला	सियारीनाला, बीजापुर
35	नगरी	सिहावा		बीजापुर	–"–	
36	नगरी	सिहावा		बगरूमनाला	बगरूमनाला	बगरूमनाला, बरकोन्हा, हितली
37	नगरी	सिहावा		बरकोन्हा	–"–	
38	नगरी	सिहावा		हितली	–"–	
39	नगरी	सिहावा	9 सरईटोला	सरईटोला	सरईटोला	सरईटोला, गट्टासिल्ली रै., जोराडबरी
40	नगरी	सिहावा		गट्टासिल्ली रै.	–"–	
41	नगरी	सिहावा		जोराडबरी	–"–	
42	नगरी	सिहावा	10 गट्टासिल्ली	गट्टासिल्ली	गट्टासिल्ली	गट्टासिल्ली, कुम्हड़ाकोट
43	नगरी	सिहावा		कुम्हड़ाकोट	–"–	
44	नगरी	सिहावा		गेदरा	गेदरा	गेदरा , गोदलानाला
45	नगरी	सिहावा		गोदलानाला	–"–	
46	नगरी	सिहावा	11 करैहा	करैहा	करैहा	करैहा , आमदी
47	नगरी	सिहावा		आमदी	–"–	
48	नगरी	सिहावा		चिवर्री मा. गु.	चिवर्री मा. गु.	चिवर्री मा. गु., अर्जुनी, सांकरा चिवर्री रैयत,
49	नगरी	सिहावा		अर्जुनी	–"–	
50	नगरी	सिहावा		सांकरा	–"–	
51	नगरी	सिहावा		चिवर्री रैयत	–"–	
52	नगरी	सिहावा		कोर्रेमुडा	झुंझराकसा व.ग्रा.	कोर्रेमुड़ा
53	नगरी	सिहावा	12 धोटगांव	धोटगांव	धोटगांव	धोटगांव , बटनहर्रा, कुरमिया
54	नगरी	सिहावा		बटनहर्रा	–"–	
55	नगरी	सिहावा		कुरमिया	–"–	
56	नगरी	सिहावा		राजपुर	राजपुर	राजपुर
57	नगरी	सिहावा	13 डोंगरडूला	डोंगरडूला	डोंगरडूला	डोंगरडूला, कल्लेमेटा
58	नगरी	सिहावा		कल्लेमेटा	–"–	

59	नगरी	सिहावा		परसापानी	परसापानी	परसापानी, अछोली
60	नगरी	सिहावा		अछोली	—"—	
61	नगरी	सिहावा		मोहमल्ला मा.गु.	बाधा वन. ग्राम	मोहमल्ला मा.गु., मोहमल्ला रै.
62	नगरी	सिहावा		मोहमल्ला रै.	—"—	
63	नगरी	सिहावा	14 हरदीभाठा	हरदीभाठा	हरदीभाठा	हरदीभाठा, चमेदा
64	नगरी	सिहावा		चमेदा	—"—	
65	नगरी	सिहावा		बिलभदर	बिलभदर	बिलभदर
66	नगरी	सिहावा	15 देवपुर	देवपुर	देवपुर	देवपुर, बोध सेमरा, बिरनपुर
67	नगरी	सिहावा		बोध सेमरा	—"—	
68	नगरी	सिहावा		बिरनपुर	—"—	
69	नगरी	सिहावा		मुकुन्दपुर	मुकुन्दपुर	मुकुन्दपुर
70	नगरी	सिहावा	16 नगरी	नगरी	नगरी	नगरी , चुरियारा
71	नगरी	सिहावा		चुरियारा	—"—	
72	नगरी	सिहावा		छिपली	छिपली	छिपली , मोदे
73	नगरी	सिहावा		मोदे	—"—	
74	नगरी	सिहावा	17 अमाली	अमाली	अमाली	अमाली , सम्बलपुर
75	नगरी	सिहावा		सम्बलपुर	—"—	
76	नगरी	सिहावा		गोरेगांव	गोरेगांव	गोरेगांव , सामतरा, टेंगना
77	नगरी	सिहावा		सामतरा	—"—	
78	नगरी	सिहावा		टेंगना	—"—	
79	नगरी	सिहावा		खुदुरपानी	भैसामुड़ा व.ग्रा	खुदुरपानी
80	नगरी	सिहावा	18 फरसिया	फरसिया	फरसिया	फरसिया , निर्राबेड़ा
81	नगरी	सिहावा		निर्राबेड़ा	—"—	
82	नगरी	सिहावा		भोथली	भोथली	भोथली , हिन्छापुर
83	नगरी	सिहावा		हिन्छापुर	—"—	
84	नगरी	सिहावा		बोडरा	बोडरा	बोडरा
85	नगरी	सिहावा	19 सांकरा	सांकरा	सांकरा	सांकरा
86	नगरी	सिहावा		खम्हरिया	खम्हरिया	खम्हरिया
87	नगरी	सिहावा	20 मल्हारी	मल्हारी	मल्हारी	मल्हारी , रानीगांव
88	नगरी	सिहावा		रानीगांव	—"—	
89	नगरी	सिहावा		सिरसिदा	सिरसिदा	सिरसिदा , रावनसिंधी
90	नगरी	सिहावा		रावनसिंधी	—"—	
91	नगरी	सिहावा	21 सिहावा	सिहावा	सिहावा	सिहावा
92	नगरी	सिहावा		छिपलीपारा	छिपलीपारा	छिपलीपारा , पंडरीपानी मा.
93	नगरी	सिहावा		पंडरीपानी मा.	—"—	
94	नगरी	सिहावा	22 सेमरा	सेमरा	सेमरा	सेमरा, पंडरीपानी रै. भेजरीरावन,
95	नगरी	सिहावा		पंडरीपानी रै.	—"—	
96	नगरी	सिहावा		भेजरीरावन	—"—	

97	नगरी	सिहावा		भीतररास	भीतररास	भीतररास
98	नगरी	सिहावा	23 बिरगुड़ी	बिरगुड़ी	बिरगुड़ी	बिरगुड़ी , खुटार
99	नगरी	सिहावा		खुटार	–"–	
100	नगरी	सिहावा		खड़पथरा	भड़सिवना व.ग्रा.	खड़पथरा
101	नगरी	सिहावा		मुरूमतरा	बांसपानी व.ग्रा.	मुरूमतरा , केंकराडोंगरी, ठेमली, सोनपुर डु., सोनपुरभर्री, देवखुट डु.
102	नगरी	सिहावा		केंकराडोंगरी	–"–	
103	नगरी	सिहावा		ठेमली	–"–	
104	नगरी	सिहावा		सोनपुर डुबान	–"–	
105	नगरी	सिहावा		सोनपुरभर्री	–"–	
106	नगरी	सिहावा		देवखुट डुबान	–"–	
107	नगरी	सिहावा	24 बेलरगांव	बेलरगांव	बेलरगांव	बेलरगांव, डोमपदर, भुमका मा. गु., भुमका रै., बेनौरा रै., बेम मा. गु. डु. बेम रै. (डुबान, बेनौरा मा. गु. (डुबान
108	नगरी	सिहावा		डोमपदर	–"–	
109	नगरी	सिहावा		भुमका मा. गु.	–"–	
110	नगरी	सिहावा		भुमका रै.	–"–	
111	नगरी	सिहावा		बेनौरा रै.	–"–	
112	नगरी	सिहावा		बेम मा. गु. (डुबान)	–"–	
113	नगरी	सिहावा		बेम रै. (डुबान)	–"–	
114	नगरी	सिहावा		बेनौरा मा. गु. (डु)	–"–	
115	नगरी	सिहावा		नवागांव (कस.)	नवागांव (कस.)	नवागांव (कस.)
116	नगरी	सिहावा	25 भुरसीडोंगरी	भुरसीडोंगरी	भुरसीडोंगरी	भुरसीडोंगरी , कोरमुड़
117	नगरी	सिहावा		कोरमुड़	–"–	
118	नगरी	सिहावा		आमगांव	आमगांव	आमगांव
119	नगरी	सिहावा		घोंडावर	घोंडावर	घोंडावर , जैतपुरी, अमाली
120	नगरी	सिहावा		जैतपुरी	–"–	
121	नगरी	सिहावा		अगाली	–"–	
122	नगरी	सिहावा		बरबांधा	बरबांधा	बरबांधा
123	नगरी	सिहावा	26 गढ़डोंगरी मा. गु.	गढ़डोंगरी मा. गु.	गढ़डोंगरी मा. गु.	गढ़डोंगरी मा. गु.
124	नगरी	सिहावा		लटियारा	लटियारा	लटियारा , चर्रा , साहनीखार
125	नगरी	सिहावा		चर्रा	–"–	
126	नगरी	सिहावा		साहनीखार	–"–	
127	नगरी	सिहावा		करापुर रै.	कसपुर रै.	कसपुर रै.
128	नगरी	सिहावा	27 पावद्वार	पावद्वार	पावद्वार	पावद्वार , गिधावा
129	नगरी	सिहावा		गिधावा	–"–	
130	नगरी	सिहावा		गढ़डोंगरी रै.	गढ़डोंगरी रै.	गढ़डोंगरी रै.
131	नगरी	सिहावा	28 घटुला	घटुला	घटुला	घटुला , पांडरवाही धोधोपुरी विरान
132	नगरी	सिहावा		पांडरवाही	घटुला	
133	नगरी	सिहावा		धोधोपुरी विरान	–"–	

134	नगरी	सिहावा		पाईकभाठा	पाईकभाठा	पाईकभाठा , पदमपुर
135	नगरी	सिहावा		पदमपुर	—"—	
136	नगरी	सिहावा	29 उमरगांव	उमरगांव	उमरगांव	उमरगांव
137	नगरी	सिहावा		पोडागांव	पोडागांव	पोडागांव , भीषमपुरी
138	नगरी	सिहावा		भीषमपुरी	—"—	
139	नगरी	सिहावा		रतावा	रतावा	रतावा
140	नगरी	सिहावा		लखनपुरी	लखनपुरी	लखनपुरी
141	नगरी	सिहावा	30 बोरई	बोरई	बोरई	बोरई
142	नगरी	सिहावा		मैनपुर	मैनपुर	मैनपुर , बनियाडीह
143	नगरी	सिहावा		बनियाडीह	—"—	
144	नगरी	सिहावा		घुटकेल	घुटकेल	घुटकेल
145	नगरी	सिहावा		लिखमा	लिखमा	लिखमा
146	नगरी	सिहावा	31 नवागांव	नवागांव	नवागांव सा.	नवागांव सा., सांकरा कुप, भीरागांव
147	नगरी	सिहावा		सांकरा कुप	—"—	
148	नगरी	सिहावा		भीरागांव	—"—	
149	नगरी	सिहावा		अंजनी	मोहाबहरा व.ग्रा.	अंजनी, पोडीडीह
150	नगरी	सिहावा		पोडीडीह	—"—	
151	नगरी	सिहावा	32 मेचका	मेचका	मेचका	मेचका , खालगढ़
152	नगरी	सिहावा		खालगढ़	—"—	
153	नगरी	सिहावा		आमाबहार	रिसगांव वन ग्राम	आमाबहार
154	नगरी	सिहावा		बेलरबाहरा	बेलरबाहरा	बेलरबाहरा , बोईरगांव डु., कसलोर डु., बरपदर डु.
155	नगरी	सिहावा		बोईरगांव (डुबान)	—"—	
156	नगरी	सिहावा		कसलोर (डुबान)	—"—	
157	नगरी	सिहावा		बरपदर (डुबान)	—"—	
158	नगरी	सिहावा		अर्जुनी	ठेनही व.ग्रा.	अर्जुनी, बासीन, तुमड़ीबहार, गायताभरी
159	नगरी	सिहावा		बासीन	—"—	
160	नगरी	सिहावा		तुमड़ीबहार	—"—	
161	नगरी	सिहावा		गायताभरी	—"—	

भरतलाल बंजारे,
कलेक्टर.

कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला-जशपुर (छत्तीसगढ़)

जशपुर, दिनांक 26 अक्टूबर, 2007

क्रमांक 1536/स. अ. भू-अभि. एक/पटवारी हल्का पुनर्गठन/2007.— छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2768/राजस्व/2004/रायपुर, दिनांक 22-12-2004 एवं ज्ञापन क्रमांक एफ-6-138/राजस्व/सात-3/2004/रायपुर, दिनांक 20 जुलाई. 2005 के तहत् 02 ग्राम पंचायतों के ऊपर 01 पटवारी हल्का का पुनर्गठन करने के निर्देशानुसार, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 104 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं डी. डी. सिंह, कलेक्टर, जिला-जशपुर (छत्तीसगढ़), एतद्द्वारा जशपुर जिला में कुल 208 पटवारी हल्कों का, निम्नांकित् सूंची में दर्शाए अनुसार पुनर्गठन करता हूँ.

सरल	तहसील का	राजस्व निरीक्षक मण्डल मण्डल का नाम	पटवारी हल्का		ग्राम पंचायत		पटवारी हल्का के अन्तर्गत आने वाले ग्राम	
			पटवारी हल्का हल्का	मुख्यालय का नाम	कमांक	ग्राम पंचायत का नाम	कमांक	ग्राम का नाम (ग्राम पंचायतवार)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**मनोरा**	मनोरा	1	गीधा	1	गीधा	1	1. गीधा
2					2	अन्धरझर	2	1. अन्धरझर
				योग:—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
3			2	माँड़ो	3	माँड़ो	3	1. माँड़ो
4							4	2. गोवारू
5							5	3. ढेंगनी
6							6	4. अजधा
7					4	खम्हली	7	1. खम्हली
8							8	2. आमगाँव
9							9	3. अन्धला
				योग:—		**2 ग्राम पंचायत**		**7 ग्राम**
10			3	बहेरना	5	बहेरना	10	1. बहेरना
11							11	2. काँची

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	मनोरा	मनोरा	क्रमशः	क्रमशः	6	इराई	12	1. इराई
13							13	2. कुर्रांग
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
14			4	सरडीह	7	सरडीह	14	1. सरडीह
15							15	2. सराईडीह
16							16	3. बुधगाँव
17							17	4. खौरा
18					8	हर्री	18	1. हर्री
19							19	2. कोठाडीह
20							20	3. खड़कोना
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**7 ग्राम**
21			5	आस्ता	9	आस्ता	21	1. आस्ता
22							22	2. बेंजोरा
23					10	हर्राडीपा	23	1. हर्राडीपा
24							24	2. तलोरा
25							25	3. बेलडीह
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**5 ग्राम**
26			6	करादरी	11	करादरी	26	1. कारादरा
27							27	2. लिटिम
28					12	तालासिली	28	1. तालासिली
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
29			7	सोनक्यारी	13	सोनक्यारी	29	1. सोनक्यारा
30							30	2. सरडीह
31					14	करडीह	31	1. करडीह
32							32	2. सराईटोली
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
33			8	पण्डरसिली	15	पण्डरसिली	33	1. पण्डरसिली
34							34	2. गुतकिया
35					16	रेमने	35	1. रेमने
36							36	2. केपसेला
37							37	3. गेंड़ई
38							38	4. करनपुर **(वनग्राम)**
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**6 ग्राम**
39			9	पटिया	17	पटिया	39	1. पटिया
40							40	2. ओरकेला
41							41	3. बोरोकोना **(बनग्राम)**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	मनोरा	मनोरा	क्रमशः	क्रमशः	18	अलोरी	42	1. अलोरी
43							43	2. मतलोंगा
44							44	3. झरगाँव
45							45	4. गुल्लू
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		7 ग्राम
46			10	ैला	19	सुरजुला	46	1. सुरजुला
47							47	2. डोंगझरन
48					20	खूँटापानी	48	1. खूँटापानी
49							49	2. ैला
50							50	3. सरूवा
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
51			11	घाघरा	21	घाघरा	51	1. घाघरा
52							52	2. िकरडीह
53					22	करदना	53	1. करदना
54							54	2. छतौरी
55							55	3. धसमा
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
56			12	भीमसिला	23	खोंगा	56	1. खोंगा
57							57	2. भीमसिला
58							58	3. घटगाँव
59					24	ओरडीह	59	1. ओरडीह
60							60	2. कण्डोरा
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
61			13	गजमा	25	गजमा	61	1. गजमा
62							62	2. कुलाडोर
63							63	3. बिरला
64					26	कपरोल	64	1. कपरोल
65							65	2. सिकरी
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
66			14	मधवा	27	मधवा	66	1. मधवा
67					28	लुखी	67	1. लुखी
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
68			15	खरसोता	29	खरसोता	68	1. खरसोता
69							69	2. खोखरसोवेंजोरा
70					30	डँड़गाँव	70	1. डँड़गाँव
71							71	2. जयमरगा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	मनोरा	मनोरा		योगः–		2 ग्राम पंचायत		4 ग्राम
72			16	मनोरा	31	मनोरा	72	1 मनोरा
73							73	2. पकरीटोली
74					32	काँटाबेल	74	1. काँटाबेल
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
75			17	टेम्पू	33	टेम्पू	75	1. टेम्पू
76							76	2. केशरा
77							77	3. केराकोना
78					34	चड़िया	78	1. चड़िया
79							79	2. गोरियाटोली
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
80			18	जरिया	35	जरिया	80	1. जरिया
81							81	2. टुकूटोली
82							82	3. करंजटोली
83					36	बुमतेल	83	1. बुमतेल
84							84	2. फतेहपुर
85							85	3. कुजरी
86							86	4. बरटोली
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		7 ग्राम
87			19	सोगड़ा	37	सोगड़ा	87	1. सोगड़ा
88					38	डूमरटोली	88	1. डूमरटोली
89							89	2. मरगा
90							90	3. भभरी
91							91	4. नवाटोली
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
92			20	पोंड़ीपटकोना	39	पोंड़ीपटकोना	92	1. पोंड़ीपटकोना
93							93	2. कलारू
94					40	रजला	94	1. रजला
95							95	2. मूटू
96							96	3. जकवा
97							97	4. बोरोकोना
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		6 ग्राम
योगः–	तहसील मनोरा	मनोरा	20	पटवारी हल्के	40	ग्राम पंचायत	95 2	राजस्व ग्राम वनग्राम
							97	कुल ग्राम

तहसील–जशपुर प्रारम्भ :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**जशपुर**	जशपुर	1	पैकू	1	पैकू	1	1. पैकू
2							2	2. सरडीह
3					2	रातामाटी	3	1. रातामाटी
4							4	2. जिलिंग
5							5	3. किलिंग
6							6	4. पाकरटोली
				योगः–		**2 ग्राम पंचायत**		**6 ग्राम**
7			2	नीमगाँव	3	नीमगाँव	7	1. नीमगाँव
8							8	2. टिगरला
9					4	पींड़ी	9	1. पींड़ी
10							10	2. भुड़केला
11							11	3. बेंगटा
				योगः–		**2 ग्राम पंचायत**		**5 ग्राम**
12			3	सारूडीह	5	सारूडीह	12	1. सारूडीह
13							13	2. कोमड़ो
14					6	बघिमा	14	1. बघिमा
15							15	2. टिकैतगंज
16							16	3. दासडूमरटोली
				योगः–		**2 ग्राम पंचायत**		**5 ग्राम**
17			4	लुईकोना	7	लुईकोना	17	1. लुईकोना
18							18	2. खूँटीटोली
19							19	3. करिसा
20					8	किनकेल	20	1. किनकेल
21							21	2. केरे
				योगः–		**2 ग्राम पचायत**		**5 ग्राम**
22			5	सिटोंगा	9	सिटोंगा	22	1. सिटोंगा
23					10	रेंगोला	23	1. रेंगोला
24							24	2. राईकोना
25							25	3. बढ़ईखाना
26							26	4. जोगीमारा
				योगः–		**2 ग्राम पंचायत**		**5 ग्राम**
27			6	पुरनानगर	11	पुरनानगर	27	1. पुरनानगर
28							28	2. बालाछापर
29					12	कनमोरा	29	1. कनमोरा
30							30	2. घुटरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
31	जशपुर	जशपुर	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	31	3. छोटा वनई
32							32	4. जवला
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**6 ग्राम**
33			7	जशपुरनगर	13	जशपुरनगर	33	1. जशपुरनगर
					1	**नगर पालिका**		**(नगरीय ग्राम)**
34						—परिषद्	34	2. जुरगुम
35							35	3. बम्हनीडाँड़ **(बीरान ग्राम)**
				योगः—	**1 ग्राम पंचायत, 1 न0पा0प0**			**3 ग्राम**
36			8	गम्हरिया	14	गम्हरिया	36	1. गम्हरिया
37							37	2. पण्डरीपानी
38					15	गिराँग	38	1. गिराँग
39							39	2. डीपाटोली
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
40			9	घोलेंग	16	घोलेंग	40	1. घोलेंग
41					17	झरगाँव	41	1. झरगाँव
42							42	2. पाण्डुल
43							43	3. ऊँचडीह
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
44			10	बड़ाकोरंजा	18	बड़ाकोरंजा	44	1 बड़ाकोरंजा
45							45	2. छोटाक[illegible]
46					19	गलोण्डा	46	1. गलोण्डा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
47			11	पतराटोली	20	टेकुल	47	1. टेकुल
48							48	2. पतराटोली
49					21	तुरीलोदाम	49	1. तुरीलोदाम
50							50	2. हर्राडीपा
51							51	3. आगडीह
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**5 ग्राम**
52			12	लोखण्डी	22	लोखण्डी	52	1 लोखण्डी
53							53	2. घुलमुल
54					23	जकबा	54	1. जकवा
55			क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	55	2. अमेराटोली
56							56	3. कोलेंग
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**5 ग्राम**
57			13	बाम्हनपुरा	24	बाम्हनपुरा	57	1. बाम्हनपुरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
58	जशपुर	जशपुर	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	58	2. बस्ता
59							59	3. बोडोकछार
60					25	जामटोली	60	1. जामटोली
61							61	2. भलमण्डा
62							62	3. ढौंडाटोली
63							63	4. रुपरांरा
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		7 ग्राम
64			14	लोदाम	26	लोदाम	64	1. लोदाम
65					27	पोंड़ी	65	1. पोंड़ी
66							66	2. कातिंग
67							67	3 रतिया
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		4 ग्राम
68			15	साँईटाँगरटोली	28	साँईटाँगरटोली	68	1. साँईटाँगरटोली
69					29	पुत्रीचौरा	69	1. पुत्रीचौरा
70							70	2. कोनवीरा
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
71			16	पिलखी	30	पिलखी	71	1. पिलखी
72							72	2. गिरला
73							73	3. जुरतेला
74							74	4. ढोलडुवा
75					31	बड़ाबनई	75	1. बड़ाबनई
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
76			17	पोरतेंगा	32	पोरतेंगा	76	1. पोरतेंगा
77							77	2. भेलवाँडीह
78					33	चैलीटाँगरटोली	78	1. चैलीटाँगरटोली
79							79	2. चराईडाँड़
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		4 ग्राम
80			18	झोलंगा	34	झोलंगा	80	1. झोलंगा
81							81	2. घोराघाट
82							82	3. कुड़िंगमौहाटोली
83					35	नारायणपुर	83	1. नारायणपुर (चिरवारी)
84						(चिरवारी)	84	2. रनपुर
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
85			19	बरगाँव	36	बरगाँव	85	1. बर[illegible]
86							86	2. [illegible]पानी
87					37	[illegible]वीडँड़गाँव	87	1 [illegible]ड़गाँव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
88	जशपुर	जशपुर	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	88	2 कदमटोली
89							89	3 कोरेगरेंगा
90							90	4. राईपाट
91							91	5. झिलमिली
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**7 ग्राम**
92			20	इचकेला	38	इचकेला	92	1. इचकेला
93					39	बोकी	93	1. बोकी
94							94	2. वीरोपानी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
95			21	आरा	40	आरा	95	1. आरा
96							96	2. शकरडेगा
97							97	3. टूटीअम्बा
98					41	सालेकेरा	98	1. सालेकरा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
योगः—	तहसील जशपुर	जशपुर	21	पटवारी हल्के	41 1	ग्राम पंचायत नगर पालिका —परिषद्	98 0 98	राजस्व ग्राम (जिसमें नगरीय 1, बीरान 1) वनग्राम कुल ग्राम

तहसील—कुनकुरी प्रारम्भ :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	कुनकुरी	कुनकुरी	1	पकरीकछार	1	पकरीकछार	1	1. पकरीकछार
2					2	बेहराखार	2	1. बेहराखार
3							3	2. जुडवाईन (तहसील—बगीचा से आया)
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
4			2	जोकबहला	3	जोकबहला	4	1. जोकबहला
5							5	2 कोटिया
6					4	चराईखारा	6	1. चराईखारा
7							7	2. बेलसुंगा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
8			3	कुरकुंगा	5	कुरकुंगा	8	1. कुरकुंगा
9					6	रजौटी	9	1. रजौटी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
10			4	बनकोम्बो	7	बनकोम्बो	10	1. बनकोम्बो
11							11	2. सारंगडाँड
12					8	रानीकोम्बो	12	1. रानीकोम्बो
13							13	2. चराईमारा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	कुनकुरी	कुंनकुरी		योगः–		2 ग्राम पंचायत		4 ग्राम
14			5	सेन्द्रीमुण्डा	9	सेन्द्रीमुण्डा	14	1. सेन्द्रीमुण्डा
15							15	2. पुटूकेला
16					10	बरडाँड़	16	1. बरडाँड़
17							17	2. मटासी
18							18	3. डीपाटोली
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
19			6	नारायणपुर	11	नारायणपुर	19	1. नारायणपुर
20							20	2. चिटकवाईन
21					12	दाराखरिका	21	1. दाराखरिका
22							22	2. हस्तिनापुर
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		4 ग्राम
23			7	बासनतला	13	बासनतला	23	1. बासनतला
24					14	चटकपुर	24	1. चटकपुर
25							25	2. बेने
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
26			8	कुडूकेला	15	कुडूकेला	26	1. कुडूकेला
27					16	रेंगारघाट	27	1. रेंगारघाट
28							28	2. बिलासपुर
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
29			9	भेलवाँटोली	17	भेलवाँटोली	29	1. भेलवाँटोली
30					18	जोरातराई	30	1. जोरातराई
31							31	2. नवापारा
32							32	3. चिटकवाईन
				योगः–		2 ग्राम पंचागत		4 ग्राम
33			10	केराडीह	19	केराडीह	33	1. केराडीह
34					20	खरवाटोली	34	1. खरवाटोली
35							35	2. बोतनीडाँड़
36							36	3. डूमरटोली
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		4 ग्राम
37			11	जोकारी	21	जोकारी	37	1. जोकारी
38					22	कमतरा	38	1. कमतरा
39							39	2. घुईटाँगर
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
40			12	लोधमा	23	लोधमा	40	1. लोधमा
41					24	भण्डरी	41	1. भण्डरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	कुनकुरी	कुनकुरी	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	42	2. गन्झार
43							43	3. देवबोरा
44							44	4. मयाली
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
45			13	बोड़ोकछार	25	बोड़ोकछार	45	1. बोड़ोकछार
46							46	2. बेलघुटरी
47					26	खड़सा	47	1. खड़सा
48							48	2. कोमड़ो
49							49	3. भुमरा
50							50	4. सलियाटोली
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		6 ग्राम
51			14	कण्डोरा	27	कण्डोरा	51	1. कण्डोरा
52					28	रायकेरा	52	1. रायकेरा
53							53	2. भुरसा
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
54			15	धूमाडाँड़	29	धूमाडाँड़	54	1. धूमाडाँड़
55					30	बेमताटोली	55	1. बेमताटोली
56							56	2. अम्बाचुआँ
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
57			16	खुटगाँव	31	खुटगाँव	57	1. खुटगाँव
58							58	2. पगुरा
59					32	गिनाबहार	59	1. गिनाबहार
60							60	2. खजूरबहार
61							61	3. टुकूपानी
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
62			17	घटमुण्डा	33	घटमुण्डा	62	1. घटमुण्डा
63					34	जामचुआँ	63	1. जामचुआँ
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
64			18	कलीबा	35	कलिबा	64	1. कलिबा
65					36	हर्राडाँड़	65	1. हर्राडाँड़
66							66	2. टाँगरबहरी
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
67			19	गोरिया	37	गोरिया	67	1. गोरिया
68					38	हेटकापा	68	1. हेठकापा
69							69	2. ऊपरकापा
70							70	3. नोनपानी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	कुनकुरी	कुनकुरी		योगः—		2 ग्राम पंचायत		4 ग्राम
71			20	डोंड़ापानी	39	डोंड़ापानी	71	1. डोंड़ापानी
72							72	2. तागारिघा
73					40	लोढ़ाअम्बा	73	1. लोढ़ाअम्बा
74							74	2. चूल्हापानी
75							75	3. छुरीटोली
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
76			21	बन्दरचुआँ	41	बन्दरचुआँ	76	1. बन्दरचुआँ
77					42	ढोंढ़ीबहार	77	1. ढोंढ़ीबहार
78							78	2. बोड़ाटोंगरी
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
79			22	बरॉंगजोर	43	बरॉंगजोर	79	1. बरॉंगजोर
80					44	फरसाकानी	80	1. फरसाकानी
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
81			23	ढोंढ़ीडाँड़	45	ढोंढ़ीडाँड़	81	1. ढोंढ़ीडाँड़
82					46	रेमतें	82	1. रेमते
83							83	2. पण्डरीपानी
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
84			24	कुनकुरी	47	कुनकुरी	84	1. कुनकुरी
85					48	गड़ाकटा	85	1. गड़ाकटा
86							86	2.लोटापानी (वनग्राम)
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
87			25	कुन्जारा	49	कुन्जारा	87	1. कुन्जारा
88							88	2. डोंगाअम्बा
89							89	3. सिरीटोली
90					50	खारीझरिया	90	1. खारीझरिया
91					51	ठेठेटाँगर	91	1. ठेठेटाँगर
				योगः—		3 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
योगः—	तहसील कुनकुरी	कुनकुरी	25	पटवारी हल्के	51	ग्राम पंचायत	90	राजस्व ग्राम
							1	वनग्राम
							91	कुल ग्राम

टीपः— तहसील–बगीचा का एक राजस्व ग्राम–**जुड़वाईन**, विकासखण्ड–कुनकुरी के ग्रामपंचायत–बेहराखार में शामिल होने के कारण यह राजस्व ग्राम, तहसील–कुनकुरी के पटवारी हल्का नम्बर–**01** में आया है।

तहसील–दुलदुला प्रारम्भ :–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**दुलदुला**	कस्तूरा	1	चराईडाँड़	1	चराईडाँड़	1	1. चराईडाँड़
2					2	खटंगा	2	1. खटंगा
3							3	2. वासुदेवपुर
				योगः–		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
4			2	पतराटोली	3	पतराटोली	4	1. पतराटोली
5					4	बम्हनी	5	1. बम्हनी
6							6	2. बोड़ोकछार
				योगः–		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
7			3	दुलदुला	5	दुलदुला	7	1. दुलदुला
8							8	2. खूँटीटोली
9					6	भुसड़ीटोली	9	1. भुसड़ीटोली
10							10	2. बाँसपतरा
				योगः–		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
11			4	लोरो	7	लोरो	11	1. लोरो
12							12	2. श्रीटोली
13					8	रायडीह	13	1. रायडीह
14							14	2. खूँटीटोली
				योगः–		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
15			5	चाँपाटोली	9	चाँपाटोली	15	1. चाँपाटोली
16							16	2. हटकलता
17					10	बरपानी	17	1. बरपानी
18							18	2. ढारेन
19							19	3. जुड़वाईन
				योगः–		**2 ग्राम पंचायत**		**5 ग्राम**
20			6	कस्तूरा	11	कस्तूरा	20	1. कस्तूरा
21							21	2. पाकरटोली
22					12	जामपानी	22	1. जामपानी
23							23	2. सालामाली
24							24	3. टेढ़ापहाड़
				योगः–		**2 ग्राम, पंचायत**		**5 ग्राम**
25			7	झरगाँव	13	झरगाँव	25	1. झरगाँव
26							26	2. कादोपानी
27							27	3. बाँसतला
28					14	जामटोली	28	1. जामटोली
29							29	2. गीधासाँड़

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
30	दुलदुला	कस्तूरा	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	30	3. पटियापानी
31							31	4. केंदपानी
32							32	5. डेवाडेलगी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**8 ग्राम**
33			8	छेरडाँड़	15	छेरडाँड़	33	1. छेरडाँड़
34					16	कोरना	34	1. कोरना
35							35	2. पगुराटाँगर
36							36	3. टाँगरटोली
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
37			9	बिपतपुर	17	बिपतपुर	37	1. बिपतपुर
38							38	2. गाँगीमुण्डा
39							39	3. घुटघुटी
40					18	बंगुरकेला	40	1. बंगुरकेला
41							41	2. काँटासारू
42							42	3. जामझरिया
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**6 ग्राम**
43			10	डोभ	19	डोभ	43	1. डोभ
44							44	2. डाँड़पानी
45					20	सँपघरा	45	1. सँपघरा
46							46	2. बनगाँव
47							47	3. बरपानी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**5 ग्राम**
48			11	सिरिमकेला	21	सिरिमकेला	48	1. सिरिमकेला
49					22	चटकपुर	49	1. चटकपुर
50							50	2. डँड़ाडीह
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
51			12	सिमड़ा	23	सिमड़ा	51	1. सिमड़ा
52					24	मयूरचुन्दी	52	1. मयूरचुन्दी
53							53	2. जामचुआँ
54							54	3. बकुना (वनग्राम)
55					25	केन्दापानी	55	1. केन्दापानी
56							56	2. साजापानी
57							57	3. घाँधअम्बा
58							58	4. फोटकोसेमर
				योगः—		**3 ग्राम पंचायत**		**8 ग्राम**
59			13	गोड़अम्बा	26	गोड़अम्बा	59	1. गोड़अम्बा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
60	दुलदुला	कस्तूरा	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	60	2. ढोंढ़ीआरा
61							61	3. धुरियाअम्धा
62					27	गट्टीबुड़ा	62	1. गट्टीबुड़ा
63							63	2. हल्दीमुण्डा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**5 ग्राम**
64			14	करडेगा	28	करडेगा	64	1. करडेगा
65							65	2. पण्डरीअम्बा
66					29	मकरीबन्धा	66	1. मकरीबन्धा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
योगः—	**तहसील दुलदुला**	कस्तूरा	14	पटवारी हल्के	29	ग्राम पंचायत	65	राजस्व ग्राम
							1	वनग्राम
							66	कुल ग्राम
तहसील—फरसाबहार प्रारम्भ :—								
1	**फरसाबहार**	तपकरा	1	धौरासाँड़	1	धौरासाँड़	1	1. धौरासाँड
2					2	बनगाँव	2	1. बनगाँव
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
3			2	खुँटगाँव	3	खुँटगाँव	3	1. खुँटगाँव
4							4	2. औंरीजोर
5					4	हेंठघींचा	5	1. हेंठघींचा
6							6	2. ऊपरघींचा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
7			3	सिंगीबहार	5	सिंगीबहार	7	1. सिंगीबहार
8					6	ऊपरकछार	8	1. ऊपरकछार
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
9			4	केरसई	7	केरसई	9	1. केरसई
10					8	कोहपानी	10	1. कोहपानी
11							11	2. बुटकछार
12							12	3. अबीरा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
13			5	लठबोरा	9	लठबोरा	13	1. लठबोरा
14							14	2. सुईजोर
15					10	साजबहार	15	1. साजबहार
16							16	2. बन्धाटोली
17							17	3. बरकसपाली
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**5 ग्राम**
18			6	तपकरा	11	तपकरा	18	1. तपकरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	फरसाबहार	तपकरा	क्रमशः	क्रमशः	12	जबला	19	1. जबला
20							20	2. सेमरताल
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
21			7	अमडीहा	13	अमडीहा	21	1. अमडीहा
22							22	2. बलुआबहार
23					14	बाम्हनमारा	23	1. बाम्हनमारा
24							24	2. जमुना
25							25	3. दाईजबहार
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**5 ग्राम**
26			8	कन्दईबहार	15	कन्दईबहार	26	1. कन्दईबहार
27					16	पगुराबहार	27	1. पगुराबहार
28							28	2. पमसाला
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
29			9	पुराइनबन्ध	17	पुराइनबन्ध	29	1. पुराइनबन्ध
30					18	सिकिरिमा	30	1. सिकिरिमा
31							31	2. विदुरपुर (वनग्राम)
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
32			10	जामबहार	19	जामबहार	32	1. जामबहार
33					20	सन्डरू	33	1. सुन्डरू
34							34	2. म गखोल
35							35	3. पोकपानी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
36			11	बाँसाझाल	21	बाँसाझाल	36	1. बाँसाझाल
37							37	2. कोरचीकानी
38							38	3. छरला
39					22	घुमरा	39	1. घुमरा
40							40	2. मसरीघाट
41							41	3. झरन
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**6 ग्राम**
42			12	लवाकेरा	23	लवाकेरा	42	1. लवाकेरा
43					24	समडमा	43	1. समडमा
44							44	2. साहीलता
45							45	3. साँको
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
46			13	बाबूसाजबहार	25	बाबूसाजबहार	46	1. बा[illegible]ाजबहार
47							47	2. गो[illegible]ीह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
48	फरसाबहार	तपकरा	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	48	3. भेजरीडाँड़
49							49	4. सरकरा (वनग्राम)
50					26	खारीबहार	50	1. खारीबहार
51							51	2. बरडीह
52							52	3. मसँगामारा
53							53	4. जुनवाईन
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**8 ग्राम**
54			14	अंकिरा	27	अंकिरा	54	1. अंकिरा
55					28	कोरंगामाल	55	1. कोरंगामाल
56							56	2. भालूमुण्डा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
57			15	फरदबहार	29	फरदबहार	57	1. फरदबहार
58					30	झारमुण्डा	58	1. झारमुण्डा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
59			16	गारीघाट	31	गारीघाट	59	1. गारीघाट
60							60	2. मुण्डाडीह
61					32	मेण्डरबहार	61	1. मेण्डरबहार
62							62	2. तुरियालगा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
63			17	भगोरा	33	भगोरा	63	1. भगोरा
64					34	बारो	64	1. बारो
65							65	2. रनई
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
66			18	फरसाबहार	35	फरसाबहार	66	1. फरसाबहार
67					36	तुबा	67	1. तुबा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
68			19	पण्डरीपानी	37	पण्डरीपानी	68	1. पण्डरीपानी
69					38	सहसपुर	69	1. सहसपुर
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
70			20	सीमाबारी	39	सीमाबारी	70	1. सीमाबारी
71					40	बोखी	71	1. बोखी
72							72	2. लकराघरा
73							73	3. बिरहीपानी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
74			21	अम्बाकछार	41	अम्बाकछार	74	1. अम्बाकछार
75					42	डुमरिया	75	1. डुमरिया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	फरसाबहार	तपकरा		**योगः—**		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
76			22	डोंगादरहा	43	डोंगादरहा	76	1. डोंगादरहा
77					44	गँझियाडीह	77	1. गँझियाडीह
78							78	2. औरीजोर
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
79			23	कोल्हेनझरिया	45	कोल्हेनझरिया	79	1. कोल्हेनझरिया
80							80	2. दलेसर
81					46	कुल्हारबुड़ा	81	1. कुल्हारबुड़ा
82							82	2. तेलाईन
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
83			24	माटीपहाड़छर्रा	47	माटीपहाड़छर्रा	83	1. माटीपहाड़छर्रा
84					48	जोरण्डाझरिया	84	1. जोरण्डाझरिया
85							85	2. हाँथीबेड़
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
86			25	भेलवाँ	49	भेलवाँ	86	1. भेलवाँ
87					50	जामटोली	87	1. जामटोली
88							88	2. डाँगबन्धी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
89			26	महुआडीह	51	महुआडीह	89	1. महुआडीह
90							90	2. खुँटसेरा
91					52	कुम्हारबहार	91	1. कुम्हारबहार
92							92	2. टाँकमुण्डा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
93			27	कोनपारा	53	कोनपारा	93	1. कोनपारा
94					54	दलटोली	94	1. दलटोली
95							95	2. सराईटोली
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
96			28	सागजोर	55	सागजोर	96	1. सागजोर
97							97	2. पेरवाँआरा
98					56	तुमला	98	1. तुमला
99							99	2. टिकलीपारा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
योगः—	**तहसील फरसाबहार**	तपकरा	28	पटवारी हल्के	56	ग्राम पंचायत	97	राजस्व ग्राम
							2	वनग्राम
							99	कुल ग्राम

तहसील—बगीचा प्रारम्भ :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बगीचा	सन्ना	1	सुलेसा	1	सुलेसा	1	1. सुलेसा
2					2	दनगरी	2	1. दनगरी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
3			2	महनई	3	महनई	3	1. महनई
4					4	छिरोडीह	4	1. छिरोडीह
5							5	2. बुरजूडीह
6							6	3. हुकराकोना
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
7			3	चम्पा	5	चम्पा	7	1. चम्पा
8							8	2. कुरुवा
9					6	खखरा	9	1. खखरा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
10			4	फुलझर	7	फुलझर	10	1. फुलझर
11							11	2. गुरगुरी
12					8	नन्हेंसर	12	1. नन्हेंसर
13							13	2. खेड़ार
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
14			5	बेड़ेकोना	9	बेड़ेकोना	14	1. बेड़ेकोना
15							15	2. इच्छोली
16					10	उकई	16	1. उकई
17							17	2. भट्ठा
18							18	3. धनगुरी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**5 ग्राम**
19			6	एकम्बा	11	एकम्बा	19	1. एकम्बा
20					12	मरंगी	20	1. मरंगी
21							21	2. चलनी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
22			7	हर्राडीपा	13	हर्राडीपा	22	1. हर्राडीपा
23							23	2. चेपराकोना
24					14	कोदोपारा	24	1. कोदोपारा
25							25	2. गम्हारकोना
26							26	3. बिसोड़ी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**5 ग्राम**
27			8	छिछली (अ)	15	छिछली (अ)	27	1. छिछली (अ)
28					16	डूमरकोना	28	1. डूमरकोना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	बगीचा	सन्ना		योगः—		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
29			9	सन्ना	17	सन्ना	29	1. सन्ना
30							30	2. कन्दरई
31					18	कोपा	31	1. कोपा
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
32			10	तोरा	19.	तोरा	32	1. तोरा
33							33	2. पारासुरा
34					20	लरंगा	34	1. लरंगा
35							35	2. लोढ़ेना
36							36	3. मैना
37					21	डोभ	37	1. डोभ
38							38	2. सुकरा
39							39	3. तमैया
				योगः—		3 ग्राम पंचायत		8 ग्राम
40			11	कामारिमा	22	कामारिमा	40	1. कामारिमा
41					23	महुआ	41	1. महुआ
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
42			12	बहोरा	24	बहोरा	42	1. बहोरा
43					25	भँवर	43	1. भँवर
44							44	2. सोनमुठ
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
45			13	कवई	26	कवई	45	1. कवई
46							46	2. मधुपुर (वनग्राम)
47					27	लोरो	47	1. लोरो
48							48	2. चटकपुर
49							49	3. अकरीकोना
50							50	4. भादू
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		6 ग्राम
51			14	पण्डरापाठ	28	पण्डरापाठ	51	1. पण्डरापाठ
52					29	सरधापाठ	52	1. सरधापाठ
53							53	2. कुरकुरिया
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
54			15	भड़िया	30	भड़िया	54	1. भड़िया
55					31	मुढ़ी	55	1. मुढ़ी
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
56			16	सोनगेरसा	32	सोनगेरसा	56	1. सोनगेरसा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
57	बगीचा	सन्ना	क्रमशः	क्रगशः	क्रमशः	क्रमशः	57	2. सारूढाप
58					33	देवडाँड	58	1. देवडाँड़
59							59	2. गायबुड़ा
60							60	3. सुकमा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**5 ग्राम**
61			17	छिछली (रा.)	34	छिछली (रा.)	61	1. छिछली (रा.)
62					35	रौनी	62	1. रौनी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
63			18	रोकड़ा	36	रोकड़ा	63	1. रोकड़ा
64							64	2. महादेवजोबला
65					37	लोटा	65	1. लोटा
66							66	2. डूमरटोली
67							67	3. भट्ठीकोना
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**5 ग्राम**
68		बगीचा	19	सामरबार	38	सामरबार	68	1. सामरबार
69					39	मैनी	69	1. मैनी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
70			20	दुर्गापारा	40	दुर्गापारा	70	1. दुर्गापारा
71					41	सरडीह	71	1. सरडीह
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
72			21	बिमड़ा	42	बिमड़ा	72	1. बिगड़ा
73					43	नटकेला	73	1. नटकेला
74							74	2. पतरापारा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
75			22	बगडोल	44	बगडोल	75	1. बगडोल
76							76	2. झगरपुर
77					45	पेटा	77	1. पेटा
78							78	2. सोनपुर
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
79			23	बगीचा	46	बगीचा	79	1. बगीचा
80							80	2. कुरुमकेला
81					47	रतबा	81	1. रतबा
82							82	2. गम्हरिया
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
83			24	गुरम्हाकोना	48	गुरम्हाकोना	83	1. गुरम्हाकोना
84							84	2. बेतरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
85	बगीचा	बगीचा	क्रमशः	क्रमशः	49	कुटमा	85	1. कुटमा
86							86	2. पत्ताकेला
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
87			25	भितघरा	50	भितघरा	87	1. भितघरा
88							88	2. राजपुर (वनग्राम)
89					51	रेंगले	89	1. रेंगले
90							90	2. सुतरी
91							91	3. बेंद
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**5 ग्राम**
92			26	जुरूडाँड़	52	जुरूडाँड़	92	1. जुरूडाँड़
93							93	2. पण्डरीपानी
94							94	3. मझगाँव
95					53	टाँगरडीह	95	1. टाँगरडीह
96							96	2. पुरंगा
97							97	3. ओड़का
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**6 ग्राम**
98			27	रायकेरा	54	रायकेरा	98	1. रायकेरा
99							99	2. रुपसेरा
100							100	3. रेवरे
101					55	झिकी	101	1. झिकी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
102			28	कुरडेग	56	कुरडेग	102	1. कुरडेग
103					57	जुरगुम	103	1. जुरगुम
104							104	2. खन्ताडाँड़
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
105			29	पसिया	58	पसिया	105	1. पसिया
106					59	जुजगू	106	1. जुजगू
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
107			30	टटकेला	60	टटकेला	107	1. टटकेला
108							108	2. अम्बाडाँड़
109					61	बूड़ाडाँड़	109	1. बूड़ाडाँड़
110							110	2. फूलडीह
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
111			31	बम्बा	62	बम्बा	111	1. बम्बा
112					63	गुड़लू	112	1. गुड़लू
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
113	बगीचा	बगीचा	32	बासेन	64	बासेन	113	1. बासेन
114					65	पिरई	114	1. पिरई
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
115			33	कुरोंग	66	कुरोंग	115	1. कुरोंग
116					67	घुघरी	116	1. घुघरी
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
117			34	बोड़ापहरी	68	बोड़ापहरी	117	1. बोड़ापहरी
118					69	महुआडीह	118	1. महुआडीह
119							119	2. रेंगोला
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
120			35	घोघर	70	घोघर	120	1. घोघर
121					71	सराईपानी	121	1. सराईपानी
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
122			36	ढोढरअम्बा	72	ढोढरअम्बा	122	1. ढोढरअम्बा
123							123	2. कुरुमढोंढा
124					73	मरोल	124	1. मरोल
125							125	2. समदुरा
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		4 ग्राम
126			37	पण्डरीपानी	74	पण्डरीपानी	126	1. पण्डरीपानी
127					75	कुदमुरा	127	2. कुदमुरा
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
128			38	सरबकोम्बो	76	सरबकोम्बो	128	1. सरबकोम्बो
129							129	2. कुहापानी
130					77	तम्बाकछार	130	1. तम्बाकछार
131							131	2. जामपानी
132							132	3. जबला
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
133			39	कलिया	78	कलिया	133	1. कलिया
134					79	बुटंगा	134	1. बुटंगा
135							135	2. कुरहाटिपना (वनग्राम)
136							136	3. रंगपुर (वनग्राम)
137							137	4. डूमरपानी (वनग्राम)
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
138			40	बछराँव	80	बछराँव	138	1 बछराँव
139					81	गायलूँगा	139	1. गायलूँगा
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
140	बगीचा	बगीचा	41	साहीडाँड़	82	साहीडाँड़	140	1. साहीडाँड़
141					83	रमसमा	141	1. रमसमा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
142			42	रनपुर	84	रनपुर	142	1. रनपुर
143					85	करमा	143	1. करमा
144							144	2. डोंड़राही
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
योगः—	**तहसील बगीचा**	सन्ना बगीचा	42	पटवारी हल्के	85	ग्राम पंचायत	139 5 144	राजस्व ग्राम वनग्राम कुल ग्राम

टीपः— तहसील—बगीचा का एक राजस्व ग्राम—**जुड़वाईन**, विकासखण्ड—कुनकुरी के ग्रामपंचायत—बेहराखार में शामिल होने के कारण यह राजस्व ग्राम, तहसील—कुनकुरी के पटवारी हल्का नम्बर—**01** में भेजा गया है।

तहसील—काँसाबेल प्रारम्भ :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**काँसाबेल**	काँसाबेल	1	नकवार	1	नकबार	1	1. नकवार
2					2	साजापानी	2	1. साजापानी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
3			2	बटईकेला	3	बटईकेला	3	1. बटईकेला
4					4	खुटेरा	4	1. खुटेरा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
5			3	कुसुमताल	5	कुसुमताल	5	1. कुसुमताल
6					6	चिड़ोरा	6	1. चिड़ोरा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
7			4	काँसाबेल	7	काँसाबेल	7	1. काँसाबेल
8					8	पोंगरो	8	1. पोंगरो
9							9	2. लगढाँठ
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
10			5	टाँगरगाँव	9	टाँगरगाँव	10	1. टाँगरगाँव
11					10	फरसाजुड़वाईन	11	1. फरसाजुड़वाईन
12							12	2. डँड़ाजोर
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
13			6	बरजोर	11	बरजोर	13	1. बरजोर
14					12	हथगड़ा	14	1. हथगड़ा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
15			7	सेमरकछार	13	सेमरकछार	15	1. [illegible]रकछार
16							16	2. [illegible]ई

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	कॉंसाबेल	कॉंसाबेल	क्रमशः	क्रमशः	14	कोटानपानी	17	1. कोटानपानी
18							18	2. टाटीडॉंड़
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		4 ग्राम
19			8	तिलंगा	15	तिलंगा	19	1. तिलंगा
20					16	शब्दमुण्डा	20	1. ब्दमुण्डा
21							21	2. मॅंड़वाकानी
22							22	3. गराईबन्द
23							23	4. रेवड़ा
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
24			9	पतरापाली	17	पतरापाली	24	1. पतरापाली
25							25	2. बिहावल
26							26	3. गरियादोहर
27					18	नकटीमुण्डा	27	1. नकटीमुण्डा
28							28	2. पातरतोरा
29							29	3. बाम्हनमुँडा
30							30	4. दल्हागोडा
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		7 ग्राम
31			10	पुसरा	19	पुसरा	31	1. पुसरा
32					20	नरियरडॉंड़	32	1. नरियरडॉंड़
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
33			11	चेटबा	21	चेटबा	33	1. चेटबा
34							34	2. नारायणबहली
35					22	खूँटीटोली	35	1. खूँटीटोली
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
36			12	सिहारबुड़	23	सिहारबुड़	36	1. सिहारबुड़
37							37	2. डॉंड़पानी
38					24	सागीभवना	38	1. सागीभवना
39							39	2. केनाडॉंड़
40							40	3. खरपानी
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
41			13	जुमईकेला	25	जुमईकेला	41	1. जुमईकेला
42					26	कोड़लिया	42	1. कोड़लिया
43							43	2. बैगाअम्बा
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
44			14	केनाडॉंड़	27	केनाडॉंड़	44	1. केनाडॉंड़
45							45	2. मड़ियाझरिया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
46	काँसाबेल	काँसाबेल	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	46	3. सिकीपानी
47					28	छेराघोघरा	47	1. छेराघोघरा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
48			15	सूजीबहार	29	सूजीबहार	48	1. सूजीबहार
49							49	2. सिकरिया
50							50	3. ढुंढरूडाँड
51					30	बगिया	51	1. बगिया
52							52	2. मुसकुटी
53							53	3. रजौटी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**6 ग्राम**
54			16	बाँसबहार	31	बाँसबहार	54	1. बाँसबहार
55							55	2. तुरगाखार
56					32	चोंगरीबहार	56	1. चोंगरीबहार
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
57			17	कोरंगा	33	कोरंगा	57	1. कोरंगा
58							58	2. पाकरटोली
59					34	कटंगखार	59	1. कटंगखार
60							60	2. जाममुण्डा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
61			18	दोकड़ा	35	दोकड़ा	61	1. दोकड़ा
62					36	देवरी	62	1. देवरी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
योगः—	**तहसील कांसाबेल**	काँसाबेल	18	पटवारी हल्के	36	ग्राम पंचायत	62 0 62	राजस्व ग्राम वनग्राम कुल ग्राम
तहसील—पत्थलगाँव प्रारम्भ :—								
1	**पत्थलगाँव**	पत्थलगाँव	1	सुसडेगा	1	सुसडेगा	1	1. सुसडेगा
2					2	सुरेशपुर	2	1. सुरेशपुर
3							3	2. मुड़ेकेला
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
4			2	किलकिला	3	किलकिला	4	1. किलकिला
5							5	2. नारायणपुर
6					4	बहनाटॉगर	6	1. बहनाटॉगर
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
7			3	ईला	5	ईला	7	1. ईला
8							8	2. बटुराकछार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	पत्थलगाँव	पत्थलगाँव	क्रमशः	क्रमशः	6	केराकछार	9	1. केराकछार
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
10			4	मदनपुर	7	मदनपुर (इंजको)	10	1. मदनपुर (इंजको)
11				(इंजको)	8	कुनकुरी	11	1. कुनकुरी
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
12			5	तिलडेगा	9	तिलडेगा	12	1. तिलडेगा
13					10	जोराडोल	13	1. जोराडोल
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
14			6	पत्थलगाँव	11	पत्थलगाँव	14	1. पत्थलगाँव (नगरीय ग्राम)
					1	**(नगर पंचायत)**		
15							15	2. [illegible] (नगरीय ग्राम)
				योगः—	**1 ग्राम पंचा0, 1 नगर पं0**			**2 ग्राम**
16			7	गाला	12	गाला	16	1. गाला
17					13	डुडुंगजोर	17	1. डुडुंगजोर
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
18			8	शिवपुर	14	शिवपुर	18	1. शिवपुर
19					15	बूढ़ाडाँड़	19	1. बूढ़ाडाँड़
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
20			9	पालीडीह	16	पालीडीह	20	1. पालीडीह
21					17	झक्कड़पुर	21	1. झक्कड़पुर
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
22			10	दीवानपुर	18	दीवानपुर	22	1. दीवानपुर
23					19	पतरापाली	23	1. पतरापाली
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
24)			11	गोढ़ीकला	20	गोढ़ीकला	24	1. गोढ़ीकला
25					21	कुमेकेला	25	1. कुमेकेला
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
26			12	करमीटिकरा	22	करमीटिकरा	26	1. करमीटिकरा
27					23	मिर्जापुर	27	1. मिर्जापुर
28							28	2. मक्कापुर
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
29			13	रैरूमाकला (सुखरापारा)	24	रैरूमाकला (सुखरापारा)	29	1. रैरूमाकला (सुखरापारा)
30					25	जामजुनवानी	30	1. जामजुनवानी
31							31	2. महुआदरहा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	पत्थलगाँव	पत्थलगाँव		योगः—		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
32			14	खरकट्टा	26	खरकट्टा	32	1. खरकट्टा
33					27	खारढोंढ़ी	33	1. खारढोंढ़ी
34							34	2. सिलीपखना
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
35			15	तमता	28	तमता	35	1. तमता
36					29	बालाझर	36	1. बालाझर
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
37			16	कुड़केल– खजरी	30	कुड़केल खजरी	37	1. कुड़केल खजरी
38					31	पण्डरीपानी	38	1. पण्डरीपानी
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
39			17	चन्दागढ़	32	चन्दागढ़	39	1. चन्दागढ़
40					33	बटुराबहार	40	1. बटुराबहार
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
41			18	कोड़ेकेला (घरजियाबथान)	34	कोड़ेकेला (घरजियाबथान)	41	1. कोड़ेकेला (घरजियाबथान)
42							42	2. हीरापुर
43					35	रघुनाथपुर	43	1. रघुनाथपुर
44							44	2. टुकूपखना
				योगः—		2 ग्राम पंचायत,		4 ग्राम
45			19	पाकरगाँव	36	पाकरगाँव	45	1. पाकरगाँव
46							46	2. तुरुवाआमा
47					37	मुड़ापारा	47	1. मुड़ापारा
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
48			20	पंगसुआ	38	पंगसुआ	48	1. पंगसुआ
49					39	कटंगजोर	49	1 कटंगजोर
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
50			21	लुड़ेग	40	लुड़ेग	50	1. लुड़ेग
51					41	कछार	51	1. कछार
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
52			22	चन्द्रपुर	42	चन्द्रपुर	52	1. चन्द्रपुर
53							53	2. सूरजगढ़
54					43	तिरसोंठ	54	1. तिरसोंठ
55							55	2. चौराआमा
				योगः—		2 ग्राम पंचायत		4 ग्राम
56			23	बिलडेगी	44	बिलडेगी	56	1. बिलडेगी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
57	पत्थलगाँव	पत्थलगाँव	क्रमशः	क्रमशः	45	शेखरपुर	57	1. शेखरपुर
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
58		बागबहार	24	बनगाँव " बी "	46	बनगाँव " बी "	58	1. बनगाँव "बी
59					47	डूमरबहार	59	1. डूमरबहार
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
60			25	पेमला	48	पेमला	60	1. पेमला
61					49	लोकेर	61	1. लोकेर
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
62			26	जमरगी " बी "	50	जमरगी " बी "	62	1. जमरगी " बी "
63					51	तरेकेला	63	1. तरेकेला
64							64	2. माँकरचुआँ
65							65	3. वसन्तपुर
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
66			27	बागबहार	52	बागबहार	66	1. बागबहार
67							67	2. गोढ़ी " बी "
68							68	3. कुरकुटनाला
69					53	कुकुरभुका	69	1. कुकुरभुका
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
70			28	रेड़े	54	रेड़े	70	1. रेड़े
71					55	सराईटोला	71	1. सराईटोला
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**2 ग्राम**
72			29	चिकनीपानी	56	चिकनीपानी	72	1. चिकनीपानी
73					57	कुकरीचोली	73	1. कुकरीचोली
74							74	2. मठपहाड़
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
75			30	छातासराई	58	छातासराई	75	1. छातासराई
76					59	बन्धनपुर	76	1. बन्धनपुर
77							77	2. मड़ियादरहा
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**3 ग्राम**
78			31	महेशपुर	60	महेशपुर	78	1. महेशपुर
79					61	काडरो	79	1. काडरो
80							80	2. बिरिमडेगा
81							81	3. बगईझरिया
				योगः—		**2 ग्राम पंचायत**		**4 ग्राम**
82			32	मुड़ाबहला	62	मुड़ाबहला	82	1. मुड़ाबहला
83					63	खड़ामाचा	83	1. खड़ामाचा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
84	पत्थलगाँव	बागबहार	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	क्रमशः	84	2. हरदीझरिया
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
85			33	कुकरगाँव	64	कुकरगाँव	85	1. कुकरगाँव
86					65	पीठाआमा	86	1. पीठाआमा,
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
87			34	सुरुंगपानी	66	सुरुंगपानी	87	1. सुरुंगपानी (टोला कुकराझर सहित)
88					67	कर्राबेवरा	88	1. कर्राबेवरा
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
89			35	बुलडेगा	68	बुलडेगा	89	1. बुलडेगा
90					69	खजरीढाप	90	1. खजरीढाप
91					70	रोकबहार	91	1. रोकबहार
				योगः–		3 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
92			36	राजाआमा	71	राजाआमा	92	1. राजाआमा
93					72	पतराटोली	93	1. पतराटोली
94							94	2. सागरपाली
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
95			37	कोकियाखार	73	कोकियाखार	95	1. कोकियाखार
96							96	2. नया कोकियाखार
97					74	खूँटापानी	97	1. खूँटापानी
98							98	2. नया खूँटापानी
99							99	3. झिमकी
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम
100			38	मयूरनाचा	75	मयूरनाचा	100	1. मयूरनाचा
101					76	जामझोर	101	1. जामझोर
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		2 ग्राम
102			39	कोतवा	77	कोतवा	102	1. कोतवा
103					78	मधुवन	103	1. मधुवन
104							104	2. आमाटोली
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		3 ग्राम
105			40	बनगाँव "के"	79	बनगाँव " के "	105	1. बनगाँव " के "
106							106	2. घोघरा
107					80	2. फरसाटोली	107	1. फरसाटोली
108							108	2. गोलियागढ
109							109	3. लाखझार
				योगः–		2 ग्राम पंचायत		5 ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
योगः–	तहसील पत्थलगाँव	पत्थलगाँव बागबहार	40	पटवारी हल्के	80 1	ग्राम पंचायत नगर पंचायत	109 0 109	राजस्व ग्राम (जिसमें नगरीय ग्राम 02) वनग्राम कुल ग्राम
योगः–	जिला जशपुर	राजस्व निरीक्षक मण्डल 10	208	पटवारी हल्के	417 1 1	ग्राम पंचायत। नगर पालिका–परिषद् नगर पंचायत।	755 11 766	राजस्व ग्राम (जिसमेंसे नगरीय ग्राम 03 एवं बीरान ग्राम 01 है।) वनग्राम कुल ग्राम

डी. डी. सिंह,
कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्रमांक एफ 1-8/2008/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 का 63) की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. डी. पी. राव, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए कारखाना निरीक्षक नियुक्त किया जाता है.

No. F 1-8/2008/16.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and in supersession of the all previous notifications the State Government of Chhattisgarh hereby appoints Shri K. D. P. Rao, Commissioner Labour, Chhattisgarh as the Chief Inspector of Factories and to exercise the powers of an Inspector throughout the State of Chhattisgarh.

रायपुर, दिनांक 15 मई 2008

क्रमांक एफ 10-2/2008/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27, 1960) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में प्रसारित पूर्व जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-3/2007/16, रायपुर दिनांक 01 जून 2007 को निरस्त करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. डी. पी. राव को छत्तीसगढ़ राज्य के लिये श्रमायुक्त नियुक्त करता है.

No. F 10-2/2008/16.—In exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) and in supersession of all previous Labour Department Notification No. F 10-3/2007/16 Raipur dated 01-06-2007 regarding this matter the State Government hereby appoints Shri K. D. P. Rao to be the Commissioner of Labour for the Chhattisgarh State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. पी. राव, सचिव